Vol. 267
No. 17

Friday,
21 March, 2025
30 Phalguna, 1946 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

# RAJYA SABHA

## OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Regarding judicial accountability and other issues (pages 1 - 2)

Birthday Greetings (pages 2 - 4)

Papers Laid on the Table (pages 4 - 15)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel-*Laid on the table* (page 15)

Statement by Minister-*Laid on the Table*

Status of implementation of the Recommendations contained in the One Hundred and Eighty-seventh Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce (page 15)

Statement regarding Government Business (pages 15 -16)

Regarding Notices received under Rule 267 and other matters (pages 16 -17)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Announcements by the Chairman (pages 17 — 20)

Observations by the Chair (page 20)

Matters raised with Permission -

Demand to create employment opportunities for women and dismantle the systemic barriers which prevent their participation in the workforce (pages 21 - 22)

Demand to amend University Grants Commission (UGC) Act 1956 (page 23)

Demand to abolish Bodh Gaya Temple Act, 1949 (pages 24 - 25)

Demand to implement Creche Policy across the country to support working mothers and strengthen women's participation in the workforce (page 25)

Demand for declaring Lianpui Village of Mizoram as National importance (page 26)

Demand to take preventive measures against rising incidents of road accidents in India (pages 26 - 28)

Request to release pending funds to the State of West Bengal used for key welfare and development schemes such as MGNREGS (pages 28 - 29)

Demand to establish Gram Sansad across the country under the Panchayati Raj system (pages 29 - 30)

Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs - *Concluded* (pages 30 - 110)

Special Mentions-*Laid on the table*

Request for starting specialized courses in Lucknow Campus of Rashtriya Raksha University (page 110)

Demand for revival of pilgrimage sites related to Lord Shri Ram in Punjab (pages 110 - 111)

Need for providing treatment to all persons diagnosed with hepatitis in the country (page 111)

Demand for inclusion of Valmiki Community in the list of Scheduled Tribes (STs) in Tamil Nadu (page 112)

Website : http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@sansad.nic.in

Demand for reconstruction of railway over bridge and underpass in Mehsana, Gujarat (page 112)

Need to amend Wild Life Protection Act to prevent loss of human lives due to attacks by wild animals (page 113)

Concern over increasing plastic pollution and waste management in the country (pages 113 - 114)

Concern over problems being faced by chilli farmers in Andhra Pradesh (page 114)

*[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link* https://sansad.in/rs/debates/officials]

Content Page

# RAJYA SABHA

*Friday, the 21st March, 2025/30 Phalguna, 1946 (Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

## REGARDING JUDICIAL ACCOUNTABILITY AND OTHER ISSUES

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir...

MR. CHAIRMAN: Anything particular?

SHRI JAIRAM RAMESH: This morning, we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Sir, earlier, 50 Members of Parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a Judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have, in fact, directed the Leader of the House on this issue. I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the Government to come up with a proposal for increasing judicial accountability.

MR.CHAIRMAN: Hon. Members, I am seized of a representation by 55 Members of this House, and I have taken all necessary steps to get their verification. First mail was sent to all of them, and the good thing is most of the Members have responded positively, helping me perform my duty. Some Members are yet to do. A mail reiterating the same has been sent to them. I have taken all procedural steps, but I must share with you one concern that is engaging my attention. Of the 55 Members, who signed the representation, a Member's signature appears on two occasions and the Member concerned has denied his signature. Now, I do not wish to get into this act which may graduate to culpability to a higher level. If the number is above 50, I will proceed accordingly. Most of the Members have cooperated. Those Members, who have not done so far, may please do it in response to the second mail sent to them. Then, the process will not be delayed at my level even for a moment.

Coming to the second aspect, the Leader of the House is not here. I had the occasion to reflect, in a very focused manner, that what appears in the Indian Constitution has to emanate first from our founding fathers; any change effected, whatsoever, has to be sanctified by the Parliament and, in some cases, by 50 per

Content Page

cent of State Legislatures; then, finally, it gets constitutional sanction with the hon. President signing it under Article 111. Therefore, I had pleaded with the Leader of the House that the House needs to know that the Constitution, according to this directive, is what holds the field today. You will all recollect about the mechanism, which was passed by this House with near unanimity, with no dissension, -- only one abstention in Rajya Sabha, with all political parties converging in support of the Government's initiative — and I wish to find out the status of that, which emanated from Indian Parliament, made sacrosanct by the endorsement of 16 State Assemblies in the country and signed by the hon. President under Article 111 of the Constitution. That historic legislation, endorsed by this Parliament, with unprecedented consensual support, unknown to parliamentary history of this country, had addressed the malaise very severely.

Now, if the malaise had been dealt with, perhaps, we would not have countenanced such kind of issues. What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface. If it happens with a politician, a bureaucrat, or an industrialist, he becomes a target immediately. Therefore, systemic response, which is transparent, accountable and effective, I am sure, will be on the way. I will get in touch with the Leader of the House and the Leader of the Opposition and find a mechanism for a structured discussion during the course of the Session, subject to their agreement.

SHRI JAIRAM RAMESH: What about today's news, Sir?

MR. CHAIRMAN: I discussed with them. Fortunately, the House is blessed with the Leader of the House who is also the president of the ruling political party, and the Leader of the Opposition, who is also the president of the main opposition party. So, with these very two distinguished people being present in the House, -- others will also come -- I am sure with their counsel, I will discuss. We need to have some structured discussion, which, so far, we have not had. I indicated this. Shri Derek O'Brien raised the issue. I had indicated that I would come back to the House. I will find their convenience during the course of the day and deliberate on the issue.

Now, Birthday Greetings.

## BIRTHDAY GREETINGS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, it is always a pleasure to greet Members, and also to greet them in advance for their birthdays. I am pleased to extend advance

greetings to the hon. Members of Parliament - Shri Dhairyashil Mohan Patil and Shri Ravi Chandra Vaddiraju, whose birthdays are tomorrow, and Shri Sanjay Singh and Dr. Sasmit Patra on their birthdays day after tomorrow.

**Shri Dhairyashil Mohan Patil** has been a Member of Rajya Sabha since August 2024. The name says it all, 'Dhairya-shil Mohan'. He had also been a Member of the Maharashtra Legislative Assembly for two consecutive terms (2009-2014 and 2014-2019). His late father, Shri Mohan Damodar Patil, served as Maharashtra's State Minister and was a five-time Member of Maharashtra Legislative Assembly until 2004 representing Pen constituency in Raigad district.

Shri Dhairyashil Mohan Patil is married to Shrimati Nilima Dhairyashil Patil and the couple is blessed with two daughters, Sayee Dhairyashil Patil and Jayee Dhairyashil Patil.

**Shri Ravichandra Vaddiraju** is currently serving his second term in Rajya Sabha since April 2024. He is popularly known as Gayatri Ravi after his famous industrial venture, the Gayatri Group, that has made stellar contributions in granite industry and is known for its philanthropic activities. He has played a pivotal role in promoting the Sammakka Sarakka Jatara, a significant Adivasi tribal festival in Telangana known for attracting millions. His commitment to nationalism and patriotism shines through his significant contributions to the national monuments, including the 370-ton black granite stone for Delhi's National Police Memorial and the 300-ton granite stone for Subhas Chandra Bose's statue at India Gate. As the National President of the Suman Shotokan Karate Sports Academy and the President of the Khammam District Judo Association, he has played and continues to play a pivotal role in promoting sports in Telangana.

Married to Shrimati Vaddiraju Vijayalakshmi, the couple is blessed with son Vaddiraju Sai Nikhil Chandra and daughter Ganga Bhavani.

**Shri Sanjay Singh** is currently serving his second term in the Council of States since January 2024. A prominent leader of the Aam Aadmi Party, he has championed continually the cause of workers' rights inside the House as also outside. His deep involvement in environmental movements, such as the cleansing and cleaning of the Gomati River reflects his deep commitment to public welfare and ecological preservation. The House will bear with me and bear out that he is a gifted speaker, a prolific speaker, a powerful voice and leader of AAP Legislative Party in the Council of States since July, 2024.

He is married to Shrimati Anita Singh and the couple is blessed with son Utkarsh and daughter Eshita. The family leads simple lift under the gaze of his caring parents, who reflect all through sublimity.

**Dr. Sasmit Patra** is currently serving his second term in Rajya Sabha since July 2022. A respected teacher, committed educationist and highly-regarded legal consultant, Dr. Patra brings convergence of knowledge and experience to this House. He is actively involved in various Parliamentary Committees. With a deep commitment to social causes, he is also engaged in cultural and educational initiatives, many of which are futuristic and innovative, particularly among slum dwellers, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities. He has been actively representing Indian Parliament, and widely accoladed for that, in the Inter-Parliamentary Union assemblies. Dr. Sasmit Patra co-drafted a Resolution on the Impact of Artificial Intelligence on Democracy and Human Rights, which was adopted by the IPU, a rare commendation by the global institution. He was also appointed as one of the three rapporteurs for a Resolution on Supporting Victims of Illegal International Adoption set to be discussed at the 150$^{th}$ IPU assembly with its scheduled presentation at the 151$^{st}$ assembly.

Married to Dr. Sweta Millicent Paul, the couple is blessed with son Sidharth Patra and daughter Sneha Sharon Patra.

Hon. Members, on my behalf and on behalf of the Members of the House, I wish them a long, healthy and prosperous life and extend greetings to their family members and friends.

---

## PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

**I. Notifications of the Ministry of Commerce and Industry**

**II. Reports and Accounts (2023-24) of APEDA, New Delhi; CGPDTM, Mumbai; NSEZ, Uttar Pradesh; FDDI, Noida, Uttar Pradesh and related papers**

**III. Reports and Accounts (2022-23, 2023-24) of NID, Bhopal, Madhya Pradesh; NID, Jorhat, Assam; PHARMEXCIL, Hyderabad; EIC including its EIAs, New Delhi; SHEFEXIL, Kolkata and related papers**

**IV. Notifications of the Ministry of Electronics and Information Technology**

**V. Report and Accounts (2023-24) of NICSI, New Delhi; UIDAI, New delhi; C-DAC, Pune; SAMEER, Mumbai; ERNET India, Delhi and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION

Content Page

TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, I lay on the Table:-

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) Notification No. APEDA/PAD-2017-18-000044, dated the 22nd January, 2025, publishing the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Amendment Regulations, 2025, under Section 34 of the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985.

[Placed in Library. See No. L.T. 2331/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) Notification No. G.S.R. 786(E)., dated the 26th December, 2024, publishing the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2024, under sub-section (3) of Section 55 of Special Economic Zones Act, 2005, along with Explanatory Memorandum and Statement of Objects and Reasons.

[Placed in Library. See No. L.T. 2330/18/25]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) Notification No. G.S.R. 764(E)., dated the 13th December, 2024, publishing the Industries (Development and Regulation) Manner of Holding Inquiry and Appeal Rules, 2024, under sub-section (4) of Section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[Placed in Library. See No. L.T. 2371/18/25]

II. (i) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 18 and sub-section (3) of Section 21 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985: -

(a) Annual Report of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi, for the year 2023-24.

(b) Annual Accounts of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi, for the year 2023-24, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Authority.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2257/18/25]

(ii) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section

155 of the Patents Act, 1970: -

(a) Annual Report of the Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indications (CGPDTM), Mumbai, Maharashtra, for the year 2023-24.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2327/18/25]

(iii) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 37 and sub-section (3) of Section 39 of the Special Economic Zones Act, 2005: -

(a) Annual Report and Accounts of the Noida Special Economic Zone Authority (NSEZ), Uttar Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Reports.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2323/18/25]

(iv) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 23 of the Footwear Design and Development Institute Act, 2017: -

(a) Annual Report and Accounts of the Footwear Design and Development Institute (FDDI), Noida, Uttar Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2324/18/25]

III. A copy (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Fifth Annual Report and Accounts of the National Institute of Design (NID), Bhopal, Madhya Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2255/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Design (NID), Jorhat, Assam, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2256/18/25]

(iii) (a) Twentieth Annual Report and Accounts of the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India, (PHARMEXCIL), Hyderabad, Telangana, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Account.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2325/18/25]

(iv) (a) Annual Report of the Export Inspection Council (EIC) including its Export Inspection Agencies (EIAs), New Delhi, for the year 2022-23.

(b) Annual Accounts of the Export Inspection Council (EIC) including its Export Inspection Agencies (EIAs), New Delhi, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Council.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers, mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2326/18/25]

(v) (a) Annual Report of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (SHEFEXIL), Kolkata, West Bengal, for the year 2023-24.

(b) Annual Accounts of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (SHEFEXIL), Kolkata, West Bengal for the year 2023-24, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Council.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2329/18/25]

IV. A copy each of the following Notifications of the Ministry of Electronics and Information Technology, under Section 55 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016: -

(1) A-12013/13/RR/2016-UIDAI(E)., dated the 29th January, 2025, publishing the Unique Identification Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Amendment Regulations, 2025.

(2) G.S.R. 88(E)., dated the 31st January, 2025, publishing the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Amendment Rules, 2025.

[Placed in Library. For (1) and (2), see No. L.T. 2264/18/25]

V. (A) (1)A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b)of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(a) Annual Report and Accounts of the National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2268/18/25]

(B) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 26 and sub-section (3) of Section 27 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016: -

(a) Annual Report and Accounts of the Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2266/18/25]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Pune, Maharashtra, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2265/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai, Maharashtra, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Society.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2269/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Education and Research Network of India (ERNET India), Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Society.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2267/18/25]

**I. Notifications of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare**

**II. Report and Accounts (2020-21 and 2023-24) of NSCL, New Delhi; KAICL, Thiruvananthapuram; GSSC, Gandhinagar; CCS NIAM, Jaipur; NAFED, New Delhi and related papers**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)**: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

I. (i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare), under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955: -

Content Page

(1) S.O. 5384(E)., dated the 13th December, 2024, publishing the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Fifth) Amendment Order, 2024.

(2) S.O. 5492(E)., dated the 19th December, 2024, publishing the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Sixth) Amendment Order, 2024.

[Placed in Library. For (1) and (2), See No. L.T. 2258/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Cooperation) Notification No. S.O. 897(E)., dated the 20th February, 2025, publishing the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Amendment Order, 2025, under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library. See No. L.T. 2336/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) Notification No. S.O. 927(E)., dated the20th February, 2025, amending the Principal Notification No. G.S.R. 9(E), dated the 9th January, 1974, issued under sub-clause (ii) of clause (e) of Section 3 of the Insecticides Act, 1968.

[Placed in Library. See No. L.T. 2335/18/25]

II. (A) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(i) (a) Sixty-first Annual Report and Accounts of the National Seeds Corporation Limited (NSCL), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 2333/18/25]

(ii) (a) Fifty-third Annual Report and Accounts of the Kerala Agro Industries Corporation Limited (KAICL), Thiruvananthapuram, Kerala for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. See No. L.T. 2572/18/25]

(iii) (a) Forty-eighth Annual Report and Accounts of the Gujarat State Seeds

Content Page

Corporation Limited (GSSC), Gandhinagar, Gujarat, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2334/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of Chaudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing (CCS NIAM), Jaipur, Rajasthan, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review of the above Institute, for the year 2023-24.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2332/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Federation.

[Placed in Library. See No. L.T. 2573/18/25]

**Report (2023-24) of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) New Delhi and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN): Sir, I lay on the Table:-

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 31 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990:-

(a) Annual Report of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2023-24.

(b) Review by Government on the working of the above corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2359/18/25]

Content Page

**Reports and Accounts (2021-22 and 2023-24) of Central Agricultural University, Imphal, Manipur; ICAR, New Delhi and related papers**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

I. (i) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 30 of the Central Agricultural University Act, 1992: -

(a) Annual Accounts of the Central Agricultural University, Imphal, Manipur, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.

(b) Review by Government on the working of the above University.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2260/18/25]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(a) Annual Accounts of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, for the year 2023-24, and the Audit Report thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Annual Accounts.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2354/18/25]

**Notification of the Ministry of Railways**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Sir, I lay on the Table, a copy (in Hindi only) of the Ministry of Railways Notification No. G.S.R. 21(E)., dated the 7th January, 2025, publishing a Corrigendum to the Hindi Version of the Notification No. G.S.R. 778(E), dated the 23rd December, 2024.

[Placed in Library. See No. L.T. 2574/18/25]

**I. Reports and Accounts (2023-24) of EIL, Bhubaneswar; BSLC, Bhubaneswar; RINL, Visakhapatnam and related papers**

**II. Reports and Accounts (2019-20 and 2020-21) of NAB, New Delhi and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU

SRINIVASA VARMA): Sir, I lay on the Table:—

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(i) (a) Ninety-seventh Annual Report and Accounts of the Eastern Investments Limited (EIL), Bhubaneswar, Odisha, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 2575/18/25]

(ii) (a) One Hundred and Thirteenth Annual Report and Accounts of the Bisra Stone Lime Company Limited (BSLC), Bhubaneswar, Odisha, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Account and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. L.T. 2576/18/25]

(iii) (a) Forty-second Annual Report and Accounts of the RashtriyaIspat Nigam Limited (RINL), Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2577/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Automotive Board (NAB), New Delhi, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Automotive Board (NAB), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Content Page

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. For (i) and (ii), See No. L.T. 2355/18/25]

**I. Notifications of the Ministry of Textiles**

**II. Report and Accounts (2023-24) of CCIC, New Delhi; PDEXCIL, Mumbai and related papers**

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्र मार्गेरिटा):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Textiles Notification No. S.O. 5325(E)., dated the 10th December, 2024, nominating Shri Samik Bhattacharya, Member of Rajya Sabha to serve as member of the Board of National Jute Board for a period of two years from the date of this Notification, issued under sub-section 4(b) of Section 3 of the National Jute Board Act, 2008.

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Textiles Notification No. S.O. 5653(E)., dated the 31st December, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 5459(E), dated the 26th December, 2023, under sub-section (2) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987.

[Placed in Library. For (i) and (ii), See No. L.T. 2356/18/25]

II. (i) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(a) Annual Report and Accounts of the Central Cottage Industries Corporation of India Ltd. (CCIC), New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2458/18/25]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(a) Twenty-ninth Annual Report and Accounts of the Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on

the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 2459/18/25]

---

## REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

**श्री दीपक प्रकाश** (झारखंड): महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2025-26)' के संबंध में विभाग-संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के छठवें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूं।

---

## STATEMENT BY MINISTER

### Status of implementation of the Recommendations contained in the One Hundred and Eighty-seventh Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, I lay a statement regarding Status of implementation of the Recommendations contained in the One Hundred and Eighty-seventh Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on 'Comprehensive Strategy to Map Major Products and Countries to Maximize Exports and Minimize Import'.

---

## STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, I rise to announce that the Government Business in this House for the week commencing Monday, the 24th of March, 2025, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper: - It contains — (i) Further discussion on the working of Ministry of Home Affairs; and (ii) Consideration and passing of the Banking Laws (Amendment), 2024, as passed by Lok Sabha.

2. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha:-

(i) The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024; and

(ii) The Bills of Lading Bill, 2025.

3. Consideration and passing of the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025.

4. Consideration of Statutory Resolution seeking approval of the Proclamation issued by the President on the 13th February, 2025 under article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Manipur.

5. Consideration and return of the following Bills, after they are considered and passed by Lok Sabha:-

(i) The Finance Bill, 2025; and

(ii) The Appropriation (No.3) Bill, 2025.

6. Consideration and passing of the following Bills, after they are considered and passed by Lok Sabha:-

(i) The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024;

(ii) The "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025;

(iii) The Carriage of Goods by Sea Bill, 2024;

(iv) The Coastal Shipping Bill, 2024;

(v) The Merchant Shipping Bill, 2024; and

(vi) The Immigration and Foreigners Bill, 2025.

---

**REGARDING NOTICES RECEIVED UNDER RULE 267 AND OTHER MATTERS**

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Sir, I want to make a point of order, if you permit.

MR. CHAIRMAN: You are a very experienced Member. I am surprised by what could be a point of order so far. Please go ahead.

MS. SUSHMITA DEV: Sir, as per Rule 29, the Secretary-General prepares a List of Business and it is circulated amongst the Members. Accordingly, we have seen the Revised List of Business. Today being Friday, the norm is that after Private Members' Business is carried out, at best, we have seen Special Mentions being brought up and Members get an opportunity. At Item No.7 and Item No.8, the Discussion on the Ministry of Home Affairs has been listed and thereafter a Bill has also been listed. Sir, no doubt, we all want to participate and we want to hear what the hon. Home Minister has to say and what the hon. Finance Minister has to say. But by following the precedent, let it be listed on Monday, so that we continue with the age-old tradition what generally happens on Friday.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, on all these issues, as is the practice, I seek and elicit opinion of the floor leaders and my subsequent announcement will bear it out. But I am happy that the hon. Member has raised it with sobriety. Thank you so much. My announcement will deal with it.

Hon. Members, there are two notices today, received under Rule 267. One is emanating from Shrimati Sagarika Ghose and the other from Shri Mohammed Nadimul Haque demanding discussion over the alleged lapse of Election Commission in issuance of multiple duplicate electors' photo identity cards across the States. I would urge the hon. Members, when the same issue has been raised earlier, -- it was also raised by Shri Pramod Tiwari and others -- there has been an order by the Chair that needs to be reflected. Be that as it may, the requests are not in accord with the requirements of Rule 267 that, on multiple occasions, have seen reiteration. Again, at the cost of repetition, the directive of the Chair of 8th December and 19th December 2022 has not been complied with. In this view of the matter, I am unable to accord acceptance to the same. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir,...

---

## ANNOUNCEMENTS BY THE CHAIRMAN

MR. CHAIRMAN: Wait, it is under discussion.

Hon. Members, as you all are aware, when the Lok Sabha, the House of the People, takes up the discussion on the Demands for Grants, the discussion on the Working of selected Ministries is parallelly taken up in the Council of States, the Rajya Sabha.

The Discussion on the Working of Ministry of Home Affairs could not be completed as scheduled on 19th March 2025 and many speakers are remaining to participate in the discussion. Now, the discussion and voting on the Demands for Grants is likely to be conducted today in the Lok Sabha. Accordingly, we may not have the opportunity to further discuss the Working of Ministry of Home Affairs for which the hon. Members have expressed their keenness on a number of occasions.

If the House so agrees, and to fructify the discussion on the Working of Ministry of Home Affairs, we may resume the discussion immediately after the Zero Hour today dispensing with the Question Hour, the lunch hour and the Private Members' Business listed for the day. This has become essential in view of the long-standing practice that once a mechanism is taken up in the Lok Sabha, we cannot have further discussion.

I may share it with the House, the experienced Members of the House, who happen to be floor leaders, concur with this. Hon. Members will thus get an opportunity to take Private Members' Bills at the next available opportunity on 4th April, 2025. Do I have the leave of the House? ...*(Interruptions)*... Ordered accordingly. ...*(Interruptions)*... Dr. Sasmit Patra, one second! I have got your impressioned letter but we have taken a view on the discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs for which Members are keen and the House has endorsed it. Yes!

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, there are two issues here. There are two important issues here. One is, this is what my Party feels, the Question Hour should remain as the Question Hour. This is number one. It is the only opportunity when a Member gets a direct chance to question the Government and the Government gets an opportunity to reply. Number two is Private Members' Bills. Private Members' Bills are very close to the hearts of many Members who do not get a chance. They are not in the first two rows. When the Private Members' Bills are taken up, that is the opportunity. What Lok Sabha has done, the Lok Sabha has done. But dispelling both the Question Hour and the Private Members' Bills to discuss the Working of the Ministry of Home Affairs is not the point of view of Trinamool Congress. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, announcement by Chair.

A petition under Rule 6 sub-rule (2) of the Members of Rajya Sabha (Disqualification on Grounds of Defection) Rules, 1985, was presented on 20th November, 2023 by Shri Praful Patel, then a Member of Council of States from Maharashtra, elected for the earlier term. This was as regards Shrimati Vandana

Content Page

Chavan, the then Member of Rajya Sabha, from 3rd April 2018 to 2nd April 2024, and Dr. Fauzia Khan, another Member of Rajya Sabha from 3rd April 2020 to 2nd April 2026 - her term continues. This was for my consideration.

On 21st November, 2023, another such petition was presented by Shrimati Vandana Chavan, Member, as regards Shri Praful Patel, Member of Council of States from Maharashtra from 5th July 2022 to 4th July 2026, his earlier term.

Both petitions were, in essence, under the Tenth Schedule to the Constitution provisions with regard to disqualification on ground of defection.

In the interregnum, Shrimati Vandana Chavan, upon completion of her tenure, ceased to be a Member of Rajya Sabha on 2nd April, 2024.

Shri Praful Patel, upon being re-elected to Rajya Sabha for six-year term with effect from April 3, 2024, resigned his incumbent seat then as Member of Rajya Sabha on 27th February, 2024.

While the issue was engaging my attention, two even dated communications were received on February 3, 2025 -- one from Shri Sharad Pawar, Leader of NCP-SP in the Rajya Sabha, and the other from Shri Praful Patel, Leader of NCP, both urging that no further action be taken in the matter.

After bestowing my earnest attention and after going into the tenability of the petitions, as also the contextual interventions, I find it expedient to give quietus to both the petitions and the same are accordingly disposed of. I am happy that the leaders cooperated. And such kind of cooperation would take place, I am sure, in further structured discussions that I have in mind.

**डा. सस्मित पात्रा** (ओडिशा ): सर, मेरा birthday request है।

**श्री सभापतिः** क्या?

**डा. सस्मित पात्राः** सर, मेरा 30 सेकंड का birthday request है।

MR. CHAIRMAN: I think we need to concede it. But I am sure ...

DR. SASMIT PATRA: Sir, I will be very brief. I am not contesting it. My only humble submission, before you, -- and you have rightly mentioned about my impassioned letter to you -- is that, actually, as Private Members, we go through a lot of work to prepare our Private Member Bills. And sometimes if it is not introduced in one Session, it gets prolonged into the next Session and we lose three, four months. Also, on 4th of April, the last day, generally, the practice has been — I am not saying on 4th, it will happen — that we wrap up in the first half of the day. Therefore, Private

Members Bills' introduction, at least, -- I am not talking about discussion -- and the Zero Hour submissions, you may kindly allow. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): On certain issues, we feel that the Government is not focussing on or does not have time to focus. The Private Members introduce a Bill or a Resolution. If is of importance very much. As you know very well, one of my Bills was passed here and it paved the way for a new legislation by the Government itself. So, Sir, kindly do not dispense of with the Private Members' Bills.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I had the good fortune while addressing the interns for Rajya Sabha that if we examine all the Private Member Bills right from the beginning, enormous wealth is there. A number of farsighted situations are indicated. They are ahead of times and what a gold mine it is. I kept on looking, and then constituted a committee to have a compendium for the benefit of Members that these Private Member Bills may not have ended in final culmination, but the idea given therein is great. But, I am sure, the hon. Member will recollect, there have been many instances where we have dispensed with both the Question Hour and the Private Members' Bills.

---

## OBSERVATIONS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have to also inform that Dr. Medha Vishram Kulkarni, Shrimati Phulo Devi Netam and Shrimati Sunetra Ajit Pawar, hon. Members of Rajya Sabha, recently participated in the important IPU Global Conference on Women Parliamentarians in Mexico from March 13th to March 15th, 2025. During the panel discussions in the Conference, all the three hon. Members effectively presented India's perspective on involving men in promoting gender equality. Very significant! Dr. Medha Vishram Kulkarni was elevated to the status of a panel member. I, on my own behalf and your behalf, congratulate all the three Members, Dr. Medha Vishram Kulkarni, Shrimati Phulo Devi Netam and Shrimati Sunetra Ajit Pawar for being the proud voice of India at this international forum, making a significant contribution to global gender equality and equity dialogue. Their contributions I have had the occasion to go through were meticulous and indicated India's position of pride in this domain.

---

Content Page

## MATTERS RAISED WITH PERMISSION

### Demand to create employment opportunities for women and dismantle the systemic barriers which prevent their participation in the workforce

MR. CHAIRMAN: Now, Sushri Dola Sen to raise Matter with permission on 'Demand to create employment opportunities for women and dismantle systemic barriers preventing their participation in the workforce'.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Thank you, Chairman, Sir, for giving me a chance to speak. My Zero Hour submission today is the need to improve India's female labour force participation. I am proud to say, as a woman, I am President of the AITC trade union wing for the State for 10 years and for the national level for four years, which is quite unlikely in the mainstream politics as trade union is generally a male-dominated sector. I am thankful to my party, All India Trinamool Congress, and our hon. leader, Ms. Mamata Banerjee.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN, *in the Chair.*)

Now, India's female labour force participation remains critically low. Recent Periodic Labour Force Survey indicates female youth labour force participation is 28 per cent only. Additionally, according to Time Use Survey, 2024, of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, females spend 289 minutes, on an average, in a day in unpaid domestic services for household members. Male members spend only 88 minutes in a day in such activities. This presents a significant challenge to both economic growth and gender equality.

Expanding vocational training and skill development, particularly in high growth sectors like technology, healthcare and e-commerce, will equip women with industry relevant expertise. Strengthening maternity benefits, investing in affordable childcare, promoting paternity leave can help balance care-giving responsibilities and making it easier for women to remain in the workforce. Moreover, enforcing anti-discrimination laws, ensuring equal pay and fostering leadership opportunities for women will improve workplace retention and advancement.

The Union Government must take urgent steps to create employment opportunities, implement policies that support women in the workforce and dismantle systemic barriers preventing their participation. Strengthening access to education,

vocational training and workplace flexibility can help bridge this gap and ensure greater economic inclusion for women in India.

Sir, according to our Constitution, everyone has equal rights irrespective of religion, language, caste, creed, gender, etc. But, crude reality is not likewise. Starting from agriculture and farming to tea estates, *bidi* industry, textile sector including jute mill finishing department and cotton industry, female workers neither get same wage nor even gets the mutual respect. And, obviously, the member of female labour force participation is declining gradually. Somehow, we have this attitude towards women in our mindset. So, even working women have to face this dignity issue by our society.

In our State of West Bengal, our hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, is doing a lot for women empowerment and for the social development of women as a whole. That is why Bengal is getting first prize in different aspects at national level and, not only that, Bangla is getting international acknowledgement through various awards by the UNICEF and the UNESCO, which is virtually strengthening our nation's pride.

Thank you, Sir, for allowing me to raise this important issue as Zero Hour submission. I am sure, you will definitely allow all of us to raise the issue of duplication of EPIC voter cards also, which affect both male and female population.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: On this issue, Dola*ji*. Speak on this issue only.

MS. DOLA SEN: Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Ms. Dola Sen : Smt. Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri Sanjeev Arora, (Punjab), Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Smt. Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Smt. Mausam B Noor (West Bengal), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Dr. V. Sivadasan (Kerala) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Shri Ramji Lal Suman - 'Demand to Amend University Grants Commission Act, 1956'.

## Demand to amend University Grants Commission (UGC) Act 1956

**श्री रामजी लाल सुमन** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, जब श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के शिक्षा मंत्री थे, तो सन् 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के गठन का मकसद यह था कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दी जाए तथा शिक्षा का संतुलित विकास हो। उपसभापति जी, ऐसा आभास होता है कि जिस मकसद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया था, वह मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है और यह आयोग अपनी सार्थकता खो रहा है, इसलिए बदलते परिवेश में इसके ऐक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता है।

उपसभापति महोदय, हमारे देश में अभी भी 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जिन्हें यूजीसी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। वर्ष 1956 में दंड का यह प्रावधान था कि अगर कोई फर्जी विश्वविद्यालय पकड़ा जाएगा, तो उसके उसके ऊपर 1,000 रुपये दंड का प्रावधान था।

उपसभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार से निरंतर आग्रह कर रहा है कि यह जो दंड का प्रावधान था, यह नहीं के बराबर है। इस एक्ट में संशोधन किया जाए और फर्जी विश्वविद्यालयों पर कम से कम 5 करोड़ रुपये का जुर्माना और 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाए और इसे गैर-ज़मानती अपराध की श्रेणी में रखा जाए, जिससे उच्च शिक्षा के काम में लगे हुए माफियाओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सके।

उपसभापति महोदय, पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में 400 राज-विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि बहुत तेज़ी के साथ शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को भी अनुमति मिल रही है। दो विदेशी विश्वविद्यालय, जिनमें एक गुजरात में और दूसरा हरियाणा में खुला है और जो गुड़गांव में विदेशी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, वह 'Southampton' के नाम से है।

उपसभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो एक्ट है, उस एक्ट में विदेशी विश्वविद्यालयों के खोलने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नियमों के विपरीत खोले जा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। महोदय, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भारत शिक्षा के अच्छे व्यापार की जगह है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा...

**श्री उपसभापति:** धन्यवाद। आपका बोलने का समय खत्म हो गया। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया सीट पर बैठ कर आपस में बात न करें। यहां बड़ी सार्थक बहत चल रही है, इसको शांतिपूर्ण ढंग से चलने दें।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Ramji Lal Suman: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri A. A. Rahim (Kerala) and Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra).

Now, Shri Chandrakant Handore; Demand to abolish Bodh Gaya Temple Act, 1949.

Content Page

## Demand to abolish Bodh Gaya Temple Act, 1949

**श्री चंद्रकांत हंडोर** (महाराष्ट्र): माननीय उपसभापति मोहदय, हज़ारों वर्ष पूर्व भारत देश के महान राजा सम्राट आशोक ने भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार-प्रसार और अमल करने के लिए बिहार के गया जिले में भगवान बुद्ध का भव्य मंदिर बनवाया।

बिहार सरकार ने 1949 में बोध गया मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए Bodh Gaya Temple Act, 1949 बनाया। इस अधिनियम के अनुसार मंदिर प्रबंधन समिति के 5 कुल 9 सदस्य की समिति बनी, उनमे 4 सदस्य हिन्दू और 4 सदस्य बौद्ध हैं और गया जिले के कलेक्टर पदासीन अध्यक्ष रहेंगे।

कुछ सालों से मंदिर समिति के सदस्यों में मंदिर को लेकर गम्भीर मतभेद चल रहे है। बोधगया मंदिर व्यवस्थापन के कुछ सदस्यों ने सत्य, अहिंसा, सदभावना, करुणा, प्रेम - भगवान बुद्ध की इस विचारधारा को नष्ट करने का षड्यंत्र शुरू किया है। यह बात जब देश के बौद्ध समुदाय में फैली, तब तमाम बौद्धों ने मंदिर समिति बर्खास्त करके बौद्ध मंदिर का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण बौद्ध समुदाय को दिया जाए, यह मांग की और देश भर में आन्दोलन शुरू किया।

महोदय, आज सभी धार्मिक संस्थानों के चाहे मंदिर हों, मस्जिद हों, चर्च हों या गुरुद्वारा हो, आम तौर पर उनके सबंधित समुदाय द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं, तो अभी यह सवाल उठता है कि महाबोधि मंदिर जो विश्व भर के लोगों का प्रेरणा स्रोत्र है, वह अपवाद क्यों बना हुआ है? बौद्ध मंदिर भी बौद्ध समुदाय को सौंपा जाना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने अनेक कालबाह्य ब्रिटिश अधिनियम रद्द किये हैं। इसी तरह बिहार सरकार के साथ विचार-विमर्श करके बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 रद्द कर के बौद्ध समुदाय को इस मंदिर का प्रबंधन देने के लिए नए कानून निर्माण करने की मांग मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से करता हूं।

महोदय, प्रधान मंत्री मोदी जी जब abroad जाते हैं, तब वहां कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध की भूमि से आया हूं। उन्होंने भगवान बुद्ध के पवित्र स्थल को जोड़ने के लिए बुद्ध सर्किट शुरू किया। हमारे नेता खरगे साहब के नेतृत्व में कर्णाटक में अत्यंत भव्य-दिव्य बुद्ध विहार की स्थापना भी की गई है। यह महान अनुभव जब देश में भगवान बुद्ध के विचार पर का काम करते हैं, तो बिहार के कुछ लोग, जो ऐसा काम कर रहे हैं, वह गलत है। सर, मेरी मांग है कि 1949 के एक्ट को abolish करना चाहिए और नया कानून बनाना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Chandrakant Handore : Smt. Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri. Manoj Kumar Jha (Bihar), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Prem Chand Gupta (Bihar) and Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana).

Content Page

Now, Shrimati Rekha Sharma on 'Demand to implement Creche Policy across the country to support working mothers and strengthen women's participation in the workforce'.

**Demand to implement Creche Policy across the country to support working mothers and strengthen women's participation in the workforce**

SHRIMATI REKHA SHARMA (Haryana): Mr. Deputy Chairman, Sir. I rise to emphasize the critical role of creche facility in boosting women's workforce participation and driving women-led development, a key pillar of *Viksit Bharat* 2047. Our structured childcare ecosystem is not just a social necessity but an economic imperative enabling women to contribute actively to nation building. Sir, under the visionary leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Government has championed women-led development, recognizing the empowerment of women, strengthening families, communities and the nation. His commitment to inclusive growth is reflected in the introduction of national minimum standard and protocol of creches, ensuring quality child care services, fostering a formal care economy, generating employment and reinforcing *Atmanirbhar Bharat*. The availability of creche facilities helps in reducing career breaks as many women are forced to leave their jobs due to lack of child care support. Haryana led the way as first to implement a Creche Policy in 2022, ensuring safe and accessible childcare for working mothers. It aims to open 500 creches under Creche Policy and has already opened 165 in first phase across 16 districts with plan to upgrade and equip them with modern facilities. The States like Karnataka and Odisha are also making progress. Sir, Creche Policy contributes to retaining experienced women professionals, thereby strengthening the economy and creating a more inclusive society. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Smt. Rekha Sharma: Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Subhash Barala (Haryana), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Now, Shri K. Vanlalvena on 'Demand for declaring Lianpui Village, Mizoram as National Importance.

## Demand for declaring Lianpui Village of Mizoram as National importance

SHRI K. VANLALVENA (Mizoram): Mr. Deputy Chairman, Sir, here is a brief history of ancient Menhirs in Lianpui village. Lianpui village is located at the extreme Eastern corner of Mizoram, near Myanmar boundary. The village is in Champhai district with 156 household. The Archeologists from Regional Archeological Survey of India, Guwahati, identified the ancient Menhirs of Lianpui village as one of the important Menhirs in Mizoram. Due to the initiative taken by Regional Archaeological Survey of India, Guwahati, these ancient Menhirs are proposed to become 'National Importance'. On 9$^{th}$ February, 2021, the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) issued preliminary notification in the Gazette of India which contained notice of its intention to declare the said Menhirs to be of 'National Importance'. The notification also stipulated that any objections to such declaration may be made to the ASI within two months from the date of its issue. It appears that no objections were received within the stipulated time frame. The Regional Archaeological Survey of India, Guwahati, and the Archaeological Office, Mizoram, said that they have done the needful for declaration of it to be as 'National Importance'. The only need to do is just declaring and issuance of notification. So, I kindly request the Union Government to declare Linpui village as 'National Importance'. Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri K. Vanlalvena: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri A. A. Rahim (Kerala) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Now, Dr. Sumer Singh Solanki — Demand to take preventive measures against rising incidents of road accidents in India.

## Demand to take preventive measures against rising incidents of road accidents in India

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी** (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नर्मदे हर। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान देश के एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य मार्गों के निर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। महोदय,

2014-15 में भारत में कुल 9,830 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने थे, जो कि मार्च, 2023 तक बढ़कर 1 लाख, 45 हज़ार, 155 किलोमीटर हो गए हैं। महोदय, यह एक ऐसिहासिक कार्य है।

माननीय उपसभापति महोदय, 2019 में 'मोटर वाहन अधिनियम' को कठोर बनाने के बावजूद भी भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है और यह हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2022 के मध्य देश में कुल 36 लाख, 2 हज़ार, 913 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 12 लाख, 1 हज़ार, 538 लोगों ने अपनी जानें गँवाईं। ऐसी दुर्घटनाओं से कुछ परिवार तबाह हो जाते हैं और अंग-भंग से भी लाखों भाइयों और बहनों की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 4 लाख, 29 हज़ार, 407 लोगों ने अपनी जान गँवाईं, स्टेट हाइवे पर होने वाली दुर्घटनाओं नें 3 लाख, 13 हज़ार, 917 लोगों ने अपनी जान गँवाईं एवं अन्य लिंक रोड्स और छोटी सड़कों पर हुईं दुर्घटनाओं में 4 लाख, 58 हज़ार, 214 लोगों ने अपनी जान गँवाई हैं। देश में होने वाली इन सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए इन्हें रोकने की चिंता करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं समाधान में सुखद परिणाम का भी जिक्र करना चाहता हूं। इंदौर के पास मानपुर घाट, जो गणेश घाट के नाम से प्रसिद्ध था, उस पर प्रतिवर्ष सैकड़ों भाइयों और बहनों की दुर्घटना में मौतें होती थीं, लेकिन हमारी सरकार द्वारा माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर एक नई सड़क का निर्माण हुआ है और पिछले तीन महीने में एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। यह हम सबके लिए एक सुखद सूचना और परिणाम है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह भी बताना चाहता हूं कि लिंक रोड्स और लोकल रोड्स पर होने वाली मृत्यु नेशनल हाइवे और स्टेट हाईवे पर होने वाली मृत्यु से कहीं ज्यादा है। महोदय, इन पर प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं, 19 मौतें और हर दिन 1,264 दुर्घटनाएं, 456 मौतें हो रही हैं। ये आंकड़े इस विकराल संकट की गंभीरता को दर्शाते हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, तेज गति से वाहन चलाने के कारण, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के कारण, शराब पीकर वाहन चलाने के कारण और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने कारण निरंतर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 'मोटर यान अधिनियम, 2019' में और कठोर कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके और जो प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक हमारे भाई और बहनें अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, उन्हें बचाया जा सके। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. Sumer Singh Solanki: Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Subhash Barala (Haryana), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Dr. Kalpana

Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Sandosh Kumar P (Kerala) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Now, Shri Prakash Chik Baraik - Request to release pending funds to the State of West Bengal used for key welfare and development schemes such as MGNREGS. माननीया श्रीमती ममता ठाकुर ने इस issue के साथ associate किया है।

**Request to release pending funds to the State of West Bengal used for key welfare and development schemes such as MGNREGS**

SHRI PRAKASH CHIK BARAIK (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for having given me the opportunity. महोदय, मेरा सरकार से पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य को विकास योजना, जैसे मनरेगा के लिए बकाया धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं आज आपका और केंद्र सरकार का ध्यान अपने राज्य पश्चिमी बंगाल से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, 2021 में हुए विधान सभा चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल राज्य को मनरेगा योजना के तहत उनका वैध हिस्सा नहीं मिल रहा है। 59 लाख गरीब मजदूर परिवार, जिन्होंने वैध तरीके से काम किया है, उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। वे गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। महोदय, 20, 25, एवं 50 दिन तक काम करने के बावजूद भी उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। उनका वेतन रोकने का प्रयास न केवल नैतिक मूल्य की दृष्टि से गलत है, बल्कि कांस्टीट्यूशन के मूल एक्ट की विशेषताओं का भी उल्लंघन है। महोदय, अक़सर बढ़ती कीमत एवं व्यापक बेरोजगारी के कारण इन मजदूरों को बिना वेतन अपनी जीविका का प्रबंध करना अत्यंत कठिन हो रहा है। वर्तमान में MGNREGS के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल 7 हज़ार करोड़ रुपये पाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत जो धनराशि मिलती है, उसको भी रोककर रखा हुआ है। महोदय, इसमें पश्चिमी बंगाल के 11 लाख गरीब परिवारों का पैसा रोका गया है। अगर देखा जाए, तो आवास के बकाये 8 हज़ार करोड़ रुपये रोके गए हैं। इसी तरह से अगर Department-wise आवास एवं 100 दिन का बकाया देखा जाए, तो 15 हज़ार करोड़ रुपये रोके गए हैं। यह अत्यंत दुख की बात है। डिपार्टमेंट-वाइज़ 1 लाख, 70 हज़ार करोड़ रुपया रोका गया। बंगाल की माननीय मुख्य मंत्री सुश्री ममता बंद्योपाध्याय की अगुवाई में मनरेगा के 25,000 वर्कर्स को पैसा दिया गया। 11 लाख नहीं, बल्कि 12 लाख परिवारों को घर के नाम में, बांग्लार बाड़ी के नाम पर 1,20,000 रुपये दिए गए, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा 31 दिसंबर तक दे दिया गया। धनराशि रोकना कांस्टिट्यूशनल एवं फेडरल स्ट्रक्चर का एक गंभीर उल्लंघन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीब विरोधी न बनें, जन विरोधी न बनें, लोकतंत्र विरोधी न बनें। * ...**(व्यवधान)**...

* *Not recorded.*

अंततः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन लाभार्थियों की धनराशि का भुगतान तुरंत करें एवं उनके अकाउंट में पैसा मिले और राज्य के अकाउंट में भी पैसा मिले। महोदय, *...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापतिः** धन्यवाद। यह बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी ...(व्यवधान)... आप केवल विषय पर बोल सकते हैं। अपने इस विषय के अलावा जो भी अतिरिक्त बात बोली है, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। You know the rules, please.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Prakash Chik Baraik: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Shri A. A. Rahim (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shrimati Mausam B Noor (West Bengal) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Now, Shri Amar Pal Maurya — 'Demand to establish Gram Sansad across the country under the Panchayati Raj system'.

## Demand to establish Gram Sansad across the country under the Panchayati Raj system

**श्री अमर पाल मौर्य** (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भारत मुख्य रूप से गांवों का देश है। भारत की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत गांवों में बसता है। मैं भी गांव का एक किसान हूं। महोदय, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि विकास और शासन के मुख्य तत्व बड़े शहर नहीं हैं, उनका केंद्र बिंदु ग्राम है और भारत देश गांवों में बसता है। गांवों की व्यवस्था केवल कुछ दशक पुरानी नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी व्यवस्था है।

महोदय, जिस प्रकार यह देश की संसद है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बैठकर देश के विकास की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से गांव की भी अपनी एक संसद हो और वहां पर गांव के विकास की चर्चा हो और उसकी योजना बने। महोदय, देश में ढाई लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और 6 हज़ार से ज्यादा ब्लॉक्स हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां ऐसी 58,194 ग्राम पंचायतें हैं, 7,32,000 से ज्यादा वार्ड के सदस्य हैं और 77 हज़ार से ज्यादा क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। महोदय, इन सबको मिलाकर एक ग्राम संसद की स्थापना हो और जैसे हम यहां बैठकर विकास की चर्चा करते हैं, वैसे ही वह अपने गांव की चर्चा का एक केंद्र बिंदु बने। महीने में कम से कम 10 दिन ग्राम के विकास की योजनाओं को ग्राम पंचायत में बैठकर चर्चा का केंद्र बिंदु बनाया जाए, चूंकि अभी देखा जाता है कि गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम सेक्रेटरी के बीच में ही गांव की पूरी योजना थैले में बंद रहती है। महोदय, पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे लोगों ने हमेशा सुधार की चर्चाएं की हैं, चाहे 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति हो, 1963 में के. संथानम की समिति हो, 1978 में अशोक मेहता की समिति हो, 1985 में जी.वी.के. राव की समिति हो और 1986 में

Content Page

एम.एल. सिंघवी जी की समिति हो। इन सभी समितियों ने इस पर चर्चा की है कि जब ग्राम आधारित व्यवस्थाएं होंगी, तब गांव का विकास होगा।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने गांव को केंद्र बिंदु बनाया है। विकास का केंद्र गांव को बनाया है। देश में जब 1857 की क्रांति हुई, तब अंग्रेजों ने गांवों की व्यवस्थाओं को देखा, इसलिए वे 1858 का एक्ट ले आए और गांवों की विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि गांवों में ग्राम संसद की स्थापना हो और गांवों के विकास की चर्चा हो, जिससे हमारी जो ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसे पुनः स्थापित करने में मोदी सरकार का योगदान है, वह आपके माध्यम से पुनः स्थापित हो। मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Amar Pal Maurya: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

---

12.00 **Noon**

### $ DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

MR. CHAIRMAN: Now, further discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs, raised by Shri Saket Gokhale on 19th March, 2025. *...(Interruptions)...* On 19th March, 2025, Dr. Sudhanshu Trivedi had not concluded his speech while participating in the discussion. Now, I call upon Dr. Sudhanshu Trivedi to conclude his speech. *...(Interruptions)...* Dr. Sudhanshu Trivedi.

**डा. सुधांशु त्रिवेदी:** माननीय सभापति महोदय, जब मैं उस दिन अपना वक्तव्य दे रहा था, तो समाप्त होते समय माननीय गृह मंत्री जी ने आदेश दिया था कि जो संख्या मैंने approximate बताई थी, मैं उसको थोड़ा सुधार दूँ । ...(**व्यवधान**)... इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली लोक सभा में सबसे बड़ी जीत असम की धुबरी सीट पर 10,12,476 वोट से हुई थी, जहाँ सबसे बड़ा demographic change हुआ है। ...(**व्यवधान**)... परंतु इस सुधार के साथ मैं कुछ निखार या विकार भी बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछला लोक सभा चुनाव भारत के इतिहास

$ Further discussion continued from the 19th March, 2025.

Content Page

का एकमात्र चुनाव था, जहाँ बंगलादेश के अखबार में इनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, अखबार का नाम 'The Daily Star' है, जिसमें उन्होंने एक article लिखा, जिसका शीर्षक था - 'Modi Might Loose'. ...(**व्यवधान**)... मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि बंगलादेश के अखबार में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि 'Modi Might Loose'. ...(**व्यवधान**)... इसका और जीत का क्या connection है, यह मैं प्रबुद्ध सांसदों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यह चिंता सिर्फ हमारी नहीं थी। मैं एक वाक्य quote करना चाहता हूँ और वाक्य है - The infiltration has become a disaster now. I have both the Bangladeshi and Indian voter list. This is a very serious matter. I would like to know when it would be discussed in the House. ...(**व्यवधान**)... सर, आपको पता है कि यह किसने बोला था? ममता बनर्जी द्वारा 4 अगस्त, 2005 को इसी भारत की संसद में बोला गया। अब बताइए, तब ये यह कहते थे और आज ये यह कर रहे हैं, इसे कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान! ...(**व्यवधान**)...

अब मैं इसी भाव के अनुसार यह भी कहना चाहता हूँ, जो पूरी संसद का विचार था। जब माननीय गृह मंत्री जी CAA का प्रस्ताव लाए, ...(**व्यवधान**)... तो उस समय पूरे देश में शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया गया और नाना प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए कि अमुक को क्यों नहीं दिया जा रहा है, दूसरे को क्यों नहीं दिया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

*(इस समय, कुछ माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)*

मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमसे उस समय पूछते थे कि CAA का legislation, जो Home Ministry लाई थी, उसमें persecution क्यों नहीं दिख रहा था, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अब तो कम से कम बंगलादेश की घटनाओं के बाद उन लोगों को माफी माँगनी चाहिए, जिन लोगों को persecution नहीं दिखाई पड़ रहा था। उनके लिए मैं अटल जी की कविता की वह पंक्ति quote करना चाहता हूँ किः

*जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई,*
*वे अब तक हैं खानाबदोश गम की काली बदली छाई।*
*हिन्दू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती,*
*तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहाँ कुचली जाती।*

मगर अफसोस की बात यह है कि जब ये सीमा के पार देखते हैं, तो ये अपने ट्वीट में 'Crime Against Humanity' शब्द गाज़ा के लिए लिखते हैं, बंगलादेश के लिए नहीं लिखते हैं। उससे भी साफ समझ में आ जाता है कि सीमा के पार इनकी दृष्टि कहाँ और किस रूप में आती है।

अब मैं यह भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे साथी ने कहा कि गृह मंत्रालय किसी राज्य में हस्तक्षेप कर रहा है, परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि विपक्षी राज्यों ने गृह मंत्रालय में हस्तक्षेप किया है। नागरिकता को लेकर कानून बनाना केवल केन्द्र सरकार का अधिकार है और संबंधित मिनिस्ट्री है - गृह मंत्रालय। जब नागरिकता को लेकर CAA

कानून बना, तो एक नहीं, अनेक राज्य विधान सभाओं ने उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। इसलिए अपने fact को check कर लें। यह गृह मंत्रालय में विपक्षी राज्यों का हस्तक्षेप था और इसी के साथ-साथ संविधान के लिए भी यह एक बहुत बड़े खतरे की बात थी, क्योंकि केन्द्र से पारित कानून के विरुद्ध कोई राज्य सरकार प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती।

सभापति महोदय, रही बात, जो इनके दिल में दर्द है कि agencies के कारण बहुत से नेता जेल जा रहे हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं। जब सोनिया जी और राहुल जी पर केस दर्ज हुआ था, वह अक्टूबर, 2013 था, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी; कनिमोझी और राजा जी 2011 में जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी; सुरेश कलमाडी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी; शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी; मधु कोड़ा 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी; मुलायम सिंह, मायावती जी पर 2004 में केस हुए, हमारी सरकार नहीं थी; करुणानिधि जी 2000 में जेल गए, लालू यादव जी 1997 में जेल गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सर, राजीव गाँधी जी पर आरोप 1987 में और FIR 1990 में हुई! मेरे भाई, हम लोग पढ़ाई करते हुए, आप लोगों को अंदर-बाहर, अंदर-बाहर कोर्ट-कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए प्रौढ़ावस्था में आ गए और फिर 2014 के बाद की पर्ची आप हमारे नाम की फाड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। ईमानदारी से उनको आत्मावलोकन करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय आरोप लगाने के। हां, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस कार्यकाल में गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा काम क्या किया - इस देश को वास्तविक रूप में सेक्युलर बना दिया, समग्र रूप से सेक्युलर बना दिया। सर, वह काम क्या था, कि 1976 में जब Constitution Amendment करके, Constitution में 'Secular' word जोड़ा गया, तो कश्मीर की विधानसभा ने उसे accept नहीं किया था, इसलिए इस देश में एक ही राज्य ऐसा था, जो संवैधानिक दृष्टि से सेक्युलर नहीं था, लेकिन जब 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 हटी, तो यह पूरा देश वास्तविक अर्थों में सेक्युलर हो गया। मुझे लगता है कि इसके लिए गृह मंत्रालय को बधाई दी जानी चाहिए।

सर, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, 'कुंभ मेला' हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परन्तु यह भी सत्य है कि यह इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा, क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा या सुरक्षा को लेकर कोई अटैक हुआ? यदि यह नहीं हुआ, तो मैं मानता हूँ कि इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की जो सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी, वह भी बधाई की पात्र है।

सभापति महोदय, वैसे मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा। कुंभ मेले में जो कुछ दिखाई पड़ा था, उसके बारे में कम से कम मैं एक नेगेटिव बात नहीं कह कर, एक पॉजिटिव बात कहना चाहूँगा कि इसमें 66 करोड़ लोग आए, विदेश से लाखों लोग आए, 73 देशों के राजनयिक आए, 100 से अधिक देशों से लोग आए। वो यहां आकर, क्या देखकर चौंक जाते थे? महोदय, कोई कहता था कि दुनिया में सब कुछ पैसे के लिए होता है - मार्क्स, तो कोई कहता था कि physical pleasure के लिए होता है- फ्रायड, तो कोई कहता था कि name and fame के लिए होता है। परन्तु पश्चिम

के लोग जब हमारे यहां आकर नागा सन्यासियों को देखते थे, तो क्या आप जानते हैं कि वे क्यों चौंक जाते थे? अगर मैं उसे एक पंक्ति में कहूँः

वे सुख खोजें भौतिकता में,
मदिरा में, मांस की बोटी में,
ये भस्म रमाए अपने तन पर,
खुश हैं सिर्फ लंगोटी में।

तो मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, फ्रायड भी फेल। इसलिए भारतीय संस्कृति के बारे में कम से कम यह प्रेरणा लेनी चाहिए। परन्तु मैं क्या कहूँ, दुनिया की सबसे एडवांस कंपनियों में से एक, Apple के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी यहाँ आईं और अपना नाम भी उन्होंने 'कमला देवी' रखा, परन्तु यहां कुछ लोगों को उसके बाद भी उसमें स्नान करने में समस्या नजर आई। तो मैं ईमानदारी से और विनम्रता से यह कहना चाहता हूँ कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। गंगा जल का सम्मान सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं है, बल्कि काबा में भी यह 'आब-ए-ज़मज़म' है। वहां के जल को भी वैसे ही पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उससे पाप कटते हैं। जब आप वेटिकन सिटी जाते हैं, तो पोप भी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं और कहते हैं —"This absolves you from all the sin." मैं चुनौती से कहता हूँ कि क्या इनमें से कोई किसी के बारे में बोल सकता है? आप सबका सम्मान करिए, परन्तु सनातन का अपमान मत करिए। मैं मानता हूँ कि 'eradication of *Sanatana dharma*' आपका विचार है, परन्तु उसे आप कम से कम अपने राजनीतिक वक्तव्यों में लाने का प्रयास मत करिए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी हमारे डीएमके के लोग delimitations के बारे में बोल रहे थे। उनकी concern समझी जा सकती है, परन्तु मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि यदि उनको जनसंख्या के बारे में यह लगता है कि यह संख्या किसी जगह बढ़ रही है और किसी जगह नियंत्रित है, चूंकि उन्होंने उसे नियंत्रित किया है, तो सर, ये सिर्फ ज्योग्राफी पर ही है या सोसाइटी पर भी लागू होगा? अगर किसी समूह की, धार्मिक समूह या मजहबी समूह की जनसंख्या बढ़ी है और दूसरे ने उसे नियंत्रित किया है, तो सर, उस पर तो नहीं चर्चा होनी चाहिए! सिर्फ ज्योग्राफी पर होनी चाहिए, सोसाइटी पर नहीं होनी चाहिए! मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि यदि इस पर विचार करें, तो आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने का समर्थन करिए। मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर ईमानदारी से काम करने का प्रयास करना चाहिए।

सर, अब मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि राज्यों का समन्वय भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, परन्तु राज्यों के समन्वय का विषय दोनों तरफ से होता है। समन्वय का दायित्व राज्यों के ऊपर भी है और केंद्र के ऊपर भी है, इसीलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं। परन्तु जब ऐसी बातें उठती हैं कि किसी राज्य का कोई मंत्री कहता है कि वहां टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो हमें अलग हो जाना चाहिए, तो किसी राज्य का मंत्री उत्तर भारत के किन्हीं राज्यों के लिए या बिहार के लिए आपत्तिजनक बातें कहना शुरू करता है, तो इससे राज्यों का जो समन्वय है, वह गिरता है। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि समन्वय का सबसे दुःखद उदाहरण यह था कि इसी संसद के एक सदस्य ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी

Content Page

जीत के बाद - इस सदन के नहीं, किसी दूसरे सदन के सदस्य ने यह वाक्य बोला था कि 'भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है।' सर, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जिनके दिमाग में मैकाले और मार्क्स का virus भरा है, उन्हें बताना चाहता हूँ कि गोमूत्र का antibacterial, antifungal और anticancer के लिए medicinal patent है और उस पेटेंट का नंबर है – 6410059. तो मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया जाकर अपने मन से मैकाले और मार्क्स का मैल साफ करिए, तो राज्यों में समन्वय बहुत बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैंने जहाँ से बात प्रारंभ की थी, वहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक दौर में एक फिल्म आई थी, जिसका नाम था 'अ वेडनसडे'। जिसमें नसीरुद्दीन शाह जी ने एक आम आदमी का रोल किया था और उसमें एक डायलॉग था, जिसमें वे कहते हैं कि जब व्यक्ति घर से निकलता है, तो हर एक-दो घंटे के बाद उसकी पत्नी पूछती है - ऑफिस पहुँच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, वापस आ रहे हो कि नहीं, तो उन्होंने कहा। वह इसलिए नहीं पूछती कि वह यह जानना चाहती कि चाय पिया की नहीं, खाना खाया कि नहीं, बल्कि वह दौर था, जिसमें वह कह रहा है कि वह इसलिए पूछ रही है कि वह जानना चाहती है कि तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि वह दौर था इनकी सरकार का, जिस जमाने में घर से आदमी निकलता था - उसने कहा, लगता है जंग पर निकाल रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह कह रहा होः

*उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,*
*न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।*

मगर हमारी सरकार आने के बाद उस शाम के बाद जो सुबह हुई है और गृह मंत्रालय ने जो काम किया है, वह पूरे देश को दिखाई पड़ता है।

सर, अंत में, मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि मैं यह मानता हूँ कि हमारे गृह मंत्रालय ने जो काम किया है, वह संवेदना, संकल्प, समन्वय और सुदृढ़ता के साथ किया है। मणिपुर जैसे विषयों के लिए पूरी संवेदना से काम किया है, कश्मीर जैसे विषयों के लिए संकल्प के साथ काम किया है, राज्यों के साथ समन्वय के लिए समन्वय की भावना से काम किया है और आंतरिक सुरक्षा के लिए पूरी सुदृढ़ता के साथ काम किया है। जब कठोर निर्णय लेने होते हैं और देश की सुरक्षा को लेकर कुछ कठोरता करनी होती है, तो कुछ लोगों को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूँगा, मगर उनको कहने का हक नहीं है, जिनके जमाने में तबाही का मंजर दिखा था। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और माननीय प्रधान मंत्री जी की तरफ से सिर्फ एक पंक्ति कह कर अपनी बात सामप्त करना चाहूँगाः

*चमन को सींचने में पत्तियाँ कुछ झड़ गई होंगी,*
*यही इल्जाम है मुझ पे चमन से बेवफाई का*
*मसल डाला जिन्होंने कलियों को खुद अपने हाथों से,*
*वे दवा कर रहे हैं अब चमन की रहनुमाई का।*

धन्यवाद!

SHRI VIVEK K. TANKHA: Sir, one minute... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Only to satisfy the urge of my very dear friend, Shri Jairam Ramesh, let me say that the Party of Dr. Sudhanshu Trivedi had extended time. I have done that on multiple occasions on this side also, at your request. Shri Ajay Makan; you have 25 minutes. You have a very captivating smile. I am sure you would continue with it.

SHRI AJAY MAKAN: I will, Sir. आपके आशीर्वाद से जरूर।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

**श्री अजय माकन** (कर्नाटक): सर, गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत तौर पर मैं यह समझता हूँ कि इसमें आज मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं अपने आपको बड़ा खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि इस मंत्रालय में बतौर एमओएस मैंने काम किया और चिदम्बरम साहब उस वक्त गृह मंत्री थे और मैं उस वक्त उनका गृह राज्य मंत्री था। इन्होंने मुझे जिन बहुत सारे विभागों में काम करने का मौका दिया, उनके अंदर मैंने इनसे सीखा, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों में कुछ सकारात्मक सुझाव देने का कोशिश करूँगा। मेरे से पूर्व के दोनों वक्ताओं में से एक, वन लाइनर में विशेषता रखते हैं और दूसरा poetry में विशेषता रखते हैं। मैं इन दोनों का मुकाबला तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इस गृह मंत्रालय के अंदर जो सीखा है, उसके अनुसार सकारात्मक विपक्ष, सजग विपक्ष के तौर पर मेरी यह कोशिश होगी और मैं कुछ सुझाव भी दूँ।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)** *पीठासीन हुए।*]

उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं दिल्ली से शुरू करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली के अंदर कोहाट एन्क्लेव में एक वृद्ध दंपति की हत्या हो गई और दो-तीन दिन पहले ही दिल्ली के चाँदनी चौक इलाके में एक व्यापारी से 80 लाख रुपए छीन कर भाग गए। दिल्ली इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्राइम कैपिटल बन गया है। दिल्ली सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आता है। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अंदर आती है। इसके बावजूद यह हो रहा है। पूरे कंट्री में दिल्ली में highest police population ratio है। दिल्ली के अंदर लगभग 11 से 12 हजार करोड़ रुपए के बीच केंद्र सरकार खर्च करती है, इसके बावजूद यह हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े निकाले, जिन्हें मैं आपके माध्यम से सदन में शेयर करना चाहता हूँ। पूरे हिन्दुस्तान में क्राइम अगेंस्ट विमेन की रेट 66.4 है, यानी एक लाख में 66 महिलाओं के ऊपर क्राइम होता है। यह पूरे हिंदुस्तान की रेट है। पूरे हिन्दुस्तान में यह 66 है और दिल्ली में यह 144 है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर वन रैंक पर कौन है, तो वह दिल्ली है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में पूरे हिंदुस्तान की रेट 36 है, जबकि दिल्ली की रेट 134 है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रैंकिंग में नंबर वन कौन है? वह दिल्ली है। क्राइम अगेंस्ट सीनियर

सिटीजंस की रेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर 27.5 है, जबकि दिल्ली में यह 114 है। इसमें दिल्ली की रैंक नंबर वन है। आज दिल्ली, जो केन्द्र की पुलिस के सीधे-सीधे अंडर आती है, उसकी यह स्थिति है।

सर, मैं बहुत बड़ी-बड़ी बातें, वन लाइनर्स या पोएम के माध्यम से नहीं, बल्कि विशुद्ध आंकड़ों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ और इसमें आगे मेरे सुझाव भी हैं। अगर हम सारे मेट्रोपोलिटन सिटीज़ का टोटल पेंडिंग केसेज़ फॉर ट्रायल देखें, तो क्राइम अगेंस्ट वूमेन के मुंबई में करीब 31,000 केसेज़ कोर्ट में पेंडिंग हैं, कोलकाता में 15,000, बेंगलुरु में 18,000, हैदराबाद में 10,000 और दिल्ली में 77,000 केसेज़ कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं। जब मैंने एनसीआरबी के 2016 के फिगर इसको कम्पेयर किया, तो 2016 में एनसीआरबी ने कहा था कि दिल्ली में तब 29,000 केसेज़ पेंडिंग थे, जो अब 77,000 हो गए। यही नहीं, इसके साथ अगर हम क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन का आंकड़ा देखें, तो मुंबई में 10,000, कोलकाता में 3,000, बेंगलुरु में 3,000, हैदराबाद में 1,600 और दिल्ली के अंदर 19,000 केसेज़ कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं।

महोदय, इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पेंडिंग केसेस में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। अभी तक तो पिछले 10 वर्षों की बात समझ में आती है कि इधर की बात उधर, उधर से इधर, लेकिन अगर ये पेंडिंग केसेज़ ट्रायल कोर्ट के अंदर कम कर दिये जाएँ और न्याय जल्दी मिलना शुरू हो जाए, तो आगे आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और दिल्ली, जो क्राईम अगेंस्ट विमेन, क्राईम अगेंस्ट चिल्ड्रन और क्राईम अगेंस्ट सीनियर सिटीजंस, इन तीनों में नंबर वन बनी हुई है, यह नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय लेना चाहूंगा। अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था। परसों, पंजाब के अंदर फार्मर्स को उठाकर फेंक दिया गया। जब मैं इस स्पीच की तैयारी कर रहा था, तो मुझे याद था कि चिदम्बरम साहब ने मुझे BPR&D दिया हुआ है। BPR&D के अंदर एजिटेशन का एक अच्छा चैप्टर होता था। वह एजिटेशन का चैप्टर बताता था कि देश भर में कितने कम्युनल एजिटेशंस हुए, कितने स्टूडेंट्स एजिटेशंस हुए और कितने फार्मर्स एजिटेशंस हुए। ये सारे के सारे एजिटेशंस वह चैप्टर बताता था। अगर आप इस चैप्टर को देखें, तो इसके अंदर राज्यवार पूरे के पूरे आंकड़े होते थे और टेबल्स होते थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता था। मैंने सोचा कि इसको लेटेस्ट BPR&D की रिपोर्ट में देखते हैं। जब मैंने BPR&D की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी, तो उसमें एजिटेशन का चैप्टर गायब! पिछले साल की देखी, उसमें गायब! मुझे 2017 में एजिटेशन का आखिरी चैप्टर मिला। जब हमारी डिपार्टमेंट रिलेटेड मीटिंग हुई, तो मैंने उसके अंदर यह बात रखी। मैं राधामोहन अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे हमें पूछने की इजाजत देते हैं, फ्रीडम देते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। मैं अपोजिशन में होने के बावजूद आज उनको यहां पर ऑफिशियली धन्यवाद करता हूँ कि ये सब चीजें रिकॉर्ड पर आती हैं। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में जब मैंने इसको उठाया और उसके अंदर जो जवाब आया, वह रिपोर्ट के अंदर है, जिसकी मैं केवल दो पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पैरा 4.13.3 में यह कहती है, "यह पूछे जाने पर कि आंदोलन अध्याय का प्रकाशन कब से बंद हुआ, सूचित किया गया कि भारत में आंदोलनों पर डेटा 2004 से 2017 तक डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बाय BPR&D में प्रकाशित किया गया था, हालांकि 2017 के

बाद इस अध्याय को बंद कर दिया गया।" उसमें आगे इसका कारण बताया गया है, जो बहुत ही ध्यान से सुना जाने वाला है। "मंत्रालय की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, एनसीआरबी द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट में लोक शांति के विरुद्ध अपराध श्रेणी के तहत पहले से ही इस तरह के डेटा प्रकाशित किए जा रहे हैं।"

मैं फिर पढ़ना चाहता हूं कि भारत में अपराध रिपोर्ट (Crime in India Report) में Crime Against Public Tranquility के अपराध श्रेणी के तहत पहले से ही आंदोलन के इस तरह से डेटा प्रकाशित किए जा रहे हैं, इसलिए निर्णय लिया गया कि NCRB इस डेटा को प्रकाशित करना जारी रखेगा और अब BPR&D इसे प्रकाशित या एकत्रित नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि गृह मंत्रालय यह मानता है कि आंदोलन अपराध की श्रेणी में है, आंदोलन करना एक क्राइम है। चूंकि आंदोलन को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और NCRB उसका डेटा रखता है, इसलिए agitation का चैप्टर BPR&D में डालने की ज़रूरत नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठता है कि क्या आंदोलन अपराध की श्रेणी में आता है? जब वंचित एवं शोषित व्यक्ति हर जगह से हारकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज जनता के सामने रखते हैं, तो क्या वे अपराधी बन जाते हैं? क्या वे अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं?

मूल प्रश्न यह है कि क्या हमारे किसान अपराधी हैं? क्या हम लोकतंत्र में हैं या एक पुलिस स्टेट में? जबकि लोकतंत्र में agitation का डेटा इकट्ठा करने की जगह - अब जो Public Tranquility को बाधित करेगा, वह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।

साथ ही, मैंने देखा कि आंदोलन के चैप्टर को किस तरह से परिभाषित किया गया है। हमारे समय में agitation को जिस तरह परिभाषित किया जाता था, वह असल में महात्मा गांधी के agitation की परिभाषा थी, जो यह कहती है, "Agitations are collective expression of dissatisfaction with the State authorities and others on a variety of issues, like education, essential services, transport facilities, wages, etc. In a democratic system, expression of protest by different groups, sub-groups or public is a common feature. Police personnel of both States and the CAPFs need to consciously strive for upgrading their professional skills and behavioural skills in order to manage crowd agitated over any perceived, real or imaginary cause of injustice, dissatisfaction against the authorities or some other sections of the society, without use of force as far as possible."

उपसभाध्यक्ष महोदय, आंदोलन की जो मूल भावना थी - लोकतंत्र के अंदर agitation करने का जो अधिकार दिया गया था, उसे एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। आप आंकड़ों में फर्क देखिए। वर्ष 2016 के आंकड़े, जो 2017 की रिपोर्ट में आखिरी बार प्रकाशित किए गए थे, BPR&D के agitation chapter में 1,15,000 आंदोलन दर्शाए गए थे। वहीं, 2016 के एनसीआरबी की अपराध श्रेणी के अंतर्गत मात्र 72,000 आंदोलन मेंशन किए गए, यानी 37 परसेंट आंदोलन गायब कर दिए गए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की यह मंशा है कि न केवल इस agitation के chapter को हटा दिया जाए, बल्कि हमारे देश के अलग-अलग स्थानों पर हो रहे आंदोलनों पर भी किसी न किसी बहाने पर्दा डाल दिया जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, बेशक कुछ लोगों को इसका

Content Page

महत्व समझ नहीं आएगा, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है - यदि आप इस पर चादर डालेंगे, इन बातों के ऊपर कंबल डालेंगे, तो अफवाहें फैलाने वाले और असत्य बोलने वाले किसी भी प्रकार के आंकड़े देंगे, और हम उन्हें किसी भी तरीके से सही करने की स्थिति में नहीं होंगे।

इसलिए, मैं गृह मंत्रालय से पुनः अनुरोध करता हूँ कि BPR&D का जो agitation पर आधारित चैप्टर है, जिसे हमने वर्ष 2004 में शुरू किया था, जिसे आपने 2017 में बंद कर दिया, उसे फिर से शुरू किया जाए। उसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन करना कोई अपराध नहीं होता।

जब आप लोग भी अपोज़ीशन में थे, बीजेपी जब अपोज़ीशन में थी - हम लोग भी छात्र आंदोलनों से निकले हैं, ट्रेड यूनियनों से जुड़े रहे हैं, आंदोलन किए हैं। हमने वे आंदोलन भी किए हैं, जिनके लिए पुलिस परमिशन होती है, जनता के बीच धरने पर भी बैठते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं, तो क्या हर आंदोलन को अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा? उन आंदोलनों की पूरी लिस्ट और उनकी जानकारी पूरे देश के सामने एनुअल रिपोर्ट में आनी चाहिए। यह मेरा गृह मंत्रालय से विनम्र निवेदन है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत एक प्रकार से स्वर्णिम काल की दहलीज पर खड़ा है। इस स्वर्णिम काल का कारण और कोई नहीं, बल्कि हमारे युवा हैं। हमारे देश की युवा आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। हमारे देश की 65 परसेंट आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, और यदि औसत आयु निकाली जाए, तो वह 28 वर्ष आती है। यानी हमारी आधी आबादी 28 वर्ष से कम है। अगर हम डेवलप कंट्रीज़ के साथ मुकाबला करें, तो जापान के अंदर median value, मध्यम आयु है, वह 49 वर्ष है। जर्मनी के अंदर 47 वर्ष की है, अमरीका के अंदर 39 वर्ष की है और हम 28 वर्ष पर हैं। हमारे सामने यह एक opportunity है, जिसको हम demographic dividend कहते हैं, हमारा जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, जिसका हम लोगों को फायदा मिल रहा है। सर, यह demographic dividend का विंडो, यह खिड़की हमेशा-हमेशा के लिए हमारे सामने खुली हुई नहीं है। यह केवल अगले 25 वर्षों के लिए है, जो कि 2050 आते-आते हमारी मध्य आयु, हमारे देश की 28 वर्ष से बढ़कर 39 वर्ष हो जाएगी, जो आज अमरीका की है। वह हमारे सामने केवल 25 वर्ष है, जिसमें हम लोग इस युवा आबादी का फायदा उठा सकें, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश के खिलाफ साजिश हो रही है, जिसको रोकने के अंदर हमारी केन्द्र सरकार और गृह मंत्रालय मुझे लगता है कि विफल हुई है और उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, वह नशे की शिकार हो रही है। आज हमारे देश के अंदर नशे की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं और उसके मैं आंकड़े देना चाहता हूं, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 2010 और 2014 के बीच में पूरे देश में कुल एनडीपीएस की घंटनाएं, नशे की घटनाएं 33 हजार थीं। 2022 की लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि ये घटनाएं 33 हजार से बढ़कर 1 लाख, 15 हजार हो गई हैं, यानी चार गुना से भी ज्यादा हो गई हैं। वर्ष 2010 से 2014 के बीच में यह रेट प्रति लाख पॉपुलेशन पर 2.7 का रेट था। आज यह रेट 8.7 का है, यानी 2.7 से बढ़कर 8.7 हो गया है और यह हर साल बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि यह एकदम झटके से बढ़ गया है। वर्ष 2017 में रेट 5 था और टोटल इंसिडेंट्स 64 हजार थे। 2019 में 5.4 रेट था और टोटल घटनाएं 73 हजार थीं। 2021 में 6.3 रेट था और घटनाएं 78 हजार थीं और 2022 में रेट 8.7 था और टोटल घटनाएं 1 लाख 15 हजार हो गई हैं, अगर 2010 और 2014 के बीच में

देखें, तो यह चार गुना बढ़ गई हैं। 10 वर्षों के अंदर एनडीपीएस की घटनाओं में 247 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, जहां पर पुलिस भी इनकी है। जहां पूरे राष्ट्र में 247 परसेंट बढ़ा है, वहीं दिल्ली के अंदर 546 परसेंट बढ़ा है। 2015 में जहां पर केवल 277 घटनाएं एनडीपीएस की हुई थीं, 2024 में बढ़कर ये 1,789 घटनाएं हो गई हैं। दिल्ली में एनडीपीएस की घटनाओं में 546 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। आज देश के अंदर दिल्ली की यह स्थिति है। यही नहीं, अभी दो दिन पहले राज्य सभा के अंदर रणदीप सुरजेवाला जी के एक प्रश्न का जवाब दिया गया कि कहां-कहां, किस तरीके के कितने ड्रग्स seize किए गए? इसकी पूरी लंबी लिस्ट है, उसमें से मैंने निकाला कि सिंथेटिक ड्रग्स की क्या स्थिति है। उसके बारे में मेरी चिंता है और मैं गृह मंत्री जी को उसके बारे में बताना चाहता हूं। सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि सिंथेटिक ड्रग्स खतरनाक होता है और उसको लैबोरेटरी में प्रोडयूस किया जाता है। यदि सिंथेटिक ड्रग्स की आदत पड़ जाए, तो छूटनी मुश्किल होती है और सिंथेटिक ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक, नए आयाम के ऊपर ड्रग्स के अंदर और नारकोटिक्स के अंदर लेकर जाने वाली चीज़ है। इसमें कुल 6 सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में लिस्ट थी और उसमें 2022, 2023 और 2024 में कितने किलोग्राम में पकड़े गए, इसके बारे में लिखा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 2022 से 2024 में कितने-कितने किलोग्राम में पकड़े गए, उसके आंकड़ों के हिसाब से आप अंदाजा लगाएं कि क्या फर्क है? 2022 में ATS में 1,224 किलोग्राम पकड़ा गया और 2024 में 8,200 किलोग्राम पकड़ा गया। यह करीब सात गुना ज्यादा पकड़ा गया। Ketamine, 2022 में 3 किलोग्राम और 2024 में 65 किलोग्राम पकड़ा गया। यह 22 गुना बढ़ गया। LSD 2022 में ज़ीरो, 2023 में ज़ीरो मिला और 2024 में एक किलोग्राम, यानी शुरू हो गया। MDMA 2022 में 63 किलोग्राम और 2024 में 195 किलोग्राम पकड़ा गया। Mephedrone 2022 में 2,872 किलोग्राम और 2024 में 3,559 किलोग्राम पकड़ा गया।

महोदय, Mescaline 2022 में 2 kilogram और 2024 में 25 kilogram. उपसभाध्यक्ष महोदय, ये synthetic drugs, जो दो सालों के अंदर 20-22 गुना तक बढ़ रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस जगह पर हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बोलने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो आंकड़े हमें दिए हैं, मैं इस हाउस में वे ही बोल रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि गृह मंत्री जी इसका जवाब दें। जो चीज़ अच्छी लगे, उसे मानें और जो अच्छी न लगे, उसे न मानें। हम अपोजिशन में होने के नाते गृह मंत्री जी को यही सुझाव दे सकते हैं और ये बातें उनके सामने रख सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि पहले drugs और narcotics आते हैं, फिर gangwar और terrorism आते हैं। पंजाब के अंदर हो ड्रग्स का परसेंट है, मैं उस पर भी बताऊंगा। महोदय, यदि यह पूरे देश में 8.7 परसेंट है, तो पंजाब में यह रेट 40 है। महोदय, देश का रेट 8.7 है और पंजाब का 40 रेट है। हमारे एक साथी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर Zero Hour में इस पर बोलने का नोटिस दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पूरे देश में ड्रग्स का रेट 8.7 है, तो यह केरल में और भी खराब है। यह रेट केरल में 74 परसेंट है। उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि यह साजिश नहीं है, तो क्या है? हमारे देश के युवाओं के साथ, कुछ राज्यों में, खास तौर पर जहाँ हमारे border States हैं, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं?

महोदय, पाकिस्तान से drone के माध्यम से हमारे यहाँ पर 5-5 किलो ड्रग्स आ रहा है। महोदय, इसको कौन रोकेगा? 50 kilometre BSF को जो empower किया है, वह किसने किया है? वह आपने किया है। यदि यह आपने किया है, तो drones को कौन रोकेगा? आप सभी लोग जानते हैं कि बाहर से, पंजाब के अंदर ड्रोन्स के माध्यम से 5-5 किलो ड्रग्स आ रही हैं। पंजाब के अंदर गैंगस्टर्स जेल से इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। महोदय, यह terrorism का उठता हुआ नाग नहीं है, तो क्या है?

महोदय, हाल के वर्षों में Punjab police stations पर grenades से हमले हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की लक्षित हत्याएं हो रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय network की संलिप्तता द्वारा हुए चिह्नित किये गये हैं। 2022 से लेकर अभी तक कम से कम 15 प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जिसमें RPT rocket चले, ग्रेनेड से विस्फोट हुए। इसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे खालिस्तान समर्थक समूहों से जुड़ी हत्याएं भी शामिल हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो पाए जा रहे हैं, वे एके-47 के हथियार पाए जा रहे हैं, Glock pistols और Arges grenades पाए जा रहे हैं। महोदय, Arges grenades क्या हैं, जिनका इस्तेमाल हो रहा है? महोदय, ये Austrian-made grenades हैं, जिनका इस्तेमाल पंजाब में हो रहा है। इनका इस्तेमाल मुंबई अटैक और हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के अटैक में भी हुआ। महोदय, ये हमारे देश के अंदर कैसे आ गए? इनका इस्तेमाल पंजाब के अंदर कैसे हो रहा है? मैं चाहूंगा कि जब गृह मंत्री जी इस पर अपनी बात रखें, तो इसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि drugs के साथ अगर यहाँ पर इस प्रकार के grenade attack, जो Austrian-made grenades हैं, जिनका इस्तेमाल मुंबई अटैक में हुआ, जिसका इस्तेमाल पार्लियामेंट के अटैक में हुआ, अगर पंजाब के अंदर उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई गहरी साजिश और यह साजिश सीमा पार से हो रही है, जिसको हमें रोकना है, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा रोकना है - मैं आज यह कहना चाहता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब ड्रग्स border से, सीमा पार से आ रहा है, तो उसको सीमा पर रोकने का काम गृह मंत्रालय का है।

महोदय, Border infrastructure पर अलग-अलग स्कीम्स हैं। Border Area Development Programme में 2024-25 में budget allocation 335 crore था और Revised Estimate कितना था? यह 335 करोड़ से घटकर 110 करोड़ हो गया, यानी 225 crore lapse हो गए, खर्च नहीं कर पाए। Border Area Development Programme का पैसा 67 per cent, यानी दो तिहाई लैप्स हो गया।

महोदय, Border Infrastructure and Management Scheme में 2023-24 में 10.52 परसेंट, लगभग 11 परसेंट लैप्स है, इस वर्ष 2024-25 में 19 परसेंट लैप्स है। पिछले दो वर्षों के अंदर 3 हज़ार करोड़ रुपये मुश्किल से खर्च किए गए हैं और इस वर्ष 5,590 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मैं हमारे गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो Border Infrastructure and Management Scheme है, अगर आप उसके अंदर खुद पर्सनल इंटेरेस्ट लेकर कि यह capital इस सैक्शन पर खर्च होता है नहीं करेंगे, जब तक आप पर्सनल इंटेरेस्ट लेकर capital infrastructure investment पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक यह पैसा लैप्स होता रहेगा। ये पैसा लैप्स क्यों होता रहेगा, इसके बारे में मैं पिछले सात सालों की फिगर्स देने जा रहा हूं। डिमांड नम्बर 51,

जो पुलिस की है, जिसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, बीएडीपी, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, हाउसिंग, ये सारी चीजें हैं। इसमें 2018-19 में 13 परसेंट वापस, 2019-20 में 17 परसेंट वापस, 2020-21 में 48 परसेंट वापस, 2021-22 में 24 परसेंट वापस, 2022-23 में 21 परसेंट वापस, 2023-24 में 16 परसेंट वापस और 2024-25 में 21 परसेंट वापस हुआ है। पिछले 7 वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आप 17,697 करोड़ खर्च नहीं कर पाए, जिसे वापस करना पड़ा। यह आपके बजट के रिकॉर्ड्स कहते हैं। टोटल 22.93 परसेंट, यानी लगभग एक चौथाई जो बजट एलोकेशन होता है, उसको आप खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि आप अलग से इस पर ध्यान दें, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से इतना पैसा जो लगातार लैप्स हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए और आगे खर्च होना चाहिए। सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के मॉडर्नाइजेशन का प्लान - फोर्थ मॉडर्नाइजेशन प्लान जो कि 2022 से 2026 तक के लिए सोचा गया और इसके लिए 1,523 करोड़ रुपये रखे गए। अब 2025 चल रहा है और इस 1,523 करोड़ रुपये में से कितना खर्च हुआ है? सेन्ट्रल आर्म्ड फोर्सेज मॉडर्नाइजेशन में 1,523 करोड़ में से केवल 287 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ। यह केवल 19 परसेंट खर्च हुआ और 81 परसेंट पैसा अभी तक आप लोग इस पर खर्च नहीं कर पाए हैं। जब सीएपीएफ के मॉडर्नाइजेशन प्लान पर आप लोग ठीक तरीके से नहीं खर्च कर पा रहे हैं, जब बॉर्डर एरिया के इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पर आप लोग ठीक तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस तरीके से उम्मीद करेंगे कि हमारी सीमा की रक्षा करेंगे! ड्रोन से हमारे यहां पर ड्रग्स आ रहे हैं और उन ड्रोन से आने वाले ड्रग्स को नहीं रोक पा रहे हैं। हमारे यहां पर बॉर्डर से क्रॉस होकर ड्रग्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रियन ग्रेनेड्स आ रहे हैं, एके-47 आ रही हैं और हम इनको नहीं रोक पा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। BPR&D की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि हमारे यहां पर जो टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें पुलिस फोर्सेज में 11 परसेंट की वैकेंसी है। 1,10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज की जगह खाली हैं, रिक्त हैं, वे भरी नहीं गई हैं। जब हम पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जब हमारी सेंक्शन्ड पुलिस फोर्स स्ट्रेंथ में से 11 परसेंट खाली हैं, तो हम यह कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी फोर्सेज अच्छे तरीके से काम कर सकेंगी। मुझे दो छोटी-छोटी बातें करनी हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि हमारे सेंसस से बारे में है। 2009 में मैं मंत्री बना था और 2011 के सेंसस का काम चिदम्बरम साहब ने मुझे दिया था। हमने 2011 के सेंसस का काम 2009 से शुरू कर दिया था। उसमें उसके शेड्यूल बनाने, ट्रेनिंग करने आदि सारे कार्य शामिल थे। सेंसस हमारे लिए क्यों जरूरी है? सेंसस हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम्स, जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वे सेंसस पापुलेशन की एक्सपेक्टेशन्स के बेसिस पर होते हैं। 2011 में हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी और अभी एक्सपेक्टेड 146 करोड़ है। 25 परसेंट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 70 परसेंट ग्रामीण और 50 परसेंट शहरी लाभार्थी हो सकते हैं, यानी आज की डेट में अगर सेंसस होता है, तो 15 करोड़ गरीब लोगों को एनएफएसए का फायदा मिलेगा। उस फायदे से आप लोग उनको वंचित रख रहे हैं, क्योंकि आप सेंसस नहीं करा रहे हैं। हमारे एनएसएसओ के जो सैंपल सर्वेज होते हैं, उसके अंदर जो एनुमरेशन ब्लॉक सेंसस से निकलते हैं, यह सैंप्लिंग का आधार बनता है और उसके आधार के ऊपर वे तय करते हैं कि कहां-कहां से सैंपल निकाले गए हैं।

Content Page

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री अजय माकन:** इसके बाद एक छोटा सा प्वाइंट और है। महोदय, अगर हम सेंसस टाइम पर नहीं कराएंगे, तो अपने देश के अंदर अलग-अलग स्कीम्स के लाभार्थी तय नहीं कर पाएंगे। मैंने 15 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताया था। हमारे Period Labour Force Survey (PLFS) का एनएसएसओ सर्वे करता है। हमारे हेल्थ स्कीम्स के सर्वेज़ होते हैं, तो ये सारे के सारे सर्वेज़ गलत होंगे, अगर हमारे एनुमरेशन ब्लॉक्स नहीं होंगे। हमारा सेंसस टाइम पर होना चाहिए। 2020-21 के अंदर जो 85 परसेंट पैसा सेंसस के अंदर था, वह लैप्स हुआ। समझ में आता है कि वह कोविड का समय था, लेकिन 2021-22 में 86 परसेंट लैप्स हो गया, 2022-23 में 85 परसेंट लैप्स हो गया, 2023-24 में 65 परसेंट लैप्स हो गया और पिछले वर्ष 58 परसेंट पैसा लैप्स हो गया। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? 2020-21 का तो समझ में आता है कि कोविड का समय था और 85 परसेंट लैप्स हो गया, लेकिन उसके बाद जो टोटल बजट अमाउंट है और जो स्पेंट अमाउंट है, उसके बेसिस के ऊपर देखें, तो आपका सारे का सारा पैसा लैप्स हो गया। मैंने केवल एक बात पूछी।

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, आप कृपया समाप्त करें।

**श्री अजय माकन:** जो मंत्रालय के लोग आए थे, मैंने उनसे केवल एक बात पूछी कि आप हमें यह वायदा कर दें कि इस साल Census पूरा कर देंगे, लेकिन कोई वायदा नहीं हुआ। जो अभी इस साल का भी budgetary allocation है, उसके हिसाब से इस साल भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग Census complete कर पाएंगे और हमारे देश की गरीब जनता फिर भी महरूम रहेगी, क्योंकि उनको लाभ नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर गृह मंत्री इस पर भी कुछ कहना चाहते हैं, जब वे जवाब देंगे, तो हम लोग census के ऊपर भी सुनना चाहेंगे।

मैं आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि global warming की वजह से disaster management के ऊपर हमारा बजट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। ...(**समय की घंटी**)... दुख की बात यह है ...

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

**श्री अजय माकन:** दुख की बात यह है कि हमारे पूरे बजट में जो BE से RE में increase हुआ है, वह गृह मंत्रालय का 5.83 परसेंट है, जबकि यह पूरे देश का 7.4 परसेंट है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में 'Relief on account of natural calamities' में 7.5 परसेंट की कटौती कर दी गई है, जबकि हमारे यहां प्राकृतिक आपदाएँ, natural calamities बढ़ रही हैं। हम सब लोग जानते हैं कि global warming की वजह से और ज्यादा खर्चे होंगे, लेकिन जिसमें और ज्यादा खर्चे होंगे, उसमें आप 7.5 परसेंट की कटौती कर दें, तो यह बड़े दुख की बात है। इसको भी आपको देखना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, NDRF, जो हमारा National Disaster Response Force है, उसके अंदर 23 परसेंट की vacancy है। उसमें 23 परसेंट लोग कम हैं। Total sanctioned

strength 18,597 है और actual 14,197 है। जब global warming बढ़ रही है, तो हम कैसे प्राकृतिक आपदा के ऊपर खर्चे के अंदर कटौती कर सकते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता।

एक National Disaster Management Programme था...

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, अब आपका भाषण समाप्त हुआ।

**श्री अजय माकन:** उपसभाध्यक्ष महोदय सर, मुझे बस यह वाला आखरी point खत्म कर लेने दें। एक National Disaster Management Programme था। 2023-24 में actual खर्च हुए 198 करोड़, 2024-25 में BE घट कर 105 करोड़, 2024-25 में RE 25 करोड़ और 2025-26 में BE 4 करोड़। 198 करोड़ से कम होते-होते यह National Disaster Management Programme 4 करोड़ के ऊपर पहुंच गया! आप बताएं कि किस तरीके से हमारी प्राकृतिक आपदा के ऊपर यह काम हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE - CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) : Shri M. Shanmugam; 14 minutes.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs. The main task of this Ministry is to maintain internal security and, towards that end, they have Central Armed Police Forces like CRPF, CISF, etc. The Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, in its Report in 2018, observed that there is a long duration of working hours for *jawans*, running up to 14 hours and no holidays. There are a lot of vacancies to be filled in the Central Police Forces, as there are 19 per cent vacancies in CISF, ten per cent vacancies in CRPF, etc. Because of work stress and burden, they are mentally stressed and suicide rates are higher among the Central Police Forces. In the last five years, 730 *jawans* have committed suicides; and last year, the figure was 134. I would, therefore, urge the hon. Home Minister to ensure that proper working conditions are provided to the police *jawans* and to fill all existing vacancies so that they do not over-strain in their duties.

Sir, there is a provision of budgetary funds for Modernization of Police Force, namely, for purchasing modern weapons, surveillance equipment, protective gears, etc. But the utilization is very poor; in 2023-24, only 48 per cent and in 2024-25, only 61 per cent were spent. When States like Tamil Nadu are asking for more funds for modernization of State Police, I do not know why the hon. Minister is not giving funds; instead, the amount is surrendered.

In the year 2023, the hon. Minister took pride in replacing three British era criminal laws like the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure and the Indian Evidence Act, replacing with '*Bharatiya Nyaya Sanhita*', '*Nagrik*' and other Sanskrit names, which 50 per cent of the people are not able to understand what it is. Even High Court judges have observed that there is a lot of confusion. Lawyers have demanded more time to put them into force. I would, therefore, urge the hon. Minister, when the nation is very big and a lot of languages are spoken by the people, as mentioned in 8th Schedule of the Constitution, why Hindi is being imposed by way of Sanskrit title to these three laws?

Another major concern is rising cyber crimes in the country. Criminal activities like electronic hacking, credit card frauds, child pornography, virus attacks are to be addressed by the Union Government. They should strengthen the cyber security infrastructure, rising public awareness, effective implementation of cyber security measures. Once a cyber crime is reported, the agency should respond immediately and all measures to track the link should be taken so that there will be deterrence among the perpetrators of such crimes.

Disaster Management is in the domain of the Home Ministry and we from Coastal States are subject to natural disasters like cyclones and floods. For providing relief to the disaster affected people and to restore infrastructure, our State Government demanded nearly Rs.36,000 crores for disaster management fund but you have released only Rs.270 crores. Why should there be this kind of step-motherly treatment towards non-BJP States like Tamil Nadu?

Jammu and Kashmir has been made a Union Territory by abrogating Article 370 and downgrading the State. At that time, the hon. Minister had given an assurance that Jammu and Kashmir would be given the status of State at the earliest. Now, more than five years have passed and a popular Government is functioning there. But they are not able to function effectively because of UT status. On behalf of my Party, DMK, I urge upon the Minister to fulfill the assurance given in the Parliament and make Jammu and Kashmir a full-fledged State this year itself.

Regarding Manipur, in early 2023, Manipur began to witness ethnic violence between Kuki and Meitei communities. More than 250 people were burnt alive, besides 60 thousand people becoming refugees in their own State of Manipur. Schools have been damaged and churches were demolished. Many of their belongings have been badly destroyed. Unfortunately, our hon. Prime Minister has not visited the State so far to make efforts to bring peace there, to share their sorrows and to assure the victims of the riots. It is very unfortunate and should be condemned, especially, when he has time to go around the world.

Content Page

On 13th February, 2025, Manipur was brought under the President's Rule [£] I would urge upon the hon. Home Minister to take urgent measures to bring peace and harmony to the North Eastern State.

Regarding Census, the Union Government has not yet started the Census enumeration despite the end of Covid pandemic in 2022. The distribution of subsidized food under the NFS Act is currently based on population figures of 2011 census. However, the population has crossed 140 million. Now, the Union Government is weaponising the Southern States that delimitation exercise would be started and the Northern States, which have failed in the family planning targets, would be awarded with more number of Lok Sabha seats. It could also affect the representation of various States in the Legislative Assembly seats.

Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, has expressed serious concern over the matter and has called for the meeting of the States which are likely to be affected by the delimitation exercise on 22nd March, 2025. Many State Chief Ministers and Leaders of Opposition in the respective State Assemblies have expressed desire for attending the meeting. But, surprisingly, to my Unstarred Question No. 1713, dated 13.03.2025 tabled in Rajya Sabha, hon. Law Minister, Shri Arjun Ram Meghwal says, the Ministry has not received any communication about such concerns. At the same time, when the hon. Home Minister, Shri Amit Shah, came to Chennai on 7th March, 2025, he said, 'there would not be any decrease in the number of Lok Sabha constituencies for Tamil Nadu.' But, it has created more confusion than solution.

Southern States like Tamil Nadu have apprehension that Delimitation based on the latest population data will reduce our representation in Parliament, weakening their political influence. We would demand that in case of increase in the strength of Lok Sabha constituencies, it should be on the pro-rata basis. I request the hon. Home Minister to enumerate the points during his reply. I would demand that the population figures for determining the number of Lok Sabha constituencies should be frozen to 1971 Census data, at least, for another 25 years.

Sir, the Citizenship Amendment Act was passed by Parliament despite our vehement opposition to the Bill. Consequently, there was lot of agitation and apprehension created among the minority community. It confers Indian citizenship on persecuted refugees of religious minorities from Islamic countries like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who arrived in India by 2014. The eligible minorities were stated as Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis or Christians. The law does not

[£] *Exupnged as ordered by the Chair.*

grant such eligibility to Muslims from these countries. Additionally, the Act excluded 60,000 Sri Lankan Tamil refugees who have lived in India since 1980s! The Act was for the first time that religion had been overtly used as a criterion for citizenship. We demand that minority Muslim community, along with Sri Lankan Tamil refugees, should also be included in CAA by bringing suitable amendments.

The Government of Tamil Nadu sent a proposal for finding lasting solutions for Sri Lankan Tamils who are in the refugee camp and outside, enabling citizenship and overcoming barriers. The Tamil refugees came to India from 1983 onwards in phases, as they fled ethnic persecution with a grave threat to their lives. Since they came in an emergency, they did not wait for visa or did not bring travel documents. They have been accommodated and cared for decades in camps and outside, as per the processes established in consultation with Home Ministry and regarded them as refugees. There is a dire need to have compassionate and practical approach to grant Long Term Visa because it is established that they meet all the criterion laid down for Long Term Visa as they had fled due to violence and ethnic persecution in their country, arrived without passports and treated as refugees in India. They should not be branded as illegal migrants. Hence, the Ministry of Home Affairs' Order issued on 23rd September, 1986, should be reviewed and rescinded. I would, therefore, urge upon the hon. Home Minister that they may be allowed to apply for Indian citizenship or Long Term Visa status based on the provisions of the Citizenship Act to resolve their current challenges as they are languishing in the camps and outside for more than 40 years.

Now, Sir, on the Centre-State relations. It is known to the whole House that this BJP Government is treating all non-BJP ruled States as second-class citizens and discriminating in allotting funds under various programmes. Our hon. Prime Minister has talked about cooperative federalism. But where is cooperative federalism? * *...(Interruptions)*....

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, मैंने यह पहले व्यवस्था दी है कि आप authenticate करेंगे।

SHRI M. SHANMUGAM: Many commissions were constituted in the past for improving the Centre-State relations. But now the Centre-State relations are at loggerheads. You take any issue, either sharing of GST revenue or sharing of funds to the States under the Centrally-sponsored schemes or in MGNREGA or PM SHRI and

---

* *Not recorded.*

*Samagra Shiksha Abhiyan*. I would urge upon the Government to follow the federal principles enshrined in the Constitution and to treat States as equal partners in the growth of the nation. ...(*Time-bell rings*.)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हुआ।

SHRI M. SHANMUGAM: If the States are developed, then only the nation will grow. Sir, I once again request of this to the hon. Home Minister.

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** अब आप कृपया बैठ जाइए। Now, Shri Sanjay Singh; fourteen minutes.

**श्री संजय सिंह** (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अत्यंत महत्त्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार!

मान्यवर, अगर हम इस वक्त देश में अपराध की, हिंसा की, आतंक की, डर की, भय की बात करें, तो राज्य-दर-राज्य इसकी समीक्षा आप कर सकते हैं, क्योंकि देश में ज्यादातर जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। मान्यवर, राज्य-दर-राज्य सिंगल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, सुनें।

**श्री संजय सिंह:** जब हमारे प्रधान मंत्री जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, तो कहते हैं कि अपने राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए आपकी जवाबदेही दोगुनी हो जाती है। निश्चित रूप से अपराध रोकना राज्य का विषय है, लेकिन अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार और उस राज्य में भी अपराध रुकने के बजाय बढ़ रहा है, तो आपकी दोगुनी जिम्मेदारी होती है, दोगुनी जवाबदेही होती है, पूरे देश में अपराधों के आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, पूरे देश के अंदर 58 लाख अपराध के केसेज़ दर्ज हुए। उन 58 लाख केसेज़ में, जहां डबल इंजन है और जहां सिंगल इंजन है, इसको आप खुद, अपने आप तय कर लीजिए। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। वहां 2020 में 2,57,512 अपराध के केसेज़, 2021 में 2,82,000 केसेज़ और 2022 में 3,47,835 केसेज़ दर्ज किए गए। सर, यह NCRB का डेटा है। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि यह कौन-सी फिगर है, कहां से आयी है? यह वह फिगर है, जो NCRB का डेटा है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भी सदस्य को कोई शक हो, तो वह खुद इसकी जांच कराए और गृह मंत्रालय खुद इस बात को चेक करे कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, इसलिए दोबारा मत टोकिएगा। यह आपके द्वारा जारी किया गया, आपकी सरकार के द्वारा जारी किया गया डेटा है।

Content Page

मान्यवर, अगर हम गुजरात की बात करें, जहां डबल इंजन की सरकार है, तो वहां 2020 में 6,99,619 केसेज़ और 2021 में 7,31,738 अपराध के केसेज़ और 2022 में 5,24,103 अपराध के केसेज़ दर्ज किए गए।

1.00 P.M.

हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में अपराध के मामले देखें तो 2020 में 1,92,395 केस; 2021 में 2,06,431 केस; 2022 में 2,42,849 केसेज़ हुए।

अब पंजाब की बात करते हैं, जहां हमारी सरकार है और जिसके बारे में अभी हमारे कांग्रेस के सदस्य भी जिक्र कर रहे थे। हरियाणा की जनसंख्या पंजाब से कम है, फिर भी हरियाणा में अपराध के मामले देखें तो हरियाणा में अपराध की संख्या 2,42,849 हैं, वहीं, पंजाब में अपराध के मामले वर्ष 2020 में 82,875; वर्ष 2021 में 73,581; वर्ष 2022 में 73,625 हुए। ये हरियाणा और पंजाब के अपराधों की संख्या है, यहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और दूसरी तरफ हमारी सिंगल इंजन की सरकार है।

महोदय, अब उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वर्ष 2020 में 6,57,925 केसेज़; 2021 में 6,08,282 केसेज़ और वर्ष 2022 में 7,53,675 केसेज़ दर्ज हुए।

अब आते हैं यूनियन टेरिटरीज़ पर, जहां पर केंद्र का सीधा नियंत्रण है। यहां के आंकड़े बेहद भयावह हैं, खासतौर पर दिल्ली को लेकर। दिल्ली, जो देश की राजधानी है, जहां राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद रहते हैं। यहां संसद है और सब कुछ यहां है। आप उस दिल्ली के आंकड़े सुनकर हैरान रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2020 में 28,911 केसेज़; वर्ष 2021 में 31,675 केसेज़ और वर्ष 2022 में 30,197 केसेज़ – अब अगर दिल्ली के अपराध के आंकड़ें देखें, तो वर्ष 2020 में 2,66,070 केसेज़; वर्ष 2021 में 3,06,389 केसेज़ और वर्ष 2022 में 3,20,275 केसेज़ दर्ज हुए।

यह अपराध का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। अब आप कह सकते हैं कि मुकदमे दर्ज होना अपराध का पैमाना नहीं हो सकता। लेकिन एक अपराध ऐसा है, जिसका आंकड़ा पूरी तरह सच होता है, वह हत्या का मुकदमा होता है। अब मैं हत्या के मुकदमों का राज्यवार आंकड़ा पढ़ रहा हूं।

अगर मेट्रो सिटीज़ में हत्याओं के मामले देखें, तो अहमदाबाद में वर्ष 2020 में 70 हत्या; वर्ष 2021 में 97 हत्या और वर्ष 2022 में 100 हत्या के मुकदमें दर्ज हुए। जयपुर में वर्ष 2020 में 95 हत्या; वर्ष 2021 में 118 हत्या और वर्ष 2022 में 132 हत्या के केसेज़ दर्ज हुए।

उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर में वर्ष 2020 में 41 हत्या; 2021 में 48 हत्या; 2022 में 81 हत्या के केसेज़ दर्ज हुए।

अब पश्चिम बंगाल की बात करें, जिसकी कल बड़ी चर्चा हो रही थी। कल से टीएमसी वालों को बार-बार कहा जा रहा था कि वहां बहुत ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं और वहां बहुत अपराध हो रहे हैं। उसके पहले केरल के कोची शहर में हत्या के मामले देखें तो वर्ष 2020 में 9 हत्या की घटनाएं; 2021 में 10 हत्या की घटनाएं और वर्ष 2022 में 7 हत्या की घटनाएं हुईं। ...(**व्यवधान**)... आप लोग ध्यान से सुनिए।

Content Page

सूरत, जहां डबल इंजन की सरकार हैं, वहां 2020 में 116 हत्या; वर्ष 2021 में 121 हत्या और 2022 में 100 हत्या की घटनाएं हुईं। ...(**व्यवधान**)... आप लोग धैर्य रखो और थोड़ा ध्यान से सुनो।

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, कानून-व्यवस्था राज्यों का विषय है।

**श्री संजय सिंह:** सर, कोलकाता में हत्या के आंकड़े वर्ष 2020 में 53 हत्या; 2021 में 45 हत्या के केस और 2022 में 34 हत्या केसेज़ दर्ज हुए - मैं कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप डबल इंजन और सिंगल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तब आपको इन आंकड़ों को ध्यान से देखना चाहिए। आप डबल इंजन और सिंगल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो आ जाइए दिल्ली। जहां पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी का शासन है। जहां गृह मंत्री जी की देखरेख में सुरक्षा-व्यवस्था है, तो दिल्ली राज्य के अंदर 2020 में 461 हत्या की घटनाएं हुईं, 2021 में 454 हत्या की घटनाएं हुईं, 2022 में 501 हत्या की घटनाएं हुईं। आज दिल्ली अपराधों का गढ़ बन गया है। आज दिल्ली के अंदर एक महिला को गैंगरेप करके कई किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटा जाता है। आज दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या की घटना हो जाती है। आज दिल्ली के अंदर यहीं त्रिनगर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या हो जाती है। आज देश की राजधानी दिल्ली आपसे नहीं संभलती है, जहां राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** अन्य सदस्य, आप सुनिए।

**श्री संजय सिंह:** संसद, केन्द्रीय मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब रह रहे हैं, आप से वह दिल्ली नहीं संभल रही है। यह देश की राजधानी का अपराधों का आंकड़ा है। ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** कृपया, शांत रहें।

**श्री संजय सिंह:** आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए, घबराइए नहीं। सर, अब बात करते हैं कि देश में ...(**व्यवधान**)... सच कड़वा होता है, थोड़ा शांति से सुनिए। ...(**व्यवधान**)... डबल इंजन वालों शांति से सुनो। ...(**व्यवधान**)...

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

सर, पूरे देश में अगर आप अपराधों को देखेंगे Crime against women 2021 की तुलना में 2022 में 4,45,256 घटनाएं हुईं, उसमें चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। crime against children में 1,62,449 घटनाएं हुईं और आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। Crime against kidnapping की घटना, crime against *dalits*, the Scheduled Castes में 57,582 घटनाएं पूरे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। Crime against ST में 10,064 घटनाएं हुईं। उसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान्यवर, ये आंकड़े चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि देश आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है। आपकी जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां आप की सरकार है, दोनों

की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं और आपका डबल इंजन, कबाड़ा इंजन हो चुका है। उसने काम करना बंद कर दिया है। ...(**व्यवधान**)... आपका इंजन फेल हो चुका है।

मान्यवर, अब सवाल आता है कि अपराध कैसे रूकेंगे, अपराध करने वाले लोग कौन हैं, अपराध फैलाने वाले लोग कौन हैं? अगर आप communal violence के मामले में 2019 से 2024 की तुलना करेंगे, तो इसमें 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है। ये आंकड़े हैं। Communal violence क्यों हो रहे हैं? आप देशभर में भड़काऊ भाषण देते हैं। आपके लोग नफरती बातें करते हैं। ...(**व्यवधान**)... जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपनी तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब विकास की ओर आगे बढ़ रही है, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास, लेकिन गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ASI-protected, जो संस्थान हैं, जो संपत्तियां हैं, वे आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में हैं। वह चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने या जिन लोगों ने संपत्तियां बनाईं, वे सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित हैं और आप ही लोग कहते हैं कि इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ ड़ालेंगे, तो चलो, ताजमहल तोड़ते हैं, चलो, लाल किला तोड़ते हैं। चलो, अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया, उसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़के तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़-फोड़ करते हैं। ...(**व्यवधान**)... अगर आप देशभर में इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महार का इतिहास, पढ़ाइए कि दलितों को तालाब में पानी पीने की इज़ाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था कि दलितों को आगे हांडी बांधकर चलना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... किस मुसलमान ने कहा था कि दलित हमारी बगल में बैठकर खाना नहीं खा सकता, किस मुसलमान ने कहा था कि दलितों का मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है, किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, तो देश भर में इतिहास पढ़ाइए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

**श्री संजय सिंह:** महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपनी स्पीच खत्म कर रहा हूं। आप लोग बार-बार बंगलादेश, बंगलादेश का राग अलापते हैं। 11 साल से इस देश में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और बॉर्डर वैस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम से लगता है। ...(**समय की घंटी**)... कोई बंगलादेशी घुसपैठिया बंगाल पार करके, त्रिपुरा पार करके, असम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके कैसे दिल्ली आ जाता है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह आपकी जिम्मेदारी है। ...(**समय की घंटी**)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Subhas Chandra Bose Pilli. Subhas*ji*, your time...*(Interruptions)*... आपका टाइम खत्म हो गया है।

**श्री संजय सिंहः** सर, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए।

MR. CHAIRMAN: No, no; I cannot extend time. Subhas*ji*, please start speaking. ठीक है, 20 सेकंड में खत्म कीजिए।

**श्री संजय सिंहः** सर, 30 सेकंड दे दीजिए। सर, मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात कहूंगा किः

*हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए*
*अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए।*
*हममें कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है*
*दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए।*

...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Subhas*ji*, please start. Nothing will go on record now. ...*(Interruptions)*... No, no. Over, over. Nothing is going on record now. ...*(Interruptions)*..

SHRI SANJAY SINGH: [*]

MR. CHAIRMAN: Subhas*ji*, please start. Only yours will go on record. ...*(Interruptions)*.. Thank you. I would urge the hon. Members, as indicated earlier, to please confine to time. Subhas*ji*, you will, I am sure. You are a very experienced Member. Now, Subhas*ji*.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): [&] Respected Chairman, Sir, I thank you for having given me the opportunity to speak in Telugu language while participating in the Discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs. Given the limited time allocated to me, I will keep my remarks brief and, through you, bring my concerns to the attention of the Central Government.

In Andhra Pradesh, we are witnessing illegal cases, unlawful arrests, and a general sense of insecurity among civil service employees, coupled with mental harassment of the populace. Even the Home Ministry is aware of these troubling developments. Furthermore, there is a demand from the OBC community for a caste-based special census. The illegal arrests are occurring because the Central Home

---

[*] *Not recorded.*

[&] English translation of the original speech delivered in Telugu.

Ministry, which is tasked with addressing these issues, seems to be acting as a mute spectator. This is my personal opinion, and I request the hon. Home Minister to bear with me as I express it.

The State Government of Andhra Pradesh firmly believes that the Central Government is running with the support of the State Government. It is very unfortunate that such incidents are happening. In my 20-22 years in politics, I have seen small incidents occur after elections, but I have never witnessed the filing of such numerous illegal cases, even against Members of Parliament. This situation is deeply concerning. It is the responsibility of the Central Government to ensure that such incidents do not take place in Andhra Pradesh or in any State for that matter.

Asia's largest "chilli yard" is located in Guntur, and chilies are exported to nearly twenty countries from there. When our party president and former Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri YS Jaganmohan Reddy, visited farmers suffering due to lack of minimum support prices, his security was withdrawn. Although it was restored by evening, it is not the appropriate time for political games. Whenever Shri YS Jaganmohan Reddy plans to meet the people during floods or to connect with farmers, he faces unnecessary troubles. Is this how we should conduct ourselves?

Sir, Sri Venkateswara Swamy in Tirupati is a deity for all of us. Recently, a stampede occurred in the Tirupati temple, resulting in the tragic loss of six lives. When such incidents happen, how can the Central Government remain idle? Why is it not taking stringent action? I sincerely believe that our country has a capable Prime Minister and a competent Finance Minister. I urge you to consider why we are unable to prevent these injustices even with such capable leaders.

Additionally, I have observed that police officers are being used for political purposes, and IAS and IPS officers are under immense mental pressure, particularly due to inappropriate postings. Shri Mithun Reddy, a sitting Member of Parliament known for his gentle nature, was attacked in Chittor while trying to visit a friend, Mr. Redappa Reddy, a dalit leader and former Member of Parliament. Their cars were damaged, and Mr. Redappa Reddy's house was attacked. Yet, cases were filed against the victims, including Redappa Reddy and Mithun Reddy. What can we say about this? I regret to say that if such incidents go unaddressed by the Central Government, it too will be held accountable for these developments.

Sir, between November 6$^{th}$ and 12$^{th}$, 147 cases were registered against 680 YSRCP activists, with 49 arrests made. In just Nandyal district, 61 illegal cases were filed. This is what is happening in Andhra Pradesh. My sole suggestion is that the capable Home Minister should be wary as such misconduct may tarnish his reputation. YSR party workers are being kidnapped, assaulted and even killed, while

their families suffer. Where should we turn if our petitions to the President, the Governor, the Prime Minister, and the Home Minister go unanswered? It is important to note that if a minor crime occurs, typically only a small case would be registered, and the accused would be released. However, this is not the case in Andhra Pradesh. A film actor named Posani Krishna Murali is facing harassment through multiple cases registered against him in Nandyal, Kurnool, and Guntur. His only crime is criticizing the Chief Minister of Andhra Pradesh. Criticism is a common aspect of democratic discourse, even if directed towards the Prime Minister, Home Minister, Cabinet Ministers, and Chief Ministers. The State Government seems to regard criticism as a severe offence. The Constitution of India does not state that criticism is wrong; if valid points are raised, they should be accepted, and reforms should follow. It is the Central Government's responsibility to correct these issues. If the Central Government, which is supposed to play a key role, continues to act as a mute spectator, gross injustices will surely ensue.

Lastly, I would like to add one more point. Bureaucrats, particularly IAS and IPS officers, are being targeted. These officers have constitutional protection for performing their duties; without it, they cannot carry out their responsibilities in an unbiased manner. What is the Department of Personnel and Training (DoPT) doing about this? Is it not the responsibility of the DoPT to address these issues? What are the rules and regulations of the DoPT? What is the purpose of keeping officers in reserve without assigning them any postings? What kind of governance is being practised in the State and the country? It is very unfortunate that the DoPT is not fulfilling its responsibilities. Sir, through you, I wish to bring all these points to the attention of the Honorable Home Minister.

MR. CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI : Sir, I still have some time left.

MR. CHAIRMAN: Yes, but you have made your point effectively. All right, 30 seconds.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: [&] There is a long pending desire and demand by the OBCs of this country to conduct caste census. The role of Central BC Commission is to examine the claims of certain communities for inclusion or exclusion

[&] English translation of the original speech delivered in Telugu.

of the BC Category. It is the only task of the BC Commission. The role of the Central Backward Classes Commission is to examine claims for inclusion or exclusion in the OBC category. This is the sole responsibility of the BC Commission. However, several requests from various States have been submitted to the Central Government to grant the BC Commission the same level of authority as the SC Commission. Protests have been made, and the hon. Prime Minister has been approached regarding this issue, but their demands have been neglected. I want to highlight what our Constitution states. Article 340 of the Constitution of India allows the President to appoint a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes. Hence, socio-economic and caste based census should be conducted periodically. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: You have made your point, Subhas*ji*. You are very graceful. Thank you. Now, Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Hon. Chairman, Sir, I rise to deliberate on the working of the Ministry of Home Affairs, an institution that sits at the core of India's internal governance and security matrix. It is incumbent upon us, as Members of this august House, to not merely review but to re-imagine the Ministry's role, performance and priorities. I will comprehensively examine three major pillars, the Central Armed Police Forces, the National Investigation Agency and the Disaster Management apparatus. Through this lens, I would highlight not only achievements, but also pressing challenges and lay down a clear, actionable roadmap for reform. But, before proceeding, I salute all the security forces for their sacrifices over the years, selfless hard work and commitment to the nation. Any number of parliamentary deliberations cannot compare to the indomitable courage and selfless sacrifices that our security forces and Central Armed Police Forces have done for the nation. I salute them.

At the forefront of India's internal security are the Central Armed Police Forces, the CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB and Assam Rifles. The form the sinews of our border management, counter insurgency operations, anti-naxal campaigns and disaster response. The CRPF particularly has successfully fought the Left-Wing Extremism while the BSF and ITBP remain vigilant on our sensitive borders. The brave CAPFs performances have shown success. Left Wing Extremism incidents have dropped significantly over the last decade. The BSF has foiled infiltration attempts and seized large quantities of narcotics and arms. The CISF has ensured foolproof protection of our airports, nuclear installations and metro networks. However,

beneath these operational excellence lies a worrying undercurrent for the human and structural backbone supporting these successes.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

One of the most pressing issues is the acute manpower deficit, particularly at the officer level. Certain CAPFs report shortfalls in supervisory roles, which has direct repercussions on leadership, morale, and effectiveness. This shortage is amplified by the outdated practice of relying heavily on deputations from State Police and IPS Cadre, resulting in leadership discontinuity and lack of force-specific expertise. Over-deployment is another concern for our forces. CRPF battalions, especially in insurgency-hit areas, are being deployed for years without adequate recuperation cycles. Continuous exposure to high-stress conflict zones, without rest, leaves personnel vulnerable to fatigue. It is imperative that the Ministry launches an ambitious and time-bound CAPF Modernisation and Welfare Mission 2030. The first and foremost step must be creation of a dedicated CAPF officer cadre, ending the dependence on deputation and fostering a professional leadership pipeline. Second, rotational deployment policies should be institutionalised, ensuring that no company remains in active conflict zones beyond a reasonable period. Third, there must be an across-the-board welfare overhaul, including priority housing construction, family health care packages, CAPF-specific scholarships, and the establishment of mental health counselling units in every battalion. Equally vital is modernisation. Despite commendable efforts, the pace of technology induction, be it night-vision equipment, counter-IED technology, AI-powered surveillance drones, or terrain-specific weaponry, is needed and in more quantities. I urge the Ministry to earmark a fixed percentage of GDP exclusively for CAPF modernisation, with yearly targets and audits ensuring implementation.

I come to the National Investigation Agency. It has emerged as India's principal anti-terror and anti-organised crime investigative body. However, the Agency's success stories cannot obscure the structural constraints under which it operates. In recent years, the jurisdiction of the NIA has expanded considerably. Amendments have imparted to probe offences related to human trafficking, cyber-terrorism, narcotics, and counterfeit currency. While laudable, this expansion has stretched the NIA's investigative capacity. More than 1,000 cases are under investigation, while the process not being able to expedite despite best efforts of officers due to the need for more manpower and resource requirements. Vacancy in sanctioned posts within the NIA, need for more forensic labs, digital investigation wings and specialised

cybercrime units further affects its efficiency. To address this, the Ministry must embark on a two-pronged strategy. Staffing vacancies must be addressed immediately. A special drive should aim to fill all sanctioned posts within the next financial year while simultaneously creating a lateral entry mechanism to attract cyber and forensic experts. Second, to decongest the headquarters of the NIA and enhance efficiency, I propose five regional NIA hubs, which can be established across north, south, east, west, and northeast zones. Each hub must be equipped with state-of-the-art forensic laboratories, cyber-intelligence units, digital case management systems, and dedicated liaison cells for State Police Forces. The establishment of zonal NIA Special Courts, capable of handling sensitive cases with speed, should accompany this decentralised structure.

Now, I come to disaster management apparatus. The Ministry's disaster management apparatus via the NDMA and NDRF have demonstrated competency, especially in mobilising relief operations during cyclones and floods. I come from Odisha. In Odisha, we have the OSDMA and NDRF; we work together and many such cyclones have been dealt with. However, the broader framework remains heavily skewed towards post-disaster relief rather than pre-disaster preparedness and resilience building. The solution lies in a paradigm shift from reaction to anticipation. I propose the creation of an Integrated National Resilience Grid, digitally connecting the IMD, ISRO, CWC, State disaster authorities, local municipalities and the District Administrations. This Grid must offer real-time data integration, early warning dissemination and centralised evacuation and resource co-ordination. A Dedicated Disaster Mitigation Infrastructure Fund should be established, channeling investments into flood control systems, earthquake resistant buildings and climate-adaptive infrastructure, particularly in high-risk zones.

Now, I come to my conclusion. I have two minutes and I will conclude. In conclusion, I would like to say that the Ministry of Home Affairs stands today at a defining crossroad, a custodian not just of law and order but of the nation's very fabric of unity, resilience and progress. The Central Armed Police Forces, the National Investigation Agency and our disaster management apparatus are the pillars upon which the safety, security and well-being of over a billion citizens rests, but these pillars, though strong, demand re-enforcement through bold reforms, structural modernization and an unwavering commitment to the welfare of those who serve. This is not merely a question of budget, policies or organizational charts. It is a question of envisioning a future where our CAPFs are not over-burdened; a future where our premier investigative agencies are not constrained by shortage of hands or tools but empowered by autonomy, technology and talent; a future where disaster

management is not a race against time after calamity strikes but a seamless anticipatory grid that saves lives and livelihoods before the storm hits. The sacrifices of our security personnel, the dedication of our investigative officers and the resilience of our disaster response teams demand nothing short of a transformative vision. I, therefore, urge the hon. Home Minister and this House to seize this moment to invest, to reform, to re-imagine, to build a Ministry of Home Affairs that is not just an administrative edifice but the bedrock of a safe, secure, resilient and compassionate India, for the security of the Republic is not an end in itself; it is the foundation upon which justice, development and dignity for every citizen must flourish. I thank you, Sir. *Jai Hind! Jai Bharat!*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri A.D. Singh. You have seven minutes.

**श्री ए. डी. सिंह** (बिहार): उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

*'बस्ती-बस्ती, गाँव-गाँव हाल है बेहाल,*
*कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कौन हैं कंगाल।*
*जनगणना के बिना कैसे बन रही है योजना,*
*अंधेर नगरी है, सब है बेहाल।'*

The census is a very vital part of governance. It is not merely enumeration of heads but a serious statistical interpretation of social, cultural, economic index of the society. It gives planners opportunities to re-define and re-prioritise fund allocations among different socio-economic classes, castes and groups as well as regions and sub-regions. अब हम इसकी महत्ता यह समझते हैं कि colonial time में भी 1921 में census हुआ था, जब Non-Co-operation Movement चल रहा था, 1931 में भी census हुआ था, जब Civil Disobedience Movement चल रहा था। 1941 में भी census हुआ था, जब विश्व युद्ध-II चल रहा था और 'क्विट इंडिया मूवमेंट' के समय भी यह चल रहा था। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि वर्तमान सरकार किस बेसिस पर योजना बना रही है, जबकि हमें यह पता ही नहीं है कि हिन्दुस्तान में कितने लोग हैं।

अगर हम historically देखें, तो 1856 में Widow Remarriage Act आया था और 1921 के Census में यह reveal हुआ that 597 babies of 0-1 age groups and 494 of 1-2 age groups were declared widows. The number further swelled as 85,037 widows were in the age group of 5-10 years and 2,32,147 in the age group of 10-15 years. ये सब ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के टाइम में हुआ था। उसके बाद फिर इसको लेकर स्वामी श्रद्धानन्द ने पूरी कोशिश की और widow remarriage को success बताया among the educated Indians. Census creates social and cultural literacy. Census' social values make it more than a political

or statistical document. It was the Caste Census of 1931, which yielded the OBC welfare schemes and further became the basis of the Kaka Kalelkar Commission and also of the Mandal Commission. मेरी समझ से सरकार ने यह बहाना किया कि कोविड हो गया है। कोविड के पश्चात् तुरंत 2022 में इनको Census कर लेना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ।

सर, इसके अलावा मुझे cyber crime के विषय पर भी बोलना है। मंत्री जी ने राज्य सभा में बोला था कि 2022 से साइबर क्राइम में 21 टाइम्स की वृद्धि हुई है। साइबर क्राइम में 2022 में 91 करोड़ का गबन हुआ, 2024 में 1,934 करोड़ रुपये लूटे गए और 2025 के पहले दो महीनों में 210 करोड़ रुपयों का गबन हुआ। मेरी समझ से साइबर क्राइम को ठीक करने लिए हमारी पुलिस सक्षम नहीं है। चंद दिनों पहले, मेरी एक पुलिस ऑफिसर से इस बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको निष्फल करने में बहुत पीछे हैं। मेरे हिसाब से सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए।

Coming to hate speech, in its recent Report of 2024, the Washington-based Research Group, India Hate Lab, has revealed that hate speeches against minorities in India shot up by 74 per cent in 2024, that is, from 668 incidents, it rose to 1,165 incidents, which translates to three incidents per day. Uttar Pradesh with 242 incidents, Maharasthra with 210 incidents and Madhya Pradesh with 98 incidents rank top in the States in the hate speech. इसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

*"लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,*
*तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में,*
*धर्म का नाम लेकर जो आग लगाते हैं,*
*वो दरअसल अपने दिल का अंधेरा छुपाते हैं।"*

सर, बुलडोजर से बस्तियां बर्बाद करने का जो यह एक नया ट्रेंड आ गया है, इसके बारे में सरकार क्या डिसीजन ले रही है, यह हम लोगों को जानने की जरूरत है। In 2021, according to the documents leaked by the Facebook Whistleblower, Frances Haugen, the Indian page of Facebook was not deleting hate speech by some politicians because it wanted to keep good relations with the party at the Centre.

Now, coming to Para-Military Forces, I would like to say that the Central Para-Military Forces are suffering from fatigue because they have to work 12 -14 hours a day and seven-days a week. I think, we should increase the number of police force. आप देखिए कि इसका नतीजा क्या होता है। Suicide rate in the Para-Military Forces is 14 per lakh which is higher than the general suicide rate in India, which is 12.4 per lakh. सरकार इस विषय में कौन-कौन से measures ले रही है, ताकि पुलिस फोर्सेज़ को इस तरह का दुःख नहीं झेलना पड़े?

Modernization of Central forces — modernization की दृष्टि से अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, वह कम है। इसकी तरफ भी सरकार की दृष्टि होनी चाहिए।

Content Page

**श्री उपसभापतिः** क्या आप बोल चुके हैं?

**श्री ए. डी. सिंहः** सर, मैं अभी बोलूंगा। मेरा टाइम अभी बचा हुआ है।

**श्री उपसभापतिः** आपके 45 सेकंड्स बचे हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए।

**श्री ए. डी. सिंहः** सर, दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल फोर्सेज़ हैं, वे एक और दृष्टि से बिल्कुल बुरी स्थिति में हैं और वह है हाउसिंग। अगर हम दिल्ली पुलिस को लें, तो दिल्ली पुलिस में हार्डली 20 परसेंट लोगों को हाउसिंग है। अगर हम अपने सशस्त्र बलों पर ध्यान नहीं देंगे, तो पता नहीं इस देश में क्या होगा, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. John Brittas; five minutes.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, seeing the newspapers and the television of this country, the biggest enemy of this nation is somebody who died 300 years ago, whose remains have long been turned to be dust. You know whom I am referring to. It is Aurangzeb. This country has so many threats, but we are dwelling in history. Selective amnesia is being deployed. Our Prime Minister, while he was with Mr. Donald Trump, just like 'Make America Great Again', our Prime Minister talked about 'Make India Great Again'. I am sure that our Prime Minister would not be referring to Nehru or Indira Gandhi. He would have been referring to the Mughal era when 24 per cent of the world's GDP was contributed by India. And, Sir, you may not believe me, but I was looking at the explanation given by one of the close friends of our Prime Minister, the *chand*, the *jigri dost*, that is, Elon Musk. While referring to the Aurangzeb issue, Elon Musk's Grok said that, 'It is less about physical structure. It is more about leveraging Aurangzeb's cultural legacy to help their electoral benefit, even if it fuels communal tension'. Who said this, Sir? Elon Musk's Grok said it. Sir, the unity of the country relies on three principles, that is, democracy, federalism and secularism. While we are reviewing the functioning of the Home Ministry...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you are supposed to talk about the Home Ministry.

DR. JOHN BRITTAS: We need to look at these three ingredients. What does Elon Musk's Grok say there? The democratic frameworks are faced with pressure primarily in areas of civil liberties, press freedom, and institutional independence. ..*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute, Mr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my time is running out. Please pause it. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you time.

**गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** उपसभापति महोदय, मैं जॉन साहब से विनती करना चाहता हूं कि अकेली उनकी पार्टी ही अंतरराष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सारी भारतीय पार्टियां हैं। आप भारत की बात कीजिए, मस्क-मस्क क्या कर रहे हो।

**डॉ. जॉन ब्रिटास:** सर, मैं आपके जिगरी दोस्त के बारे में बोल रहा हूं। मेरे दोस्त नहीं हैं, वे आपके दोस्त हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: John Brittas ji, talk about the Home Ministry.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, you should give me one-and-a-half minutes extra. Now, when we talk about democracy, let us see the representation in the Executive. The Muslim representation in the Government is zero. On federalism, it has been tested that there is a shift towards central dominance, reducing the State autonomy in legislative, fiscal and administrative spheres. I had asked numerous questions with regard to the pending Bills in the State Governments. Eight Bills passed by the Kerala Assembly are pending with the Governor of Kerala. Eleven Bills passed by the Tamil Nadu Assembly are pending. Where are we treading ahead? The concentration of power of Delhi would kill the federal spirit and the principles of this country. Now there is a fashion. The funds are not disbursed to the State Governments. The Centre withheld funds to the amount of Rs. 849 crores just because we did not implement PM SHRI. That is on the Samagra Shiksha project. With regard to Tamil Nadu, an amount of Rs. 2,152 crores has been pending. The hon. Home Minister referred to the delimitation concerns. He said that we will not bring down the seats of South India. I have a question to the hon. Home Minister. Will you maintain the pro-rata share of South India in the Lok Sabha seats? As far as I understand, there is 24 per cent share of the South India in Lok Sabha seats. Will you retain this 24 per cent share, even if you do delimitation? This is a pertinent, important question I am addressing to the Home Minister. With regard to secularism, the symbols are very simple -- bulldozer, hate speech and digging. These are the three things which need to come up. My friend was referring to the hate lab report. There is an 84 per cent

surge in incidents of communal violence, and most of these incidents have happened in the BJP-ruled States.

Sir, the Home Minister has to explain what the pastime of the ruling party there is. Now cultural diversity is under threat. There is imposition of Hindi. At least, my friends from Tamil Nadu are saying that. This Government talks about a three-language formula. Has any of the North-Indian States implemented this three-language formula? Does any of the North-Indian States teach South-Indian languages? No, Sir. They want to preach three-language formula to Southern States. When we come to ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. I have already given you enough time.

DR. JOHN BRITTAS: No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ten seconds. Please conclude.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, there is a fashion. What I am trying to say is that if we need to protect this country, we need to have these cardinal principles in mind. I talked about that. These are democracy, secularism and federalism.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call the next speaker now. Just conclude.

DR. JOHN BRITTAS: I am concluding, Sir. My request to the hon. Home Minister is that please look beyond the parochial interest of BJP and the Sangh Parivar outfits. Please look at the unity of this country. Thank you very much, Sir.

**श्री सुजीत कुमार** (ओडिशा): उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी का आभारी हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका मिला है। सर, आज देश में आंतरिक सुरक्षा की क्या स्थिति है, इसके लिए एक काव्य की व्याख्या करते हुए मैं अपनी चर्चा शुरू करूंगा। महोदय, मैं यह कहूंगा किः

*'किया था प्रण लाल चौक का*
*मोदी जी ने वचन निभाया।*
*370 की बेड़ियाँ टूटीं*
*कश्मीर में नया सवेरा लाया।*
*शाह की हिम्मत से देखो*
*खौफ के बादल छंट गए।*
*घाटी फिर से मुस्कुराई*

*दहशत के दिन अब कट गए।*
*माँ भारती की बेटियाँ अब*
*घर बाहर निडर हुईं*
*नक्सलवाद का अंत निकट है*
*खुशियाँ अब हर घर आईं।*
*मजबूत हुई आंतरिक सुरक्षा*
*राष्ट्र का मस्तक ऊँचा है।*
*मोदी-शाह के साथ से ही*
*अमन का दीप सच्चा है।*
*गर्व हमें है ऐसे नेतृत्व पर*
*देश सुरक्षित जनता खुशहाल।*
*सलाम हमारा, अभिनंदन उनको*
*जिनके कर्मों से बदला हाल।'*

सर, आज देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति क्या है, यह इसका सारांश है।

In August 2019, the august Parliament passed the Bill abrogating Articles 370 and 35(A). Kashmir Valley, which was once synonymous with anti-India sentiments, conflicts and terrorism, today has become synonymous with peace, economic growth and tourism. जहाँ पर पहले encounter sites थे, those sites have today become apple orchards. Five and a half years is a long timeframe to evolve. On situation prior to 2019 and today, I would like to read out some of the statistics. The number of stone pelting cases has reduced by 63.56 per cent. This is compared to pre-2019. Civilian casualties reduced by 47.27 per cent. Security personnel casualties reduced by 30 per cent. Infiltration across border reduced by 65 per cent. The number of terrorists surrendered reduced by 66.67 per cent. The number of terror incidents reduced by 76.5 per cent. Without security, there can be no development. We all know this. Security and development go hand in hand. I will read out some of the development parameters. Per capita income increased by 46.25 per cent. This is compared to August 2019. As far as the number of start-ups is concerned, we don't have the data prior to 2019, but now, there are 624 registered start-ups. As far as private sector investment is concerned, again, no data was available prior to 2019, but now 6,800 investment proposals have been received which accounts for 1.19 lakh crore rupees. UAE's Emaar Group has also signed an FDI for Rs.500 crore. Flight connectivity पर कहूं तो पहले 20 से 30 फ्लाइट्स दिल्ली से श्रीनगर के लिए थीं, which has increased to 50-plus flights today. New routes like Sharjah-Srinagar started. Night landing has started in Srinagar. On job creation, no data was available prior to 2019. But 22,000 jobs were created only in 2022-23. Number of youths skilled roughly was 15,000 prior

to 2019 and now it is 32,000-plus. In 2023, more than two crore tourists visited Kashmir. As far as democracy is concerned, there was a by-election in 2017. In that, the voter turnout was 7.14 per cent. Today, the voter turnout is close to 63.88 per cent in the Assembly election of last year.

In the District Development Council elections of 2020, the voter turnout was 51 per cent. Sir, I will quote Safina Baig, a DDC Member from Kupwara. I quote her. She said, "Earlier, decisions were made in secret. Now we allocate funds for schools and clinics ourselves." सर, सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद और आतंकवादियों की कमर मोदी सरकार ने तोड़ी है। The counter-terrorism doctrine that we have today is about nation first and about zero tolerance towards terrorism. I will seek your indulgence because what I am going to read out is a laundry list of terror attacks that took place from 2004 to 2014.

Sir, in 2004, 2nd January, Jammu Railway attack, 4 killed; 15th August, Dhemaji school bombing in Assam, 18 killed; 2nd October, Dimapur bombings, 30 killed. Then, in 2005, 5th July, Ram Janambhoomi attack in Ayodhya, 6 killed; 28th July, UP train bombing in Janupur, 13 killed; 29th October, Delhi bombings in Sarojini Nagar and Paharganj markets, 70 killed; 28th December, IISc Bangalore shooting, 1 killed. Then, in 2006, 19th February, Ahmedabad railway station bombing, 17 killed; 7th March, Varanasi bombing, 28 killed; 11th July, Mumbai train bombings, 209 killed. Then, in 2007, 25th August, Hyderabad bombings, 42 killed; 11th October, Ajmer Dargah bombing, 3 killed; 14th October, Ludhiana movie theatre blast, 6 killed; 24th November, UP court bombings, 16 killed. Sir, I will skip some of the intervening years. In 2010, 13th February, Pune bombing, 17 killed; 15th February, Silda camp attack in West Bengal, 28 killed; 6th April, Maoist attack in Dantewada, 84 killed; 28th May, Jnaneswari Express derailment in West Bengal, 148 killed; 7th December, Varanasi bombing, 2 killed. Then, in 2013, 21st February, Hyderabad blasts, 18 killed; 17th April, Bangalore blast, 9 killed; 25th May, Naxal attack in Darbha valley in Chhattisgarh, 32 killed; 27th October, Patna bombings, 6 killed; 26th December, Jalpaiguri bombing in West Bengal, 5 killed. Then, in 2014, 11th March, Chhattisgarh attack, 16 killed; 25th April, blast in Jharkhand, 8 killed; 1st May, Chennai train bombing, 1 killed; in Assam violence, 33 killed in the month of May; 12th May, blast Gadchiroli in Maharashtra, 7 killed. Sir, I am running out of breath and this is just a sample, a very small sample of the total number of attacks that took place from 2004 to 2014. सर, मैं 2004 से 2011 के दौरान विदेश में रहता था and every week, we would wake up reading about some terrorist attack in some part of the country. सर, हमें शर्म आती थी। Sir, there was a lot of pain, lot of sadness and lot of anger in our hearts. देश में क्या चल रहा है? क्या वहां कोई सरकार है या नहीं है? Are we so unimportant that anyone can come and attack us? सर,

कोई भी आकर ठोक देता था। यह हाल था। People had started accepting that this is our destiny and that terrorism is our destiny. No; terrorism was never our destiny. Viksit Bharat was and is our destiny. By adopting the principle of zero tolerance, Modi Government has ensured that we will not let criminals and terrorists have a peaceful sleep.

Sir, now, I will talk about Naxalism. One of the gravest internal security challenges confronting our nation is Naxalism. It seemed that there was a philosophical debate before, whether security should be adopted first or development. This debate went on amongst the Ministers of the UPA regime in countering Naxalism. Now, the Modi Government has adopted a holistic approach and is focusing on both security and development. I will quote Shri Amit Shah. On 9th February 2025, he said, 'यह संकल्प दोहराना चाहता हूं कि 31 मार्च, 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े'।

Sir, statistics do not lie. The number of districts inflicted with LWE prior to 2014 has been reduced by 70 per cent. Incidence of LWE is reduced by 53 per cent. Total deaths due to Naxalism are reduced by 69.4 per cent. Security expenditure has been tripled with 154 per cent increase. The number of fortified police stations has increased by 724 per cent. Road infrastructure in LWE districts has gone up by 79.86 per cent. Sir, I can go on and on, but because of paucity of time, I will stop there. Finally, no discussion on internal security can be complete without talking of women safety. Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, had very famously said: "The true measure of any society is how it treats its vulnerable section, particularly its women and children." When we landed in Chandrayaan on the South Pole, we called it Shiv Shakti. By passing the Women's Reservation Bill, we brought *Nari-shakti* to the House. Women safety has always been the priority, in fact, the topmost priority of the Modi Government. I will quote what hon. Prime Minister had said: "हमारे यहाँ शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। नारी का सम्मान, यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। भारत के तेज विकास के लिए आज भारत women-led development की राह पर चल पड़ा है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए और महिला सुरक्षा के लिए हर संभव नियम-कानूनों को हमने सख्त बनाया है।" The total outlay has been hiked to Rs.1,180 crore for women safety by the MHA. Because of paucity of time, I will conclude. Under hon. Prime Minister's leadership and under Amit Shah*ji's* able guidance, we are building a Bharat, an India, where no criminal would sleep peacefully, no victim would wait endlessly for justice and no citizen would live in fear. Sir, I would just conclude by reciting a small poem. If you permit, it would hardly take twenty seconds:

Content Page

Beneath the sky so vast and free,
A nation stands in unity.
Gone are the days of fear and flight,
Now shines the land in golden light.
Amit Shah's vision, firm and bold,
A story of courage, strength retold.
With laws reformed and terror tamed,
A nation's honour is reclaimed.
Article 370, once a chain,
Now replaced by growth and gain.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*... माननीया श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल। You have eight minutes. It is not in my hands. माननीय सदस्यों ने जो रूल्स बनाए हैं, उनके तहत हम चल रहे हैं। प्लीज़। आप मराठी में बोलेंगी।

**श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल** (महाराष्ट्र): [&]"उपसभापति महोदय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के कामकाज से संबंधित चर्चा में मुझे मराठी में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। गृह मंत्रालय हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, राज्य सरकारों के साथ समन्वय और आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। वर्ष 2025-26 के बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2,33,211 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दुर्भाग्यवश, वास्तविकता यह है कि गृह मंत्रालय का प्रदर्शन असंतोषजनक प्रतीत होता है। बड़े-बड़े दावे करने के बावजूद गृह मंत्रालय का अपेक्षित प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है। महोदय, मैं महाराष्ट्र के बीड जिले से आती हूं। मेरा जिला और राज्य पिछले कुछ महीनों से बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति का सामना कर रहा है। कुछ महीने पहले मेरे बीड जिले के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की नृशंस हत्या ने एक बार फिर राज्य में कानून-व्यवस्था की विफलता को उजागर कर दिया। उस हत्या ने राज्य का सामाजिक तालमेल बिगाड़ दिया। वहां शांति बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सद्भावना यात्रा का आयोजन किया था। जब यह यात्रा एक गांव से गुजरी, उसमें एक साधारण 80-85 साल के किसान ने भाग लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि यदि नरसंहार के आरोपियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो बीड जिला और महाराष्ट्र को मणिपुर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

उपसभापति महोदय, देश के गृह मंत्रालय के बारे में बात करते समय कुछ बातें उल्लेखित करना आवश्यक है। आज हमारी पूरी पुलिस और अर्धसैनिक व्यवस्था संकट में है - पुलिस और सुरक्षाकर्मियों पर अत्यधिक बोझ है और कर्मचारियों की कमी भी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) का उदाहरण लें, जिसके पास आवश्यकता से 9 प्रतिशत कम मैनपावर है; इसलिये ये सुरक्षाकर्मी लगातार मानसिक तनाव में रहते हैं। दूसरी ओर, अर्धसैनिक बलों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। कई सैनिकों को लगातार 14-15 घंटे काम करना पड़ता है। इस

[&] English translation of the original speech delivered in Marathi.

Content Page

स्थिति के कारण सीआरपीएफ सुरक्षाकर्मियों में आत्महत्या, मानसिक तनाव और त्यागपत्र की शिकायतें बढ़ रही हैं। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के लिए 4,069 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में 90 प्रतिशत अनुदान आवंटित नहीं किया गया है। इसके लिए यदि सरकार नहीं, तो कौन जिम्मेदार है? इस सरकार ने 33% महिला आरक्षण का वादा किया था, लेकिन अर्धसैनिक बलों में महिला कर्मचारियों का अनुपात केवल 4% है।

महोदय, सरकार अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हर साल बजट में लाखों करोड़ रुपये खर्च करती है, लेकिन हकीकत में घुसपैठ, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियां जारी रहती हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ निर्माण का कार्य केवल 78 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। हमारी सेना को पाकिस्तान सीमा पर भी कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा पार, दोनों पड़ोसी देशों से आतंकवादी गतिविधियां, घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय नहीं तो और कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार बार-बार कहती रही है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है। तो फिर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के लिए 41,000 करोड़ रुपये का भारी भरकम प्रावधान क्यों करना पड़ा? मैंने स्वयं जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस प्रभारी के रूप में काम किया था। मुझे यह कहना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को इस सरकार ने केवल अपने राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। उनको सहायता देने का पहला काम आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने किया। इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों की सहायता नहीं की। सिर्फ उनके ऊपर फिल्में बनाना और बातें करने का काम इन्होंने किया है।

महोदय, मणिपुर में सांप्रदायिक संघर्ष दो साल बाद भी नहीं रुक रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय ने वहां हिंसा रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। अंततः वहां राष्ट्रपति शासन और एफस्पा अधिनियम लागू किया गया, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। मणिपुर के लोग कब तक अनिश्चितता और हिंसा के ऐसे माहौल में रहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री को मैं पूछना चाहती हूं कि आप पूरी दुनिया में यात्रा करते हैं, लेकिन आप को कम से कम एक बार मणिपुर जाने का समय मिलता तो हमें अच्छा लगता।

महोदय, आपदा प्रबंधन के बारे में बात करनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों के लोग बाढ़, तूफान, भूकंप या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस दौरान गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानि एनडीआरएफ की प्रतिक्रिया बेहद उदासीन दिखाई दी। एनडीआरएफ में 23 प्रतिशत पद रिक्त हैं और यह सरकार उन्हें तत्काल भरने की आवश्यकता महसूस नहीं करती है। केंद्र को विभिन्न राज्यों से कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। ये सारे आंकड़े मेरे नहीं हैं, बल्कि गृह मंत्रालय की समिति द्वारा 10 मार्च 2025 को जारी की गयी Demands for Grants रिपोर्ट से लिए गए हैं।

2.00 P. M.

महोदय, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता देर से और अपर्याप्त रूप से प्रदान की जाती है। वायनाड में इतनी भयंकर आपदा आई। वहां भूस्खलन से हजारों लोगों ने जान गंवा दी। लेकिन वहां के पीड़ितों को अभी तक केवल 500 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मानसून के दौरान भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सैकड़ों

लोगों की मौत हो गई। हजारों घरों, दुकानों, सड़कों, राजमार्गों और गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा और हजारों लोग बेघर हो गए। उस वर्ष प्राकृतिक आपदा से इस पहाड़ी राज्य को 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्य चलाया, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को केवल 433 करोड़ रुपये दिए। प्राकृतिक आपदाएं बिना किसी चेतावनी के आती हैं, लेकिन हमें उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उपसभापति महोदय, देश में साइबर अपराधों की संख्या भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। हाल ही में जब भी आप अपना फोन कान पर लगाते हैं तो साइबर अपराधियों से सावधान रहने का संदेश चलने लगता है, लेकिन अब लोगों को यह संदेश ज़ुबानी याद हो गया है। 2022 में साइबर अपराध में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस गंभीर समस्या के लिए केवल 24 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और आप कहते हैं कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। हाल ही में यह देखा गया है कि देश के कई राज्यों में साइबर अपराधों के लिए अलग से पुलिस स्टेशन तक नहीं हैं, जिससे साइबर अपराधियों को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है।

उपसभापति जी, आज जब हमारा पूरा देश डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है और हम तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि इसकी तुलना में हमारी साइबर सुरक्षा नीति बहुत कमजोर है।

महोदय, देश की जेलों की स्थिति के बारे में तो न ही बोलें, तो अच्छा है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से जेल नहीं जाता। वर्तमान में देश की जेलों में उनकी क्षमता से 131 प्रतिशत अधिक कैदी भरे हुए हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि 76 प्रतिशत मामले अभी भी लंबित हैं और लाखों लोग वर्षों से जेल में हैं...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

**श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल:** जिनको कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया या सजा नहीं सुनाई गई, वे अगली अदालती तारीख का इंतजार करते हुए जेल में ही हैं। महोदय, भा.ज.पा. की मशहूर वॉशिंग मशीन में जाने वालों को राजनीतिक हितों के कारण इस कार्रवाई से छूट दी जा रही है और कईयों के खिलाफ मामले वापस लिए जा रहे हैं या स्थगित किए जा रहे हैं। *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Madam, nothing more is going on record. Please sit down. ...*(Interruptions)*... Now I will call Ms. Dola Sen; not present. Now Shri Ramji Lal Suman; five minutes. ...*(Interruptions)*... रूल्स आप बनाते हैं, आगे बना दीजिएगा। श्री रामजी लाल सुमन, पांच मिनट। ...(**व्यवधान**)...

**श्री रामजी लाल सुमन** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, हम यहाँ गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि देश का जो गृह मंत्रालय है, उसका प्रमुख काम देश की एकता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना है। यह पूरा देश एक घर है और हिंदुस्तान में

* *Not recorded.*

Content Page

विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का यह दायित्व है कि यहाँ सभी धर्मों में सामंजस्य हो, एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म की इज्जत करें। लेकिन पिछली बार देखने में आया है कि जानबूझ कर हमारे देश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।

उपसभापति जी, अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए, जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, बिहार के एक विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं, इन दोनों ने यह कहा कि मुसलमान होली पर अपने घर में कैद हो जाएं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है, वे हिंदुस्तान छोड़ दें।

उपसभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली, अब जब वहाँ अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहाँ के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा, उसको हम ऊपर पहुँचा देंगे। उपसभापति जी, यह कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है, वह किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं बहुत अफसोस के साथ यह कहना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता, यह नहीं कहता कि जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसे में क्या हम यह मान कर चलें कि इस प्रकार के जो तत्व हैं, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको यह भाषा अच्छी लगती है।

उपसभापति महोदय, बार-बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, जैसा मैंने पहले कहा, जिनको रंग पसंद नहीं है, वे हिंदुस्तान छोड़ दें। उपसभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह जानना चाहूँगा कि * हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। क्या इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है? राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह, बादशाह ज़फर के बेटों का सर कलम कर दिया गया और बादशाह ज़फर के पास भेज दिया गया तथा अंग्रेजों ने कहाः

*'दमदमे में दम नहीं है ख़ैर मांगो जान की,*
*ऐ ज़फर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की।'*

बूढ़े बादशाह ज़फर ने कहा,

*'ग़ाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की,*
*तख़्त ऐ लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।'*

उपसभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात पर एक तो बीजेपी के लोगों का यह तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उपसभापति महोदय, मैं यह

---

* *Not recorded.*

Content Page

जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है, हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वह तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी-संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है, लेकिन बाबर को लाया कौन? * उपसभापति महोदय, इस देश की एकता ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापतिः** आप अनुभवी आदमी हैं, आप बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। ...(**व्यवधान**)... Your time is over. *...(Interruptions)...* जो भी चीज़ें संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं हैं, वे रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगी। ...(**व्यवधान**)...

**श्री रामजी लाल सुमनः** *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. You please sit down. Now, Shri Vaiko. You have three minutes to speak. *...(Interruptions)...*

**श्री रामजी लाल सुमनः** सर, ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापतिः** आपका समय कब का खत्म हो चुका है। Mr. Vaiko, you have three minutes to speak. I am calling you.

SHRI VAIKO: Why do you punish me like this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vaiko, you have three minutes. Please speak. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAIKO: He has to complete.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has completed. You please speak. You have three minutes.

SHRI VAIKO: You are a very generous Deputy Chairman. Therefore, you have allotted three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not allotted. It has been allotted as per the rules and procedure. You are a very senior Member, Vaiko*ji*. Please speak.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Some four months back, a conference was held in Allahabad (Prayagraj) by the RSS and Hindutva forces. They released a

---

* *Not recorded.*

memorandum of 32 pages. In that memorandum, the very first paragraph deals with the name of the country. 'Hereafter, India should not be called India. India should be called only 'Bharat'. * ...(*Interruptions*)... Yes, it has appeared in all newspapers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please substantiate. You cannot report the newspaper. ...(*Interruptions*)... आप इसको शाम तक substantiate कीजिए।

SHRI VAIKO: We are bothered. You have passed a resolution. Could you implement that? ...(*Interruptions*)...

**श्री उपसभापतिः** आप इसको substantiate कीजिए, otherwise, it will not go on record.

SHRI VAIKO: * This is also in the memorandum. The memorandum was... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please substantiate and give me on record. ...(*Interruptions*)... You have to substantiate it.

SHRI VAIKO: Sir, the Tamil Nadu Government has sought an additional Rs.6,675 crore in relief funds for both temporary and permanent restoration efforts. Tamil Nadu Chief Minister submitted a memorandum to the Inter-Ministerial Central Team requesting this substantial grant to facilitate rehabilitation work in the wake of Cyclone Fengal's destruction. Two years back also, last year also, the Union Government has not released adequate grants and funds when our State was impacted by Michuang Cyclone. This is clearly discrimination against our State and step-motherly treatment. The Minister of Home Affairs, who is releasing the Disaster Relief Fund, has victimized our State just because we are against their Hindutva, RSS policy and imposition of Hindi and Sanskrit. Sir, Tamil is the mother-tongue of nearly 120 million people living in more than 114 countries of the world besides India, Sri Lanka, Malaysia and Singapore. Arignar Anna, the founder of DMK, made a wonderful speech on the floor of the Rajya Sabha in 1963. He stated that all the State languages, national languages should be made official languages of the country. Only then the unity and integrity will be protected.

Sir, I would like to ask the hon. Home Minister, when he visited first time, he said, "Hindi will be definitely imposed." Then an agitation started in 1965.

---

* *Not recorded.*

Content Page

*...(Interruptions)...* I am a product of the anti-Hindi agitation. I was imprisoned for six months for *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over, Mr. Vaiko. *...(Interruptions)...* Your time is over. *...(Interruptions)...*

SHRI VAIKO: Therefore, even the poor people who do the digital transactions...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vaiko, it is not going on record now. *...(Interruptions)...* It is not going on record. आपने जिस document को क्वोट किया है,you have to authenticate and lay copy of that on the Table. *...(Interruptions)...* It is over; not going on record. *...(Interruptions)...* Now, Mr. Mahendra Bhatt. You have ten minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is already over, Mr. Vaiko. ...(**व्यवधान**)... आप बोलें। आपके बोलने का समय 5 मिनट है। आप बोलें आपकी बात रिकॉर्ड पर जा रही है।

**श्री महेंद्र भट्ट** (उत्तराखंड): माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे गृह विभाग के कार्यों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, गृह मंत्री जी की आवाज़ से ही आतंकवादियों और अपराधियों का भयभीत होना स्वाभाविक हो जाता है। राज्यों के अंदर अलगाववादी अपराधी तत्वों पर जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, विशेष रूप से यदि मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा करूं या अन्य राज्यों की बात करूं, तो इससे भारत सरकार के गृह मंत्रालय का अपराधियों के प्रति कड़ा रुख स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक गृह मंत्री, जिन्होंने राज्य को भारत से जोड़ा, और आज के गृह मंत्री, जो राज्य को भारतीय राज्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Vaiko.

**श्री महेंद्र भट्ट**: रामराज्य की परिकल्पना आज भले ही दूर लगती हो, परंतु मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भाजपा सरकार इस कल्पना को पूर्ण करने का प्रयास कर रही है। ...(**व्यवधान**)... जब-जब भारतवर्ष में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सिर उठाने लगे, तब-तब इस माँ भारती ने ऐसे लालों को जन्म दिया, जिन्होंने इस देश को अपराधमुक्त बनाने का कार्य किया। उन महान व्यक्तियों में आज हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी को मैं अवतारी पुरुष मानता हूं।

महोदय, आज भारत की सुरक्षा, चाहे आंतरिक हो या बाह्य, उसे सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है। कल ही हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था कि एक समय था, जब पूरे मीडिया

* *Not recorded.*

में - चाहे समाचार चैनल हों या अखबारों के विज्ञापन - यह कहा जाता था, "ऐसी वस्तु कहीं भी हो सकती है, उसे न छुएं, वह लावारिस हो सकती है।" लेकिन आज, मैं कह सकता हूं कि नागरिकों द्वारा स्वयं को असुरक्षित महसूस किया जा रहा था। आज मोदी जी की सरकार ने देश के नागरिकों में कानून और सुरक्षा के प्रति विश्वास स्थापित किया है।

माननीय गृह मंत्री जी ने राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य किया है। कानून का शासन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। समय पर न्याय मिले, अपराधमुक्त वातावरण का निर्माण हो, मानवाधिकारों के सिद्धांतों का पालन हो और प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं की क्षति को रोकने का विषय हो, आज हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

10 जनवरी, 2020 को सीएए लागू हुआ। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना था, तब पूरे देश में भारत माता की जय के नारे गूंजे। लेकिन विभाजन के कारण अनेक लोग भारत से अलग हो गए। बाद में जब वे भारत आए, तो मैं गृहमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन नागरिकों को हिंदू, सिख, जैन, पारसी आदि को नागरिकता देने का कार्य किया जा रहा है। यह एक योग्यतम निर्णय कहा जा सकता है।

22 जनवरी, 2025 को राष्ट्रध्वज के सम्मान में एक दंड संहिता बनाने की परिकल्पना भी माननीय गृहमंत्री जी ने दी। चाहे खेलों के दौरान तिरंगे का सम्मान हो या संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का महत्व - देश के भीतर हर ध्वज के प्रति सम्मान को स्थापित करने की उचित व्यवस्था की गई है।

1 जनवरी, 2025 को सदन ने यह तय किया कि देश के भीतर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि लम्बे समय तक गुलाम रहने के बाद क्या गारंटी है कि हमारा देश फिर से गुलाम नहीं होगा? इसलिए आज के युवाओं में राष्ट्रभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने का काम देश के अंदर किया गया है, मैं इसकी सराहना करता हूं।

महोदय, 1 जुलाई, 2024 को तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं।

1. भारतीय न्याय संहिता – पहले दंड दिया जाता था, लेकिन अब न्याय मिलेगा। 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए एक अलग अध्याय जोड़ा गया है, जिसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। न्याय के तत्काल क्रियान्वयन के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-संबंध को लॉन्च किया गया है, जो आज की आवश्यकताओं के लिए नितांत आवश्यक है। सर, मैं कह सकता हूं कि इन सब कार्यों के लिए 2,33,210.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 1,60,391.6 करोड़ रुपये केन्द्रीय पुलिस वालों के लिए आबंटित है। 1 अगस्त, 2019 को तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के अंदर लंबे समय से मातृ शक्ति सम्मान का बोध होता है। हम मुस्लिम बहनों के सम्मान के लिए इस कानून को लाए और आज मुस्लिम बहनों के अधिकार की जो रक्षा हुई है, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ...(**समय की घंटी**)... सर, 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 ...

Content Page

**श्री उपसभापतिः** Your time is over. आपका टाइम खत्म हुआ।

**श्री महेंद्र भट्टः** उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं ...

**श्री उपसभापतिः** समय खत्म हुआ। प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

**श्री महेंद्र भट्टः** अगर मैं 370 की चर्चा करूं ...(समय की घंटी)... मैं यह कहना चाहता हूं ...

**श्री उपसभापतिः** समय खत्म हो गया, प्लीज़, बैठ जाइए। Now, Shri Praful Patel; not present. Shri Haris Beeran, you have three minutes.

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Thank You, Mr. Deputy Chairman, Sir, for having given me the opportunity. I have got six points and I have got only three minutes. So, I will take 30 seconds for each point. Sir, my first point is about the Census. This Ministry is the Ministry tasked to conduct the Census. After 2011, for a long period of 14 years, there has not been any Census done. We know, Sir, Census is the mother of all data. Many of the weaker sections of the society depend on the Census and get the privileges and benefits out of the Census. The allocation of funds for Census, for this particular year, also indicates that there is no provision for conducting Census this year also. I want the Home Minister to answer in this House as to why the Census is not done and when the Census will be done.

Secondly, on the disaster management aspect, Sir, Wayanad disaster happened in July of 2024. It has been almost eight months since Wayanad disaster happened. There is no policy as to the disbursal of the disaster relief fund as far as States are concerned. The people who are the victims of this disaster are still on the streets. They do not have any home; they do not have any employment. There is no policy as far as the disaster management fund disbursal is concerned. So, I urge the Ministry to have a policy in this regard. This is a disaster of severe nature, a calamity of severe nature. So, whenever a disaster of this nature happens, there has to be a policy that within this particular time, the money will be sent to the States.

Thirdly, Sir, on the Foreign Contribution Regulation Act, there have been a lot of FCRA clearances for a lot of institutions in Kerala. These institutions belong to the Christian minorities and Muslim minorities. They already have the FCRA clearances. They run the orphanages, they run the hospitals, they run the educational institutions; it is all free of cost. Suddenly, when there is a renewal of these FCRA clearances, everything has been rejected wholesale. We do not know what the policy of the Ministry is. Why is it not being renewed now, Sir? This also, the Home Minister has to explain in the House. Now, as far as the drug related issue is concerned, it is a matter

of grave concern. Drug abuse among the youth is a matter of very severe concern in the State of Kerala. In 2024 alone, there were some 24,000 cases and majority of the cases were drug-related cases. The crime rate is increasing over there. I want to know why the drug abuse in Kerala has reached such a level despite the presence of Central agencies like the Narcotic Control Bureau and what steps the Narcotic Control Bureau and the Minister are taking to reduce drug abuse in Kerala. Fourthly, I would like to say on the issue of atrocities against the minorities. I am starting from Manipur. We all know the kind of displacement which has happened over there. Some 65,000 people have been displaced. That is what the hon. Finance Minister stated the other day. Homes have been destroyed. The response of the Ministry is nothing. It is very evasive and vague. And, what steps is the Ministry pro-actively taking, Sir? (*Time-bell rings.*) Just 30 seconds, Sir. A report by the Centre for Study of Society and Secularism says that there have been 59 communal riots in 2024 alone. These incidents reflect a pattern of inadequate conflict resolution mechanism. Moreover, Sir, this bulldozer demolitions and minority displacements are also happening. I urge the Ministry to take action. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Samik Bhattacharya.

**श्री सामिक भट्टाचार्य** (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और सभी राजनैतिक दल के सदस्यों के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। महोदय, एक political party को अपने stunts और stand बदलने का अधिकार है, एक राजनेता को अपना दल बदलने का अधिकार है, पर क्या किसी गरीब मजदूर के पास यह अधिकार नहीं है या किसी आम political party के कार्यकर्ता को दूसरी political party को join करने का अधिकार नहीं है?

महोदय, 2014 के आम चुनाव के बाद नरेन्द्र मोदी को भारत सरकार के संचालन का दायित्व मिला, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली दफा एक political party, जिसने कांग्रेस की कोख से जन्म नहीं लिया, कांग्रेस तोड़कर नहीं बनी, जिन्होंने अपनी ideology के साथ कभी compromise नहीं किया और जो magic figure है, उसने वह मैजिक फिगर अपने बलबूते पर पार कर ली। पूरे देश में एक नया माहौल बना और हमारे पश्चिमी बंगाल में बीरभूम जिले में शेख रहीम नाम से एक गरीब मजदूर, जो कोई जमींदार नहीं था, कोई industrialist नहीं था, कोई पत्रकार नहीं था, कोई साहित्यकार नहीं था, सिर्फ ट्रक से भारी माल उतारने का काम करता था, उन्होंने सीपीआई (एम) का झंडा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले लिया। उसे बोला गया कि अगर पश्चिमी बंगाल में रहना है, तो ruling party के साथ रहना है, लेकिन उन्होंने बाज़ार में खड़े होकर डटकर जवाब दिया कि हम बार-बार अपना बाप नहीं बदल सकते हैं। अगर घर में जाएंगे, तो इसको सीने पर लगाकर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जब खाने बैठा, तो चारों तरफ से जुलूस लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने उसे घेर लिया, उसे वहाँ से उठाकर ले गए और lightpost

Content Page

के साथ बाँध दिया। उसके बाद धीरे-धीरे, he was chopped to death. उसकी बीवी, उसके पैर के नीचे पड़ी हुई थी।

सर, एक जिले के, एक ब्लॉक के इलाम बाज़ार ब्लॉक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पाँच अल्पसंख्यक कार्यकर्ता मारे गए। जो लोग यहाँ पर बैठकर एससी/एसटी और ओबीसी की बातें करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 455 BJP workers have been killed since 2011. सर, गृह मंत्री जी अभी आने वाले हैं। जब गृह मंत्री जी पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे, तब 67 BJP workers have been killed in West Bengal. नेता सदन, आदरणीय नड्डा जी गंगा जी के तट पर बैठकर 83 BJP workers के लिए स्मृति तर्पण करके चले आए।

सर, अब चुनाव की बात करेंगे। 2021 में चुनाव के परिणाम की घोषणा हुई। तीसरी बार के लिए पश्चिमी बंगाल की जनता ने जैसे भी हो, ममता बनर्जी को मुख्य मंत्री चुन लिया। लेकिन हुआ क्या? Within 27 days, 56 BJP workers have been killed. 30 ऐसी महिलाएं हैं, जिन्होंने मानवाधिकार कमीशन के सामने आकर खुलेआम बोला है कि हम लोगों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। सर, यह आंकड़ा जनता के सामने है। अभी संजय जी कुछ ही देर पहले बोल रहे थे कि NCRB का हिसाब कितना है। मैं एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट क्वोट कर रह हूं। "In 2021, 13,278 girls below 18 years were missing. More than 5,609 of them are still traceless. In the same year, 50,998 women went missing and more than 29,000 of them are yet to be found." This is the practical situation in West Bengal. पश्चिमी बंगाल की प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है? महोदय, आज हम लोग बंगलादेश को लेकर बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दो सालों से बंगलादेश में एक केंपेन चल रहा है कि बंगलादेश के राष्ट्र गीत में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि रवींद्रनाथ टैगोर उस गीत के रचयिता हैं, इसलिए इसको बदलो। सारे बंगलादेश में यह कैंपेन चला, बहुत जगह पर बंद भी कर दिया, लेकिन हम जिस स्टेट से आते हैं, उस पश्चिमी बंगाल स्टेट में एक हेड मास्टर थे, जिन्हें आज भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी मिल गया है, उनका नाम काज़ी मासूम अख्तर है। Heart of Kolkata में यह हेड मास्टर थे, उनका एक ही कसूर था ...(**व्यवधान**)... राष्ट्र गीत होना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...आपका समय खत्म हो गया है। बैठ जाइए।

**श्री सामिक भट्टाचार्य:** सर, दो मिनट दे दीजिए। ..(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

Now, Dr. M. Thambidurai; five minutes. ...*(Interruptions)*... The Party has allocated time, not me. The Party has given you five minutes. Please.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, please give me 30 seconds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude within 30 seconds.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, Kazi Masum Akhtar was beaten ruthlessly, mercilessly, and went into coma. इसका कारण क्या है? उन्होंने राष्ट्रीय गीत को इन्ट्रोड्यूस किया। उसके बाद मुख्य मंत्री के ऑर्डर से Commissioner of Police, Kolkata ...(*Time-bell rings.*)... मैं उनका स्टेटमेंट पढ़कर खत्म कर रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Thambidurai; your time is being started now.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, on behalf of the AIADMK Party and our Leader, Shri Edappadi Palanisamy, I rise to participate in this discussion. I support what Shri Vaiko said about language. Tamil must be made an official language of this country. This has been a long-pending demand of the AIADMK Party and even Madam Jayalalitha had raised this issue. Even though Police and law and order is a State Subject, the Home Ministry implements a comprehensive scheme for the modernization of Police. In this connection, I would like to bring the following facts to the notice of the hon. Home Minister.

Sir, the House may be aware that human faeces were dumped in an overhead tank that supplied drinking water to Scheduled Caste families at Vengaivayal village of Pudukottai district. No action on that has still been taken by the DMK Government. Dalits have suffered. They demanded a CBI inquiry into the case. I would request the Central Government to order a CBI inquiry into the incident that occurred. In another incident last year, dalit residents of Kallakuruchi consumed Methanol-mixed illicit liquour, leading to 70 deaths and more than 160 losing their vision. Sir, this is the state of the law and order situation in Tamil Nadu and incidents involving dalits. No action has been taken yet. The affected people have not been given any compensation. No action against criminals has been taken.

I now come to drugs. As the hon. Member from Kerala said, drugs are freely available in some parts of the country, particularly in Tamil Nadu, where we have seen the seizure of over 5,000 kg. of ganja in the southern districts of Tamil Nadu. Some months back, the Narcotics Control Bureau arrested a former DMK functionary, Jaffer Saddiq, in a Rs. 2,000 crore drug trafficking racket. He was the kingpin of the India-Australia-New Zealand drug trafficking network. No action has been taken. Drugs have become a huge menace. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vaiko, please.

Content Page

DR. M. THAMBIDURAI: The youth is getting affected. As far as safety of women is concerned, there is no safety for women in Tamil Nadu. I was once a Professor at the Anna University. Let me tell you what happened there. May I remind the House that in December last year, a girl studying at the prestigious Anna University was sexually assaulted inside the campus? No action has been taken yet. That person has a long criminal record, but he is being protected by the DMK Government in Tamil Nadu. Law and order situation is bad. An incident took place last week. The Chief Minister replied wrongly in the Tamil Nadu Assembly. In Tamil Nadu, there is no safety even for the police personnel. A 60 year old retired Sub-Inspector, Zakir Hussain — they keep saying 'minority, minority' — was brutally hacked to death in Tirunelveli in Tamil Nadu yesterday. No action was taken. No arrests were made. Some time back, a BSP State President, Mr. Armstrong, a dalit, was killed brutally. What action has the DMK Government taken? No action has been taken. *...(Interruptions)...* Sir, let me tell you, even in yesterday's proceedings of the Tamil Nadu Assembly, my leader, Shri Edappadi Palanisamy, raised this issue and said [£] This is the pitiable situation there. Sir, there is another thing. Earlier also, I was raising that issue. It is regarding the inclusion of the Valmiki community in the Scheduled Tribe category in Tamil Nadu. It is a long-pending demand. When Madam Jayalalitha was alive, at that time, she recommended that Valmiki community must be included in the ST category because in Karnataka, in parts of Telangana and even in parts of Andhra, they are treated as a tribal community. I am requesting the Home Ministry to include because the file is pending in the Home Ministry. This is a long-pending demand of the people.

Sir, my next point is regarding the Governor. *...(Interruptions)...* I want to say only one point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI: The Vice-Chancellors are not appointed in Tamil Nadu. ...(*Time-bell rings.*)... This is because in 2010, the DMK-UPA Government brought a regulation that the UGC must send its nominee. When they sent their nominee, they are not accepting it! *...(Interruptions)..*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is Dr. Fauzia Khan. You have three minutes.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, while we aspire for a *Vikasit Bharat*, a troubling reality threatens the foundation, the very नींव of our home -- the increasing

---

[£] *Exupnged as ordered by the Chair.*

narcotic and drug abuse, especially among children. सर, जब नींव कच्ची हो, तो इस देश के भविष्य की इमारत कैसे उभर सकती है, कैसे मजबूती से खड़े रह सकती है, यह प्रश्न है।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.*]

Cases under liquor and narcotic drugs-related acts constituted 52 per cent of SLL crimes in 2022. NCRB के आँकड़ों के अनुसार 2022-23 में 10 से 17 साल की उम्र के 1.5 करोड़ बच्चे व्यसन की लपेट में आ चुके हैं। Child-friendly areas, schools, parks, etc., are specially targeted by drug peddlers. सर, ये हमारे देश की नींव हैं और हम विकसित भारत की इमारत की बातें सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं। The Home Ministry assists States in narcotic control. The scheme of Assistance to States and Union Territories for Narcotic Control, 2018-19 में 8 करोड़ का प्रावधान था, 2021-22 में एक करोड़ हो गया, 2023-24 में nil हो गया। सर, इस साल 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन a great damage has already occurred out of this neglect.

सर, बच्चों में नशे के कारण कानून और व्यवस्था पर भयानक परिणाम होता है और यह प्रश्न देश की नींव को हिला कर रख देता है। Cross-border drug trafficking, the use of the dark web, crypto-currency for buying drugs, parcel courier services for delivery still prevail. This is able to thrive due to a nexus with corrupt officials, which has also been established by Courts, like the Punjab-Haryana Court in 2024. सर, भ्रष्टाचार भी देश की नींव को कमजोर करता है। बच्चों में drug and narcotics के abuse का एक और भयानक परिणाम नशे की हालत में गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाएँ और होने वाले accidents हैं। सर, पुणे में 2024 में एक घटना हुई है, जिसमें दो लोगों की जानें गईं। पोर्शे गाड़ी चलाता हुआ वह 17 वर्ष का युवक नशे में धुत था। उसको सजा क्या हुई? उसको सजा यह हुई कि उसको एक निबंध लिखने को कहा गया। This is not an isolated incident. Such incidents highlight a critical gap in narcotics and substance control and law enforcement. Drugs worth Rs. 11,311 crores have been seized from seaports.

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्या, आपका भाषण समाप्त हुआ। धन्यवाद। श्री गुलाम अली। आपके पास 5 मिनट्स हैं।

**श्री गुलाम अली** (नामनिर्देशित)**:** सर, आपने मुझे Home Ministry की working पर बोलने के लिए इजाजत दी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने मुझे वज़ारते दाखिला के अमूर पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जनाब, हकीकत यह है कि गुज़िश्ता 11 साल मुल्क की अंदरूनी सलामती, अमन-ओ-आमान के लिहाज से एक मिसाली दौर साबित हुआ है। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के सीनियर मेम्बर ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर के लिए allocation बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ हालात खराब हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आज modern जमाना है, security forces को technique से नवाजना है, cyber crime को curb करना है, तो इस

allocation को खराब हालात से क्यों जोड़ते हैं? यह मुझे समझ में नहीं आता है। ये ही जानते होंगे। नरेन्द्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेशन में यह जो ह्यूज जंप हुआ है, यह हमारे यहाँ law enforcement में, terrorism को combat करने में और Left-Wing Extremism को curb करने में नरेन्द्र मोदी जी की commitment को दर्शाता है।

वाइस चेयरमैन, अभी हमारे एक दोस्त बोल रहे थे कि देश में माइनॉरिटी को बहुत खतरा है, बहुत दंगे हो रहे हैं, बहुत communal flare हो रहा है। History does not lie. The most devastating communal riots in Independent India's history did not take place under this Government's regime. They occurred under the Congress-led regimes, where riots were either ignored, encouraged or weaponised for electoral advantage. And, 1984 anti-Sikh riots, where thousands were butchered on the streets of Delhi, were not a spontaneous reaction but a State-sponsored programme. Who was in power? It was the Congress. Who led the mobs? The Congress leaders led the mobs. And, who justified the killings? The then Prime Minister himself did this with the chilling words, "When a big tree falls, the earth shakes." उनके ये अल्फ़ाज़ थे। आप जरा गिरेबां में झांकिए। सर, बात यहीं खत्म नहीं होती है। आप देखिए, तो असम में 1983 में massacre हुआ, 1989 में भागलपुर में riots हुए, 1992-93 में बॉम्बे में riots हुए, 1987 में मेरठ में riots हुए। लेकिन, इसके बरअक्स, हमारी सरकार के समय में, in contrast with this, we now have strong, decisive and fearless leadership, that India has witnessed under the Modi-led Government at the Centre. Under our Government, despite countless provocations and attempts to incite unrest, India has remained more stable, secure and united than it was under any previous regime. We have empowered the law-enforcement agencies, strengthened the intelligence network and sent a clear message that the rioters, irrespective of their religion or political affiliations, will face justice.

सर, मैं जम्मू-कश्मीर से आता हूँ और अगर मैं जम्मू-कश्मीर की बात नहीं करूंगा, तो नाइंसाफी हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर को हमेशा एक political mileage के लिए एक सियासी मुद्दा बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें सदन के ध्यान में लाना चाहूँगा और देश को बताना चाहूँगा। वहाँ शेख अब्दुल्ला साहब को launch किया गया था। उनसे कश्मीर के लोग नाराज थे, डोगरा नाराज थे, वहां के जो ethnic groups थे, जो गुर्जर और पहाड़ी थे, वे नाराज थे, लद्दाख के लोग भी नाराज थे। यहां वे region-specific discrimination करते थे - कभी जम्मू को कश्मीर के साथ, तो कभी कश्मीर को जम्मू के साथ। देश के वजीर-ए-आज़म ने और देश के वजीर-ए-दाखिला ने एक स्ट्रोक से इन सारे discriminations को खत्म कर दिया, वहाँ से Article 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और लद्दाख को UT बनाया।

वाइस चेयरमैन सर, वहां के गुर्जर और पहाड़ी को, वहां के कई ethnic groups को, जो non-Kashmiri speaking थे - ये मुसलमानों के बड़े मसीहा बनते हैं, लेकिन इन्होंने जान-बूझकर PoJK, जो आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, intentionally दिया, ताकि इनका जो सुल्तान शेख अब्दुल्ला था, वहाँ उसकी नस्ल-दर-नस्ल हमेशा सल्तनत रहे।

सर, जम्मू कश्मीर में OBCs हैं। इनको वहाँ पर 70 सालों तक OBCs नहीं दिखे। भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी जी की रहनुमाई में उनको 8 परसेंट रिजर्वेशन दिया। इस्लाम ने 1,400 साल पहले औरतों को हक दिया। जम्मू-कश्मीर एक Muslim majority वाला इलाका है। वहाँ की कोई औरत अगर हिमाचल में या दिल्ली में शादी कर लेती थी, तो उसको वहाँ अपनी प्रॉपर्टी पर राइट नहीं था। नरेन्द्र मोदी जी ने एक कलम से उसको..

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें। गुलाम अली जी, भाषण समाप्त करें।

SHRI GHULAM ALI: I am concluding, Sir. सर, political reservation से लेकर, पाकिस्तान से infiltration होती थी। वहाँ के जो सारे किसान हैं..

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** आपका भाषण समाप्त हुआ। श्री अजीत कुमार भुयान, अनुपस्थित। ...(**व्यवधान**)... श्री संजय कुमार झा। आपके 5 मिनट्स हैं।

**श्री संजय कुमार झा** (बिहार): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। चाहे जम्मू-कश्मीर हो या पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे नक्सल उग्रवाद से निपटना हो, चाहे मादक पदार्थों की रोकथाम हो, इन सबके लिए पिछले पाँच वर्षों में गृह मंत्रालय ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ और न्याय तथा दर्शन में मिथिला का अपना अलग स्थान रहा है। न्याय पर बहुत सारा काम मिथिला में हुआ। महर्षि गौतम हुए, जिन्होंने न्याय सूत्र पर लिखा। वाचस्पति मिश्र हुए, जिन्होंने न्याय पर लिखा। अभी गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक न्याय के जो तीन नए कानून दंड लाए गए, ये कानून दंड नहीं, बल्कि न्याय केंद्रित हैं। 160 वर्षों के बाद तथा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा की गई है। 21वीं सदी का यह सबसे बड़ा सुधार है। इसके पूर्णतया लागू हो जाने के बाद हमारी न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली हो जाएगी। इन कानूनों की मूल भावना में Citizen first; dignity first; justice first का ध्यान रखा गया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों ने राजद्रोह की धारा लगाई थी, जिसके तहत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दंडित किया गया था। अब राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124 को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह के बदले अब देशद्रोह के कृत्यों पर एक नई धारा 152 शामिल की गई है। पहली बार सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है यानी कोई गलत काम किया है, तो उसको दंड के रूप में Community service का दंड दिया जा सकता है। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। पहली बार देश से फरार होने वाले अपराधियों के लिए Trial-in-absentia का प्रावधान जोड़ा गया है। पहली बार सात वर्ष या उससे अधिक सजा के मामले में फॉरेंसिक के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। उसी तरह, नशा मुक्त भारत के लिए, Narcotics के लिए सरकार ने zero-tolerance की नीति अपनाई है। मैं देख रहा था कि इसके लिए गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में 31 बैठकें की गईं कि कैसे नारकोटिक्स

के खिलाफ काम किया जाएगा। इसके लिए चार स्तरीय National Narcotics Coordination Portal mechanism का गठन किया गया है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उसी तरह पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा होती है। पूर्वोत्तर में 2014 की तुलना में वर्ष 2024 में विद्रोह की घटनाओं में 64 परसेंट की कमी आई है। सुरक्षा बलों की हताहत होने की संख्या में 2014 की तुलना में 2024 में 85 परसेंट की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु में 2014 की तुलना में 2024 में 86 परसेंट की कमी आई है। लगभग 12 समझौते किए गए, जिनसे 10,000 से अधिक युवाओं ने आत्मसमर्पण किया है। बिहार में हमेशा नक्सलवाद का एक प्रभाव रहता था, लोग कहते थे कि पशुपतिनाथ से तिरुपति तक नक्सल का एक लंबा कॉरिडोर है। मैं बिहार का comparison कर रहा हूँ - बिहार में 2004 में नक्सल प्रभावित violence के incident 342 हुए थे और 2024 में यह घट कर 13 हो गया। 20004 में नक्सलों के द्वारा 218 सिविलियन्स की मृत्यु हुई थी, जो 2024 में घट कर एक हो गई। 2004 से 2024 तक लगभग 7,000 naxalite extremists को अरेस्ट किया गया है। बिहार में 2020 से आज तक नक्सलियों के साथ कोई भी घटना में किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेज़ की जान नहीं गयी है यानी जीरो सिक्योरिटी फोर्सेज़ की जान गयी है। मैं एनआईए का भी देख रहा था, उसमें भी 147 मामलों में 95 परसेंट conviction rate है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। चूँकि हम बिहार से आते हैं और उत्तर बिहार में फ्लड का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। हर एक साल जब फ्लड का प्रभाव रहता है, तब गृह मंत्रालय के द्वारा पर्सनली वहाँ एनडीआरएफ भेज कर जिस टाइप से रेस्क्यू किया जाता है, उस समय जितना सपोर्ट किया जाता है, वह एक बड़ा काम हमेशा गृह मंत्रालय के द्वारा वहां पर किया जाता है। मैं बिहार से आता हूँ और मैं एक बात की जरूर चर्चा करना चाहूंगा। बिहार में सबसे बड़ा दंगा....

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हुआ।

**श्री संजय कुमार झा:** सर, एक मिनट।

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी):** आप कृपया बैठ जाएँ।

**श्री संजय कुमार झा:** ठीक है, सर।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri Sandosh Kumar P, three minutes.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I have certain serious concerns.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Not allowed. Please, three minutes only.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I have certain serious concerns related to the functioning of the Home Ministry in our country, and I have no hesitation in stating all those concerns because we are not at the mercy of any internal agency or any probing agency.

Sir, my first concern is regarding the tribals in Chhattisgarh. We are not in support of Maoism. Maoism is not Marxism at all. We stand with the security forces in Chhattisgarh and throughout the country also. But, Sir, in the name of combating Maoism, a large scale displacement of forest land is taking place, which is serving the corporate interests in our country. Moreover, Maoism is a political issue. It should be dealt with politically. Armed forces and annihilation will not serve the purpose. You are now trying to make a naxal-free India, but what is happening instead is, it is going to be a *tribal-mukt bharat*. So, this is a matter of grave concern which is related to the life and livelihood of tribals throughout the country, especially in the Bastar area. So, I take this opportunity to demand the Home Ministry to seriously reconsider their policy. I would again like to make it very clear that we are not in support of Maoism. We, as the CPI party, oppose it ideologically. But, this is, in turn, affecting lakhs of tribals in Chhattisgarh, especially in the Bastar area. Most of the encounters are fake encounters, simply flaunting the numbers in the name of Maoists and Naxals. That is my number one concern.

My second concern is related to the narcotics in this country. Without political help, these narcotics mafia cannot move like this. They are getting enormous support from the political leaders. Nexus between the political leaders and narcotics mafia must be inquired properly.

My third concern is related to the census. Census must be conducted as early as possible. As stated by many of the speakers, it is the mother of all data. Delimitation should take place accordingly. I would like to remind the speaker from the BJP that it was Mr. Arun Jaitley who spoke in 2021, while moving the 84$^{th}$ Amendment to the Constitution, about the importance of delimitation, that it should not be done on population basis, but it should be done based on some other criteria also. I request the Home Ministry to seriously take into consideration all these issues. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri Rwngwra Narzary; not present. Shri Jose K. Mani; not present. Shri K. R. Suresh Reddy; not present. Shri Sanjay Raut. Three minutes.

Content Page

**श्री संजय राउत** (महाराष्ट्र): सर, हम गृह मंत्रालय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से सदस्यों ने औरंगजेब पर चर्चा की। क्या दिन आए हैं कि इस उच्च सदन में लोग औरंगजेब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सर, मैं मानता हूँ कि उसके लिए जिम्मेदार हमारा गृह मंत्रालय है। ...(**व्यवधान**)... मेरे पास तीन मिनट्स तो हैं, मुझे बोलने तो दीजिए! अगर देश के गृह मंत्रालय ने -- ऐसी ताकतें, जिन्होंने औरंगजेब का नाम लेकर इस देश में बार-बार अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें कीं,... उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, जो महाराष्ट्र में मंत्री हैं, जो केंद्र में उच्च पदों पर हैं। अगर हम उन्हें न रोकें, तो यह देश एक नहीं रहेगा, यह देश अखंड नहीं रहेगा। देश में एकता और अखंडता कायम रखने का काम गृह मंत्रालय का है।

सर, मैं देख रहा हूँ कि कुछ सालों से इस देश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। उनका का काम क्या है? विरोधियों को कमजोर करना, राजनीतिक पार्टियों को तोड़ना - [£] अगर ऐसा होता रहा, तो गृह मंत्रालय का असली काम - कानून और व्यवस्था बनाए रखना, देश को एक रखना, सुरक्षा सुनिश्चित करना - सब कैसे होगा? मणिपुर कल तक जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को भी जला दिया गया है। महाराष्ट्र को जला दिया गया! नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ दिए गए ...(**व्यवधान**)... और वह भी औरंगज़ेब के नाम पर! नागपुर का इतिहास गवाह है कि 300 सालों में वहां कभी दंगा नहीं हुआ था। लेकिन आज, नागपुर जैसे शहर में दंगा होता है, और वह भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में! ...(**व्यवधान**)...

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको औरंगज़ेब की कब्र तोड़नी है, तो बेशक तोड़िए। आपको किसने रोका? केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आपके हैं। जाइए, हाथ में फावड़ा वगैरह लीजिए और खुद जाकर तोड़ दीजिए। लेकिन अपने बच्चों को भेजिए, हमारे बच्चों को मत भेजिए! आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं, और जो गरीब, बेरोजगार बच्चे हैं, उनको बहका कर आपने इस काम में लगा दिया है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)**: माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हुआ।

**श्री संजय राउत**: सर, मैं कहता हूं कि इस प्रकार का काम रोकने की ज़िम्मेदारी गृह मंत्रालय की है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी)**: माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हुआ। श्री रामजी; उपस्थित नहीं हैं। श्री मस्तान राव यादव बीडा।

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Sir, on behalf of our leader, hon. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, I would like to extend my congratulations to Shri Amit Shah and the entire Ministry of Home Affairs for their tireless efforts and commendable work in ensuring that our country remains robust and prepared for any calamity, be it manmade or natural in nature.

[£] *Exupnged as ordered by the Chair.*

Coming from the State of Andhra Pradesh, I feel proud to say that the Left Wing Extremist activities, which plagued our State in the early 2000s, have almost been stamped out entirely. I would like to take a moment to commemorate the AP Greyhound Unit, a special unit that focused solely on this issue. They are the pride of Andhra Pradesh and I would like to urge the hon. Home Minister to extend any and all support for their training, infrastructure development and modernisation so that they continue fearlessly in their mission.

Another aspect that I would like to focus on is the Government's commitment to using modern day technologies for disaster management. The emphasis has shifted from a reactive to a proactive approach, focussing on early warning systems, community-based disaster risk reduction and capacity building. Satellite imagery, remote sensing and geographic information systems have been extremely helpful with social media and mobile applications being utilized for disseminating timely warnings and coordinating relief efforts. In the recent Vijayawada floods, our Chief Minister along with the Union Civil Aviation Minister even deployed drone technology to bring benefits for people stuck in the floods.

Before I conclude, there is one concern I wish to raise and that is regarding the need for modernisation of police forces. Our officers are the frontline defenders of law and order and their modernization is imperative for ensuring effective policing in a rapidly evolving security environment.

As we enter the age of technology, there is a need for not only providing our police officers with proper training, knowledge and infrastructure to tackle new-age crime but also updated and modern legislation that can hold perpetrators accountable.

Another crucial arm to tackle such crimes is forensic laboratories.

3.00 P.M.

Sir, I would like to urge the hon. Minister to not only establish a Central Forensic Science Laboratory in our State Capital of Amravati but also establish an off-campus establishment of the National Forensic Science University under the National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

Respected Chairman, Sir, in conclusion, I would like to state that the Ministry of Home Affairs plays a vital role in safeguarding the nation and promoting its

progress. I would urge everyone to reaffirm our shared commitment to upholding the principles of national security and ensuring the well-being of our citizens. Thank you. *Jai Bharat*! *Jai Andhra Pradesh*!

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, now, I call upon the hon. Minister of Home Affairs to reply to the discussion.

**गृह मंत्री ; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** सभापति महोदय, एक प्रकार से दो दिन से इस महान सदन में गृह मंत्रालय पर पक्ष और विपक्ष, दोनों के सदस्यों ने अपने विचार रखे। इसमें काफी उपयोगी सुझाव भी आए हैं। कुछ हमारी कमियों की तरफ भी ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है। कुछ राजनीतिक आक्षेप भी किए गए हैं और कुछ राजनीतिक रूप से टिप्पणियां भी की गई है। मैं संसदीय भाषा के अनुरूप ही सभी चीजों का जवाब देने का प्रयास करूंगा और अपनी बात को रखने का भी प्रयास करूंगा। मान्यवर, कुल 21 सदस्यों ने यहां पर अपने-अपने विचार रखे और एक प्रकार से गृह मंत्रालय के कई सारे कामों के परिमाणों को, dimensions को छूने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो मैं देश की आजादी के बाद, देश की आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं उन हजारों जवानों को मनपूर्वक श्रृद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार करके विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। उन बलिदानियों के परिवारजनों का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जिस धैर्य के साथ, जिस वीरता के साथ, जिस उत्साह के साथ अपने परिजनों को देश की सुरक्षा के लिए भेजा और उनके सर्वोच्च बलिदान को यह देश, यह सदन और इस देश की 140 करोड़ जनता कभी भुला नहीं सकती।

महोदय, एक प्रकार से देखा जाए, तो गृह मंत्रालय बहुत विषम परिस्थिति में काम करता है, क्योंकि कानून और व्यवस्था का जिम्मा हमारे संविधान ने राज्यों पर रखा है। सरहदी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सारे विषय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और यह उचित ही निर्णय है। इसमें कोई बदलाव की जरूरत भी नहीं है, परंतु कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी जब राज्यों की होती है, तब, अब 76 साल के बाद ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि कई प्रकार के क्राइम राज्य की सीमा तक सीमित नहीं होते हैं, वे अंतरराज्यीय भी होते हैं, बहुराज्यीय गुनाह भी होते हैं – जैसे नारकोटिक्स है, साइबर क्राइम है, संगठित अपराध के गैंग्स हैं और हवाला है। ये सारे अपराध किसी एक राज्य की सीमा में नहीं होते हैं। कई अपराध ऐसे होते हैं, जो देश की सीमा से बाहर से भी हमारे देश में किए जाते हैं। इन सबको देखने हेतु समयानुकूल तरीके से गृह मंत्रालय में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि विगत दस सालों में नरेन्द्र मोदी जी ने, कई सालों से परिवर्तन, जो नहीं किए गए थे, उन्हें एक साथ करके राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया। समयानुकूल परिवर्तन न करने के कारण जितने भी challenges खड़े हुए, उनको technology का उपयोग करके, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का उपयोग करके, एक मजबूत विधायी खाका खड़ा करके और हमारे सुरक्षाकर्मियों के हौसले की

बढ़ोतरी करके नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इन दस सालों में उन चुनौतियों को भरने का प्रयास हुआ है।

महोदय, मैं मानता हूं कि इन प्रयासों के बाद भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनके बारे में कई सदस्यों ने मुद्दे भी उठाए हैं, मैं उनका भी जवाब दूंगा। मान्यवर, जब गृह मंत्रालय की चर्चा हो रही हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 2014 के पहले से, जब नरेन्द्र मोदी सरकार चुनकर आई थी, तब से हमें कई सारे legacy issues मिले थे। वे इश्यूज़ थे – इस देश की सुरक्षा, इस देश का विकास और इस देश का सार्वभौमत्व। हमें इन तीन बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा challenge रहते थे, चुनौतियाँ मिलती थीं। महोदय, ये तीन नासूर करीब-करीब चार दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास की गति को अवरुद्ध करते रहे और इन्होंने देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर, ये तीन नासूर थे – जम्मू-कश्मीर की समस्या, वहाँ के terrorism की समस्या, वामपंथी उग्रवाद, जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का सपना देखते थे और तीसरी समस्या उत्तर-पूर्व का उग्रवाद, North East का उग्रवाद थी। महोदय, यदि इन तीन समस्याओं का total लगाएं, तो इस देश के लगभग 92 हज़ार नागरिक चार दशक में मारे गए। महोदय, इन तीनों समस्याओं के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेन्द्र मोदी जी के चुनकर आने के बाद शुरू हुआ।

मान्यवर, मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा। हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से कश्मीर में आए दिन आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था, जो चिंता के बगैर जाता हो। केंद्र सरकारों का रवैया भी लचीला होता था, वे चुप्पी साध जाती थीं, उन्हें बोलने में डर लगता था। शायद कोई दुविधा भी थी, vote bank का भी डर था, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ zero tolerance की नीति अपनाई गई। महोदय, हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हमला हुआ, पुलवामा पर हमला हुआ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पहले जब हमले होते थे, तो कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब भी नहीं दिए जाते थे, लोग भूल जाते थे, दिल्ली के अखबारों में कहीं, किसी कोने में छपता था कि आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ आदि-आदि। महोदय, कोई संवेदना समाप्त हो जाए, चीज़ें वहाँ तक lingering रहती थीं। महोदय, मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, लेकिन दस दिन के अंदर ही पाकिस्तान के घर में घुसकर surgical strike और air strike करके उनको करारा जवाब दिया गया। पूरी दुनिया में ऐसे दो ही देश थे, जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सामान के साथ तत्पर रहते थे - इज़राइल और अमेरिका। उन दो देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है और वहीं से आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेन्स की नीति शुरू हुई।

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल थी। हम भी कभी अलग हो सकते हैं, इस भाव के बीज धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मैं अपने संविधान निर्माताओं का भी बड़े मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने इसको टेम्परेरी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाला गया था। मगर राजनीतिक मजबूरी और वोट बैंक की पोलिटिक्स कि हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है और हम इसे नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती गई और कई सालों तक चलती गई। मान्यवर,

इसी सदन में 5 अगस्त, 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं होंगे, तो यह कैसे हो सकता है। देश का एक प्रधान मंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान कैसे हो सकते हैं? मगर ये चलाए गए और सालों तक चलाए गए। 5 और 6 अगस्त, 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर शुरू हुआ और वहीं से शुरू हुई कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक रूप करने की प्रक्रिया। सबसे पहले डोगरी, हिंदी और उर्दू को राज्य की भाषा का स्टेटस दिया गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए वहां एंटी करप्शन ब्यूरो की कोई रचना ही नहीं की गई थी, क्योंकि वे रोकना ही नहीं चाहते थे। इतने सालों के बाद वहां एंटी करप्शन ब्यूरो बना। देश के सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए, चाहे महिलाओं के अधिकार का कानून हो, दलितों के अधिकार का कानून हो, आदिवासियों के अधिकार का कानून हो, बच्चों के अधिकार का कानून हो। ये सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए।

मान्यवर, पठानकोट से एक नाका परमिट रखा गया था। इसे एक भाव खड़ा करने के लिए रखा गया था कि आप देश के हिस्से में नहीं जा रहे हो। पठानकोट की नाका परमिट को नरेन्द्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। वहां लोकतंत्र, खुशहाली और विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। आज ये कहते हैं कि क्या परिवर्तन आया है? आप इस बात को ध्यान से सुनना। धैर्य न रहे ऐसे उकसाया जाता था। मैं जवाब जरूर दूंगा कि वहां क्या परिवर्तन आए। आप सुन लीजिए। आपके शासन में 33 साल से रात्रि को सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे। वे हमारे शासन में खुले। 34 साल से मुहर्रम के जुलूस के ताजिया की परमिशन नहीं थी। वह भी हमारे समय में दी गई। जी-20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए और कश्मीर की संस्कृति, संगीत, खाना और खूबसूरती को एन्जॉय करके अपने-अपने देश में वापस चले गए।

मान्यवर, हम सब लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए भी गए थे। प्रधान मंत्री और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली गई थी। यहां के बहुत सारे लोग भी उसमें रहे होंगे। मान्यवर, मुझे मालूम है कि हमें उस समय लाल चौक जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। जब जिद की गई कि हम जाएंगे, चाहे जो भी परिणाम आए, तो कहा गया कि सेना की रक्षा में वहां जाना पड़ेगा। हमें आनन-फानन में ध्वज वंदन करके वापस आना पड़ा। उसी लाल चौक पर 'हर घर तिरंगा' में एक भी घर ऐसा नहीं था, जहाँ तिरंगा नहीं था। श्रीनगर में Formula-4 car racing हुई। उसी लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। माँ शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली और सरस्वती पूजन हुआ। खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का महोत्सव 22 साल के बाद मनाया गया।

मान्यवर, ये पूछते थे कि सिर्फ धारा 370 हटने से क्या होगा? इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए, जिनसे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों के जुड़ने की संख्या करीब-करीब शून्य हो गई है। पूरे देश ने देखा होगा कि 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमामंडन होता था, बड़े-बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए हैं, लेकिन एक का भी जुलूस नहीं निकला। जहाँ वे मरते हैं, वहीं दफना दिए जाते हैं। कोई आतंकवादी बन जाता था, उसके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र

Content Page

चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को ruthlessly सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश दिया। बार काउंसिल में उनके समर्थक बैठे थे, केस नहीं कर सकते थे, हड़तालें हो जाती थीं। मान्यवर, जो समर्थक बैठे थे, वे सभी या तो दिल्ली की जेल में हैं या श्रीनगर की जेल में हैं, उनको जेल के हवाले किया गया।

मान्यवर, आतंकवाद और आतंकवादी, दोनों के समर्थकों को सरकारी रोजगार और पासपोर्ट देने में और Government contract के लिए हमने बिल्कुल ban कर दिया, हिम्मत के साथ किया और आज लोग इससे नहीं जुड़ रहे हैं। मान्यवर, इसका परिणाम क्या हुआ! ये कहते हैं कि धारा 370 हटाने से क्या हुआ, मैं आज हिसाब देने आया हूँ कि 370 हटाने के बाद क्या हुआ। मान्यवर, 6 साल हो गए हैं। 2004 और 2014, दोनों के बीच में जो terrorism की कुल घटनाएँ थीं, 7,217 से घट कर 2,242 तक आ गईं। मैं दस साल की घटना के बारे में कह रहा हूँ, अंतिम 6 साल की नहीं कह रहा हूँ। जो टोटल मृत्यु थी, कुल मृत्यु में 67 प्रतिशत की कमी आई है। मान्यवर, नागरिकों की मृत्यु में 81 प्रतिशत और सिक्योरटी फोर्सेज़ की मृत्यु में 46 प्रतिशत की कमी आई है। यह बताता है कि आतंकवाद कम हुआ है। 2010 से 2014 के बीच हर साल organized stone pelting, पथराव 2,654 के average से हुए, जबकि 2024 में एक भी करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। Organized हड़ताल 132 हुईं, आज किसी की हिम्मत नहीं है और एक भी हड़ताल नहीं होती है। Stone pelting में नागरिकों की मृत्यु 112 थी और ज़ख्मी 6,235 हुए थे। अब stone pelting ही नहीं है, तो मृत्यु या ज़ख्मी होने का सवाल ही नहीं है। मान्यवर, अगर हम कांग्रेस के शासन के किसी एक साल के peak को लेकर सबसे कम आँकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के एक साल के peak को लेकर सबसे कम आँकड़े इकट्ठा करते हैं, तो 2004 का साल कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 2004 में अटल जी की सरकार उसी समय गई थी। उसमें कुल घटनाएँ 2330 हुई थीं। ध्यान से सभी सदस्य सुनें, ऐसी मेरी विनती है। 2004 में कुल घटनाएँ 2330 हुई थीं, जबकि 2024 में कुल घटनाएँ सिर्फ 85 हुईं। 2004 में 733 नागरिकों की मृत्यु हुई थी और 2024 में यह सिर्फ 26 हुई है, तब सिक्योरिटी फोर्सेज़ के 330 जवानों की मृत्यु हुई थी और 2024 में यह सिर्फ 31 हुई है। वहाँ यह परिवर्तन आया है।

मान्यवर, कश्मीर के विकास के लिए भी बहुत से काम किए गए हैं। जब कहीं शान्ति होती है, सुरक्षा होती है और लोकतंत्र बहाल होता है, तो वहाँ विकास अपने आप होता है। मगर कई सालों से कश्मीर की तिजोरी खाली थी। नरेन्द्र मोदी जी ने 2015 में 80,068 करोड़ रुपये की 63 परियोजनाओं को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए अप्रूव किया। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, मैं उनके बारे में बताने आया हूँ। कुछ लोग मेरे खर्च का हिसाब पूछ रहे थे। तो भाई, वह थोड़ा कम हुआ होगा। हमने तो इसे रखने की हिम्मत तो की, आपके समय में तो खर्च का प्रोविजन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसी स्थिति ही नहीं थी। मगर ऐसा नहीं है कि वहाँ खर्च नहीं हुआ है। वहाँ 80,068 करोड़ रुपये में से 60,484 करोड़ रुपये का खर्च समाप्त हो चुका है और 63 में से 53 परियोजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित हैं। 2019 से 2024 के बीच 40,000 सरकारी नौकरियां दी गईं, 1,52,287 हजार ओबीसी बच्चों को 'विश्वकर्मा योजना' से स्वरोजगार दिया गया, 5,184 यूथ क्लब्स स्किलिंग का काम कर रहे हैं, 18,000 युवाओं को खुद की टैक्सियां देने का काम हुआ, 15,000 युवा महिलाओं को 'तेजस्विनी' के तहत 10 लाख तक की सहायता दी गई और रोजगार के कई सारे अवसर सृजित हुए हैं।

Content Page

मान्यवर, कई सालों के बाद आज कश्मीर में एकदम आकर्षक उद्योग नीति लाने से इन्वेस्टमेंट का माहौल खड़ा हुआ है और वहाँ 12,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है। ...(**व्यवधान**)... वहाँ 12,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है और 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के एमओयूज़ अभी क्रियान्वयन में हैं। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, पूरे 70 सालों में वहाँ 14,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आया था, जबकि इन 10 सालों में ही वहाँ 12,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का उत्पादन शुरू हो चुका है। ...(**व्यवधान**)... अब वहाँ पर्यटन फिर से शुरू हो गया है। वह परवान भी चढ़ा है। हमारे जम्मू-कश्मीर में आजादी के बाद, 2023 में सबसे ज्यादा 2 करोड़, 11 लाख पर्यटक आए। ...(**व्यवधान**)... पर्यटन के क्षेत्र में 250 करोड़ रुपये का निजी निवेश हुआ है। डल झील पर 'वितस्ता महोत्सव' मनाया गया और डल झील में क्रूज बोट का भी शुभारम्भ किया गया।

मान्यवर, ये यहां पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन उनके शासन में पूरे कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पर 87 विधायक और 6 सांसद हुआ करते थे। इतने बड़े कश्मीर में जनप्रतिनिधि के रूप में सिर्फ 87 विधायक और 6 सांसद ही थे। अब कश्मीर में 34,260 जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं। वहाँ ग्राम पंचायत भी है, तहसील पंचायत भी है, जिला पंचायत भी है, म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, विधान सभा भी है और संसद सदस्य भी हैं। धारा 370 की आड़ में इसको बंद करके रखा गया था, लोग चिट्ठियों से जनप्रतिनिधि बनते थे, लेकिन अब वे चुनकर आते हैं। मान्यवर, वहाँ ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में 98.3 प्रतिशत मतदान हुआ है। अभी-अभी, 2024 में जो लोक सभा का चुनाव हुआ है, उसमें वहाँ एक भी गोली नहीं चली। गोली चलने की बात तो छोड़िए साहब, पूरे जम्मू-कश्मीर में बूथ रिगिंग की एक भी फरियाद तक नहीं हुई है। ...(**व्यवधान**)... एक जमाने में दिल्ली से वहाँ गए हुए आक़ा सिर्फ विजेता का सर्टिफिकेट लेकर जाते थे और जनता घरों में बैठी की बैठी रह जाती थी, लेकिन आज वहाँ 98 प्रतिशत लोग वोट डालते हैं और एक भी बूथ रिगिंग की फरियाद तक नहीं होती है, गोली भी नहीं चलती है और धमाका भी नहीं होता है। ...(**व्यवधान**)... अगर इतिहास में पहली बार किसी को कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की नींव डालने का सम्मान मिला, तो वह हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को मिला। जब राष्ट्रपति शासन रहा, तब संसद में भी कई महत्वपूर्ण बिल पारित किये गए। पहली बार पिछड़ा वर्ग को ओबीसी नामकरण किया गया, विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई, पंचायतों में पहली बार ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की गई, बाल्मीकियों को पहली बार दलित आरक्षण का फायदा मिला। हमने जम्मू-कश्मीर में कोली, पहाड़ी जातीय समूह, पद्दारी जनजाति को एसटी में जोड़ने का काम भी किया। गुज्जर बकरवाल भाइयों के लिए 10 प्रतिशत अलग आरक्षण दिया और विस्थापित कश्मीरी पंडितों को भी दो सीट का रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।

मान्यवर, मैं विकास की बात बताता हूँ। आज विजयपुर, जम्मू में 1,661 करोड़ रुपए का 'एम्स' है, अवंतीपोरा में 1,828 करोड़ से 'एम्स' बन रहा है। जम्मू में आईआईटी और आईआईएम है। श्रीनगर में 'निफ्ट' है। मेडिकल कॉलेज पहले चार थे और अब 14 हैं तथा नर्सिंग कॉलेज 36 (निजी सहित) और बने हैं। एमबीबीएस की सीटें 500 थीं, इसमें हमने 800 सीटें और जोड़ी हैं और पीजी की सीटें 667 थीं, उसमें 297 नई जोड़ी हैं। नर्सिंग की 220 सीटें थीं, इसको 2,885 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दुनिया देखती रह जाए, दुनिया के कई लोग

उसको इंजीनियरिंग एडवेंचर मानते हैं, ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम भी जम्मू कश्मीर में हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पौने नौ किलोमीटर की बनिहाल सुरंग बनी, विश्व का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज चिनाब नदी पर बना। रेल नेटवर्क को उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक से घाटी तक पहुँचाया गया। ज़ोजिला सुरंग, ज़ेड-मोड़ सुरंग और तेजी से हमारे इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। भारतीय सेना की रसद की क्षतिपूर्ति करेगी। हमने जम्मू के लिए सेमी रिंग रोड बनाया और अखनूर-पुंछ सड़क निर्माणाधीन है तथा 11,000 सर्किट किलोमीटर की नई एचटी लाइनें डालने का काम भी जम्मू कश्मीर में किया गया। ये हिसाब माँगते हैं कि क्या हुआ 370 के बाद! साहब, हिसाब तो उनको दिया जा सकता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है, जिनकी नजरें साबूत हो। जो काला चश्मा पहनकर आँखें मूंद कर बैठते हैं, उनको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था - पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अगर नजर में ही आतंकवादी है, तो वह आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाई देगा। मान्यवर, हम तो दिखाई देते ही सीधे दो आँखों के बीच में गोली मारते हैं। हमारी सरकार न आतंकवाद को सह सकती है, न आतंकवादियों को सह सकती है। देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं है।

मान्यवर, दूसरी समस्या वामपंथी उग्रवाद की थी। अभी-अभी किसी ने भाषण किया कि यह राजनीतिक समस्या है। अब मुझे तो इस सोच पर ही दया आती है। विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए कई जिले हैं, कई तहसीलें हैं और सबको मालूम है कि लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए, कोई भी सरकार हो, भले ही कांग्रेस की ही सरकार थी, मगर कोई 5 या 25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकते। अब हम सब जगह विकास पहुँचा रहे हैं, मगर छूट गया होगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न मानें, संविधान को ही न मानें और सरकार लाचार बन कर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़ गए। हिम्मत देखिए साहब! पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर लिए, पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर दीं, parallel currency चलाई, parallel stamp paper चलाए, सरकारें बनाईं, कोई बोलने वाला नहीं! मैं सबसे पहले इस सदन में एक बात जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि 31 मार्च, 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। मैं जो बोल रहा हूँ, इसके पीछे नरेन्द्र मोदी सरकार के 10 सालों का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख, संतोष देने के लिए की गई प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। सुरक्षा ग्रिड में एक भी जगह गैप न रह जाए, इस बात को पुख्ता किया गया है। मान्यवर, सम्वाद, सुरक्षा और समन्वय, इन तीन सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी है। मैं एक बार फिर से DRG, STF, CRPF, ITBP और BSF के जवानों को ढेर-ढेर बधाइयां देना चाहता हूँ, जिन्होंने घंटों-घंटों तक पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर ऐसे घने जंगलों के अंदर काम किया है, जहां सूर्य की किरणें दिनदहाड़े भी नहीं पहुंचती हैं और इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।

मान्यवर, हमने नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की शुरुआत की। Location training, मोबाइल फोन की गतिविधियां, scientific call logs की analysis, सोशल मीडिया का analysis, उनकी courier service का रेखांकन, उनके परिवारों की

आवाजाही का रेखांकन, इन सबको एकत्रित करके हमने अपने सुरक्षा बलों को information से लैस करने का काम किया। Drone surveillance, satellite imaging, इन दोनों का Artificial Intelligence के साथ मिलाकर हमने solution निकाला, नतीजे निकाले और इसके आधार पर data analysis करके सटीक जगहों की जानकारी से अपने सुरक्षा बलों को लैस किया, जिसके आधार पर उन्होंने काम किया।

मान्यवर, मैं इसमें भी कांग्रेस के शासन और हमारे शासन का comparison देना चाहता हूँ। कोई ऐसा न समझे कि मैं कांग्रेस का comparison क्यों दे रहा हूँ। 10 साल के बाद मेरी जगह भाजपा का कोई और गृह मंत्री आएगा, तो वह आपका comparison नहीं देगा, बल्कि वह हमारा और हमारा करेगा। हमारे पहले आप थे, इसलिए मैं आपका comparison कर रहा हूँ। जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं, जिसमें 53 प्रतिशत की कमी आई है। तब 1,851 सुरक्षा बल मारे गए थे, अब 10 साल में 509 मारे गए हैं, यानी इसमें 73 प्रतिशत की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु, 4,766 से कम होकर 1,495 हो गई है, यानी इसमें लगभग 70 परसेंट की कमी आई है।

मान्यवर, दो शासन एक ही जगह पर, एक ही कालखंड में अलग-अलग विचारधाराओं के होते हैं, तो कैसा परिणाम आता है, इसके नतीजे मैं बताना चाहता हूँ। मेरी बात कुछ सदस्यों को ठीक नहीं लगेगी, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि जब नक्सल को पोलिटिकल समस्या समझने वाला शासन होता है, तब क्या होता है और जब विकास के साथ-साथ सुरक्षा की दृढ़ता के साथ काम करने वाला शासन आता है, तो क्या होता है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर, 2023 में शासन बदला और भाजपा की सरकार आई। इसके बाद लगभग एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, जिसमें कल के 30 जोड़ने बाकी हैं। 1,194 गिरफ्तार हुए और 1,045 सरेंडर कर गए। इस तरह, उनकी संख्या में टोटल 2,619 की कमी आई है और ये सब करने में 26 सुरक्षा बल हताहत हुए।

मान्यवर, एक उदाहरण है। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी, सिर्फ वहां कांग्रेस सरकार थी। जैसे ही भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2,619 नक्सलिओं की फौज ने सरेंडर कर दिया, अरेस्ट हुए या मारे गए। यह एप्रोच का सवाल है। मान्यवर, सुरक्षा की ग्रिड मज़बूत करने का सवाल है। कांग्रेस के शासन में वर्ष 2014 तक कुल 66 fortified police stations थे, इनमें से 32 अटल जी की सरकार के थे और मोदी सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में 66 की तुलना में 612 fortified police stations बनाए।

महोदय, most affected नक्सल जिलों की बात करूं, तो इसकी एक व्याख्या है, जो कांग्रेस ने बनाई है, हमने उसे स्वीकारा है। वर्ष 2014 में 126 थे, अब उनमें से केवल 11 बचे हैं और मैं कह चुका हूं कि 31 मार्च, 2026 को मैं यहां इनकी शून्य संख्या लेकर आऊंगा। वर्ष 2014 में ऐसे पुलिस स्टेशंस जहां नक्सल घटनाएं घटी थीं, वे 330 थे, अब सिर्फ 151 रह गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा था, अब वह सिर्फ 4,200 स्क्वायर किलोमीटर बचा है। पहले एक भी night landing helipad नहीं था, हमने 68 बनाए। सुरक्षा कैम्पों के खुलने की संख्या दयनीय थी, मैं यहां बताना नहीं चाहता, क्योंकि विदेशों में भी बातें जाती हैं, मगर हमने 5 साल में ही 302 नए सुरक्षा कैम्प्स खोल कर पूरे एरिया को सुरक्षा ग्रिड में कवर करने का काम किया है।

मान्यवर, financial choking करने के लिए हमने NIA और ED का उपयोग किया, उनके कई करोड़ रुपये ज़ब्त किए। PMLA के केस करके उनके financers को जेल की सलाखों के पीछे डाला। केंद्र और राज्यों के बीच लगातार मीटिंग्स हुईं। मेरे स्तर पर सभी मुख्य मंत्रियों की 11 मीटिंग्स हुईं और मेरे स्तर पर ही डीजीपीज़ के साथ 12 मीटिंग्स हुईं। हमने डायनेमिक रणनीति बनाई, strategic locations पर सुरक्षा बलों को तैनात किया। मान्यवर, विकास वहां पहुंचना चाहिए, इसलिए हमने बजट को भी 300 प्रतिशत तक बढ़ाने का काम किया है।

मान्यवर, वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक 11,503 किलोमीटर हाईवे बनाए, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाईं, पहले चरण में 2,343 मोबाईल टॉवर लगाए, दूसरे चरण में 1,113 मोबाइल टावर लगाए और अभी 4,000 मोबाईल टॉवर्स लगाने का काम चल रहा है। पूरा नक्सल एरिया दिसम्बर से पहले मोबाईल कनेक्टिविटी से लैस होगा। यहां निर्मला जी और अश्विनी भाई बैठे हैं। नक्सल अति प्रभावित जिलों में 1,007 बैंक्स की शाखाएं सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। हमने 937 एटीएम बनाए और 5,731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सभी 48 जिलों में कौशल विकास योजना पहुंची। NIA का एक मज़बूत वर्टिकल बना। वहीं से 1,143 आदिवासी युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती किया। हमने वहां जवानों के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए नए हैलीकॉप्टर्स लगाए, ताकि किसी के injured होते ही उसे अस्पताल में ले जा सकें। वे ऐसे हैलीकॉप्टर्स हैं, जो रात को भी उड़ सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज नक्सलवाद धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं, उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है। कई सारे लोगों के ऊपर करोड़ों रुपये के ईनाम थे, ऐसे लोगों ने सरेंडर भी किया। जोनल कमेटी का एक मेम्बर मारा गया, सब-जोनल कमेटी के पांच, स्टेट लेवल कमेटी के दो, डिविजनल कमेटी के 31 और एरिया कमेटी के 59 मेम्बर मारे गए। यह आंकड़ा है। हम आत्मसमर्पण के लिए भी लचीली पॉलिसी लेकर आए और जो लोग हमारी सरकार की घोषणाओं के पीछे मखौल उड़ाते थे कि कई सरकारें बदल गईं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस सरकार के रहते ही यह देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है। जब इच्छा होती है, तो बहुत कुछ होता है, मगर इच्छा होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नॉर्थ-ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर हैं। वहां पर भी हिसंक घटनाओं में 64 प्रतिशत की कमी हुई है। हताहत सुरक्षा बलों में 85 प्रतिशत की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 86 प्रतिशत की कमी आई है। हमारी सरकार आने के बाद हमने सब हथियारयुक्त ग्रुप्स से बातचीत की। 2019 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। 2019 में NLFT-SD के साथ, 2020 में Bru-Reang के साथ, 2021 में Karbi के साथ, 2022 में आदिवासी संगठनों के साथ, 2022 में ही असम-मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में डीएनएलए, यूएनएलएफ और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता, 2024 में त्रिपुरा के साथ समझौता, एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ। कुल मिलाकर 10,600 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं अभी बोडो लैंड गया था। हजारों युवा आज विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। अपनी ही बोडो मातृभाषा में पढ़ते हैं, अपना ही धर्म अनुसरित करते हैं और विकास के काम करते हैं। यह बोडो लैंड का समझौता जब हुआ, तब सबने मजाक उड़ाया था कि समझौते धरे के धरे रह जाएंगे।

Content Page

मैं आज मोदी जी का कार्यक्रम देखकर आया हूं। पांच लाख बोडो युवा, वृद्ध, अबला नागरिक सब.... मैं कुछ दिन पहले ही बोडो लैंड गया था। वहां परिस्थिति बदल गई है। असम के अंदर 5 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ है। असम के अंदर इंडस्ट्री एक जमाने में स्वप्न माना जाता था, आज वहां पर शांति है। अब AFSPA की परिधि को भी 70 परसेंट तक हमने कम कर दिया है। सर, जो ब्रू पुनर्वास समझौता है, मैं सदन का ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही देश में मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में बिल्कुल दयनीय जीवन जीने वाले अपने ही आदिवासी भाई हैं। एक झोंपड़ी में 18 लोगों का परिवार रहता था और राहत के नाम पर यहां से प्रति व्यक्ति दो किलो चावल जाता था। हमने सारे 37 हजार Bru-Reang परिवारों को 150 यार्ड का घर दिया, एक सामुदायिक भवन दिया, स्कूल दिया, हेल्थ केयर का एक दवाखाना दिया और सभी घरों से दो युवाओं को स्किलिंग कराके आज उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।

महोदय, मैं तीन महीने पहले उसी क्षेत्र को देखकर आया हूं, जो मैंने पांच साल पहले देखा था। उसमें आसमान जमीन का फर्क है और हमारे सारे ब्रू, रेयांग भाई दोनों हाथ जोड़कर अपने ईश्वर से नरेन्द्र मोदी को दुआ देते थे, ईश्वर से मांगते थे कि भगवान इनका भला करे। महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 6,935 परिवार, 37,584 लोगों को नर्क के जीवन से बाहर निकालने का काम किया है। ये जो कहते हैं कि संवेदनशीलता चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि थोड़ा समय निकालकर इन ब्रू, रेयांग भाइयों के घर पर जाकर एक कप चाय पीकर आइएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि संवेदनशीलता क्या होती है।

मान्यवर, हमने विकास के बजट में भी 153 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके साथ हमने ही तेल मिशन, बांस मिशन, जैविक खेती, अंडा, मछली और दूध में नॉर्थ-ईस्ट के आठों राज्य इंडिविजुअली आत्मनिर्भर हों, ऐसी कार्य योजना बनाकर समृद्धि के रास्ते खोले हैं।

मान्यवर, 17 विद्युत परियोजनाएं, 40 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 44 शिक्षा की परियोजनाएं, 43 स्वास्थ्य की परियोजनाएं, 7 खेल की परियोजनाएं और 4 पर्यटन की नई परियोजनाएं शत-प्रतिशत भारत सरकार के बजट से गई हैं।

मान्यवर, हमने रेलवे में 81,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके साथ ही सड़क, हाइवेज में 41,500 करोड़ रुपये, ग्रामीण सड़क में 47,000 करोड़ रुपये, 64 नए एयर रूट्स और हेलीकॉप्टर रूट्स शुरू करके एयर कनेक्टिविटी को भी पुख्ता किया है। मान्यवर, इससे दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट का जो भौतिक अंतर कम हुआ है, यह तो एक सिद्धि है ही, परंतु इससे भी बड़ी सिद्धि यह है कि मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के दिलों का अंतर भी कम कर दिया है। मान्यवर, आज सबको लगता है कि हम भारत का हिस्सा हैं।

महोदय, वाइब्रेंट विलेज के तहत अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार ने 4,800 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। चोटियों पर बसे गांव, जो यह मानते थे कि हम भारत का अंतिम गांव हैं, मोदी जी ने एक बड़े सरल शब्द से भारत के अंतिम गांव को भारत का पहला गांव देखकर जिक्र किया।

महोदय, मैं किबिथू गया था, वहाँ भाई किरेन भी मेरे साथ थे। मैंने पहला गांव कहते ही जिस नई ऊर्जा का संचार, उन चोटियों पर रहते हमारे नागरिक भाइयों के मन में देखा है, उनके शरीर में देखा है और उनके उत्साह में देखा है, वह अवर्णनीय है।

महोदय, ये सारी सिद्धियां ऐसे ही नहीं आतीं। इनके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए, वोट बैंक की चिंता करे बगैर कठोर फैसले लेने का माद्दा चाहिए और देश की समस्या का निवारण ही अपना लक्ष्य है - इस दृष्टि से काम करने की नीति चाहिए।

महोदय, इसके साथ-साथ मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को धार देने के लिए कानूनी आधार भी बहुत मजबूत किया है। 2 अगस्त, 2019 में एनआईए एक्ट में संशोधन करके नए अपराधों को समाया है। महोदय, इससे विदेश में भी जांच का अधिकार मिला है, यूएपीए में भी संशोधन कर दिया गया है, हमें आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला, व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला, डीरेडिक्लाइजेशन के प्रयासों को भी कानूनी ताकत देने का काम हुआ, मैक को रिवैम्प किया गया, मैक के अंदर साइबर सुरक्षा, नारको-टेरोरिज्म, गनरनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट मैक की रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाए गए, नेशनल मेमोरी बैंक बनाया गया और जो नए संशोधन किए गए... मुझे बराबर याद है कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि इसका दुरुपयोग होगा। आपके सामने नहीं हुआ। हमने 57 आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित किया, जिसको देश की सर्वोच्च अदालत ने मान्यता दी। हमने 23 संगठनों को unlawful association घोषित किया और मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं 2019 से 2025 के बीच में हुर्रियत के सबसे सीरियस टाइप के सभी 11 ऑर्गेनाइजेशन्स को बैन कर दिए गया है और हुर्रियत का अस्तित्व नहीं रहा। एक जमाने में जिस हुर्रियत के साथ बातचीत करते थे और उसे पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए एक mediator बनाया गया था। उस हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया है और जमीन के अंदर गाड़ दिया है।

मान्यवर, पीएफआई के बारे में पूरा सदन जानता है। यहां बैठे हुए सदस्य हों या वहां बैठे हुए सदस्य हों, सब मानते हैं कि पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते हैं, वे देश को खतरों से नहीं बचा सकते हैं। मूक दर्शक बनकर, मूक प्रेक्षक बनकर खतरों को देखा नहीं जाता है, बल्कि जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, वे उन खतरों को दूर से देखकर, उनको उगने से पहले, उठने से पहले ही समाप्त कर दें। हमने पीएफआई पर बैन लगाया। एक साथ देश के 15 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के एक-एक बंदे को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। उनकी सम्पूर्ण गतिविधियां समाप्त हो गईं। कुछ लोग पंजाब में भी भिंडरांवाले बनने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने प्रयास किया और वे आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी इसी गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय किया और वे आज असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं। यह नरेन्द्र मोदी सरकार है। इस सरकार के रहते हम देश पर राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण खतरे नहीं पनपने देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा।

मान्यवर, एक जमाने में आतंकवादियों की लिस्टिंग से उनकी मृत्यु या अरेस्ट तक का आयुष्य दो साल और तीन महीना था और आज वह कुछ दिनों का बच गया है। हमने 15 सूत्री इंटीग्रेटेड योजना बनाई है, जिसमें जिहादी आतंकवाद के लिए नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हवाला पर कार्रवाई की है। वामपंथी उग्रवाद, कश्मीरी उग्रवाद, कश्मीर के अंदर उग्रवाद, फेक इंडियन करेन्सी नोट, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स नार्को टेरर का लिंक, खालिस्तान समर्थक उग्रवाद, रेडिकलाइजेशन के प्रयास, फाइनेंसिंग और अवैध हथियारों की तस्करी - इन 25 के 25

आयामों को हमने एनआईए के अंदर जकड़ कर, कानूनी आधार देकर इन पर कानून का शिकंजा कसने का काम किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का देश की सुरक्षा के विरुद्ध उपयोग, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उपयोग, आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट, इन सभी को एनआईए के दायरे में लाने का काम किया। हमने एक सम्पूर्ण सर्कल पूरा किया है और जहां से भी देश की सुरक्षा के खतरा हो सकता था, उन सभी 25 चीजों को एक सर्कल में मिलाकर एनआईए के अधीन किया है।

मान्यवर, हमने एनआईए में 1,244 पद सृजित किए, 16 नई ब्रांच खोलीं और 2 नए जोनल कार्यालय खोले गए। एनआईए के परफॉर्मेंस पर कुछ लोग बोल रहे थे। वे आज बैठे नहीं हैं, वे वॉक आउट कर चले गए हैं। जब यूएपीए लगता है, तब एक ट्रिब्यूनल भी होता है और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है यदि यूएपीए लगाया गया है, वह ठीक या नहीं है। मैं अपनी सरकार का रिकॉर्ड बताने आया हूं। 652 मामलों में से एक भी केस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुचित घोषित नहीं किया गया है।

मान्यवर, इन 652 मामलों में से 516 में चार्जशीट्स दायर की गईं, 157 मामलों में जजमेंट्स आ गए हैं और 150 मामलों में सजा दी गई है। इसमें 95 प्रतिशत दोष सिद्धि की दर है। दुनिया भर की terror agencies के बीच में NIA की दोष सिद्धि की दर, मैं गर्व से इस सदन को कहना चाहता हूं कि सबसे ऊंची है, सबसे high है। हमने अब NIA का DRDO के साथ समझौता करवा कर chemical, nuclear और biological terrorism के मामलों के लिए भी तैयारी शुरू की है। हमने NIA के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय exposure देने के लिए agreements भी किए हैं। हमने NIA और NFSU के साथ एक अनुबंध करके NFSU में terrorism के खिलाफ भी एक नया vertical शुरू करने का काम किया है।

मान्यवर, इसके साथ-साथ, हमने MAC को भी सुदृढ़ किया है। MAC में मोदी जी की सरकार आने के बाद counter-terrorism की एक अलग व्यवस्था की गई। उसमें 72,000 रिपोर्ट्स generate हुई हैं। इस जानकारी को गोपनीय रखने के लिए, इसको एक बहुत अच्छे communication channel से जिले तक, पुलिस स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था भी इस 10 साल के अंदर खड़ी हुई है। NATGRID के माध्यम से कई सारे आरोपियों को पकड़ने के लिए 21 से ज्यादा डेटा को एक ही जगह पर एकत्रित करके इस लड़ाई को हमने और पुख्ता किया है।

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने drugs के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। मैं भी मानता हूं कि यह एक बहुत गंभीर समस्या है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि यह लड़ाई अकेले सरकार नहीं लड़ सकती। यह लड़ाई लड़ने के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं। मैं इसके परिणाम भी बताता हूं और प्रयास भी बताता हूं। मगर दुख होता है कि कुछ सदस्य आंकड़ों को विकृत तरीके से यहां वर्णित करते हैं। खैर, मैं इस बात पर बाद में आता हूं। हमने एक त्रिकोणीय Action Plan बनाया है - drugs की supply chain पर ruthless approach के साथ हमला करना, demand reduction के लिए एक strategic approach अपनाना और harm reduction के लिए human approach लाना। हमारी सरकार की नीति है कि जो drugs लेता है, वह तो इस समस्या का victim है। गुनहगार कौन है? मान्यवर, गुनहगार drugs का व्यापार करने वाला है। इस पर प्रहार करना है। यह हमारी नीति है। हमने Whole-of-Government, Whole-of-Nation approach अपनाई है। गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सभी राज्य सरकारें, सभी साथ में रह कर

Content Page

इस समस्या के खिलाफ लड़ रही हैं। हमने top to bottom और bottom to top investigation का एक नया प्रयोग शुरू किया है। एक drugs की पुड़िया मिलती है, तो drugs देश में कहां से आई, वहां तक का investigation होता है, वह individual case नहीं माना जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा में drugs पकड़ी जाती है, पोर्ट पर भी पकड़ी जाती है, एयरपोर्ट पर भी पकड़ी जाती है, तो वह पुड़िया बन कर कहां जाने वाली थी, वहां तक का investigation होता है। इसके बहुत अच्छे नतीजे भी हमें मिले हैं। मान्यवर, इस चुनौती का प्रभाव personal level पर, national level पर, देश का आर्थिक नुकसान और देश की सुरक्षा का नुकसान, इसका चतुष्कोणीय दुष्प्रभाव है। Drug money का उपयोग नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, Crypto currency

4.00 P.M.

के चलन में वृद्धि, Crypto currency का भी ड्रग के कारोबार में उपयोग - इसके बहुकोणीय हमले को देखकर हमने भी इसी तरह की नीति अपनायी। 2019 में गृह मंत्रालय ने चार-स्तरीय NCORD mechanism का गठन किया, जोकि एक शीर्ष-स्तरीय NCORD है। वह यहाँ भारत सरकार में स्थित है। इसके बाद कार्यपालक-स्तरीय है, जहाँ सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव तथा डीजीपीज़ हैं, इसके आगे राज्य-स्तरीय NCORD है, जो मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में होता है और फिर जिला-स्तरीय है, जो डीएम की अध्यक्षता में होता है। अब तक 5 सालों में इनकी 7 शीर्ष स्तरीय बैठकें हुईं। इनकी 5 कार्यकारी-स्तर की, 192 राज्य-स्तर की और 7,179 जिला-स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। इनको मिनिटाइज करते हैं। एक सुरक्षित चैनल के माध्यम से एक-दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है। जहाँ राज्यस्तरीय गुनाह है, वहाँ हमने JCC का भी गठन किया है। हमने NCB के कैडर को भी मजबूत किया है। इसके 5 नए जोनल कार्यालय, 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय, 12 सब-जोनल कार्यालय अपग्रेड किए गए हैं। समुद्री मार्ग को भी पूर्णतया सील करने के लिए हमारी नौसेना, हमारा तटरक्षक बल, राज्य की पुलिस और कस्टम, सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कई प्रकार की संस्थागत रचनाएं भी की गई हैं। नार्को अपराधियों की जानकारी को एक्सचेंज करने के लिए एक डेटाबेस 'निदान' बना है, MAPDRUGS portal बना है, Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics बनाया गया है, वह अब BISAG-N है, जो इसका काम कर रहा है। Drug network chart की mapping भी की गई है। साथ ही, हमने कई सारे नए initiatives लेकर कॉलेज तक जागरूक को पहुंचाया है तथा संपत्ति की जब्तियां और कई प्रकार के कठोर कानूनों से हमने इस पर अटैक किया है।

मान्यवर, इसका जो परिणाम आया है, इसके आंकड़े मेरे एक साथी ने एक अलग दृष्टिकोण से बनाया है। मगर मैं यह बताना चाहता हूँ कि सरकार बदलने के साथ, अप्रोच में बदलाव कैसे होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पड़ोस के दो areas, golden triangle और golden crescent के नाम से जाने जाते थे। वे golden triangle और golden crescent इसलिए कहे जाते थे, क्योंकि वहाँ से ड्रग उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में जाता था और वह पैसा कमाने का जरिया था। हमारे बहुत प्रयास करने के बाद, पूरी दुनिया ने आज इनको death triangle और death crescent के नाम से स्वीकारना शुरू किया है। मान्यवर, यह नजरिए का बदलाव है। ड्रग

कोई व्यापार नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के युवाओं के लिए खतरा है और नस्लें बरबाद करने का साधन है। अब पूरी दुनिया death triangle और death crescent को अलग-थलग करने के लिए एकजुट होती जा रही है।

मान्यवर, मैं एक बार फिर से 2004 से 2014 और 2014 से 2025 की comparison करना चाहता हूँ। इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जब्त ड्रग की मात्रा को देखें, तो यह 2004 से 2014 में 25 लाख किलोग्राम थी और यह अब बढ़कर एक करोड़ किलोग्राम से ज्यादा हो गई है। अब कुछ सदस्यों ने कहा कि यह आपके समय में बढ़ गया, तो भैया, यह बढ़ नहीं गया, यह तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, हमने इसको पकड़ना शुरू किया, जिसे आप नहीं पकड़ते थे। ...(**व्यवधान**)... सर, क्या नजरिया है कि खून की संख्या घटाने के लिए खूनी को नहीं पकड़ो! यह क्या बात हो गई? हमने ड्रग ज्यादा पकड़ी, तो हमें कहते हैं कि यह आपके समय में बढ़ गया। यह बढ़ नहीं गया है, इसे रोका भी हमने है और इसकी समाप्ति भी हम ही कर देंगे। ...(**व्यवधान**)... Quality of drug देखें, तो 2004 से 2014 में 40,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा गया था। और अब लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा गया, क्योंकि यह जो NCORD की सिस्टम बनी है और हमने investigation की पद्धति में जो बदलाव किया है, यह उसका परिणाम है। गत 5 साल में 14,750 करोड़ रुपए से अधिक का 23,000 किलोग्राम synthetic drugs भी हमने नष्ट कर दिया, dispose कर दिया। उनका पकड़ा हुआ ड्रग्स हमने जलाया। इन्होंने 10 साल में 3,36,000 किलो ड्रग्स जलाया और हमने 31,53,000 किलोग्राम ड्रग्स जलाया। हमने देश भर में सिंथेटिक ड्रग बनाने वाली टोटल 63 laboratories को पकड़ कर नष्ट करने का काम किया है, उनकी संपत्ति को नष्ट करने का काम किया है, जबकि पहले 2004 से 2014 तक 17 laboratory नष्ट हुई।

अफीम का विनिष्टीकरण - मैं एकड़ में आँकड़ा बताता हूँ। आपके जमाने में maximum आँकड़ा 300 एकड़ था। हमने 2020 में 10,700 एकड़, 2021 में 11,200 एकड़, 2022 में 13,700 एकड़, 2023 में 31,000 एकड़ और 2024 में जून तक 22,512 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट किया। पहले यह 300 एकड़ से बढ़ता नहीं था। हमने ड्रोन और सैटेलाइट का उपयोग कर अफीम की खेती को नष्ट किया है। अगर अफीम ही नष्ट कर दिया जाए, तो न बचेगी बाँस, न बनेगी बाँसुरी।

मान्यवर, हमने ड्रोन, सैटेलाइट और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है। कांग्रेस के समय के 1,73,000 मामले दर्ज हुए थे और हमने 6,67,519 मामले दर्ज किये। कांग्रेस के समय में PITNDPS का उपयोग एक भी बार नहीं किया गया था, हमने 2,453 लोगों को PITNDPS के तहत जेल में डाला, जिसमें बेल का प्रावधान नहीं है।

मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग अफगानिस्तान से श्रीलंका की ओर जाता है। ये बार-बार आरोप लगाते हैं कि गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा जाता है, गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि और राज्य भी इसको पकड़े। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से पकड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार का नियम है कि एक किलो ड्रग भारत में न आने देंगे, न भारत से कहीं बाहर जाने देंगे, इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र के दरिया किनारे से करोड़ों-करोड़, लाखों करोड़ों का ड्रग पकड़ा गया। सागर मंथन-I, सागर मंथन-II, सागर मंथन-III - इन तीनों exercise

में कई किलो ड्रग पकड़ा गया। दिल्ली और गुजरात, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और कर्णाटक - कई राज्यों ने संयुक्त अभियान भी चलाए।

मान्यवर, हमने मिशन 'SPANDAN' से ड्रग एडिक्ट्स को आईडेंटिफाई कर उनको नशा मुक्त करने का भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। इसको सामाजिक कल्याण विभाग चलता है, आरोग्य विभाग चलता है, मगर मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि हमने टोल फ्री हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है, नशा मुक्त भारत शपथ की भी शुरुआत की है, ऑनलाइन 'ई-प्रतिज्ञा' की भी शुरुआत की है। 3 करोड़ युवाओं ने ऑनलाइन प्रतिज्ञा ली है। MANAS Portal को भी शुरू किया है। सहायता, गोपनीयता और विश्वनीयता के लिए MANAS helpline 1933 भी उपलब्ध है, जिस पर 39,843 नागरिकों ने अपने बच्चों को ड्रग से मुक्त कराने की रिक्वेस्ट की है और 95 परसेंट लोगों ने rehabilitation कोर्स को पूरा कर लिया है, परंतु फिर भी मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि यह जो समस्या है, यह कोई अकेली केंद्र सरकार, केन्द्र सरकार का गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग मिलकर नहीं कर सकता है। इसमें देश के हर एक नागरिक को योगदान देना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई बच्चा है और उसमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि उसके ड्रग एडिक्ट होने की संभावना है, उसके बिहेवियर में परिवर्तन दिखता है या कहीं पर भी ड्रग बेचने की सूचनाएं मिलती हैं, तो उसकी सूचना आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर जरूर दीजिए। आपकी गोपनीयता भी बनी रहेगी, बच्चे का सामाजिक जीवन भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे और उसको ड्रग एडिक्शन से मुक्त कराकर वापस घर भेजने की व्यवस्था भी हम करेंगे। जब तक यह सहयोग नहीं मिलता, तब तक सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, परंतु यह सुनिश्चित है कि ड्रग के कारोबार से पैसा कमाने वाले, ड्रग में कमाए हुए पैसे को आतंकवाद की गतिविधियों में भेजने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

मान्यवर, यहां ड्रोन का भी जिक्र हुआ। मैं इस सदन से यह भी कहना चाहता हूँ कि हम एक कंप्लीट ड्रोनरोधी सॉल्यूशन को प्राप्त करने के बहुत नजदीक हैं। हमारे 6 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। उन छः के छः एक्सपेरिमेंट्स का प्लस, प्लस, प्लस इकट्ठा होकर एक मॉडल बनने जा रहा है और मुझे आशा है कि छः माह के अंदर ही एक कंप्लीट सॉल्यूशन, ड्रोनरोधी मॉड्यूल का इंडिजिनियस, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक जैसा सॉल्यूशन डीआरडीओ और हमारी संस्था लेकर आने वाली है।

मान्यवर, मैं जब यहाँ गृह विभाग की बात लेकर आया हूँ, तब यह भी जरूर कहना चाहता हूँ कि कानून और व्यवस्था एक प्रकार से राज्य के विषय हैं, परंतु क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून भारत सरकार ने बनाए हैं। ये तीनों कानून लगभग 160 साल पुराने थे। ये सन् 1857 की क्रांति के बाद अपने शासन को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून थे। उनमें कहीं भी नागरिक की चिंता नहीं थी, नागरिक के शरीर की चिंता नहीं थी, संपत्ति की चिंता नहीं थी, सामान की भी चिंता नहीं थी, बल्कि उनमें केवल सरकार को सुरक्षित रखने की चिंता थी। मान्यवर, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 75 साल तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों की पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून, अंग्रेज़ सरकार को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून ऐसे ही चलते रहे। हम सब जिम्मेदार हैं। परंतु, प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से "पंचप्रण" की घोषणा की, देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का आह्वान किया और 1 जुलाई, 2024 से तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 इस देश की संसद ने पारित किए। मान्यवर, ये कानून 1 जुलाई से पूरे देश में

लागू हो गए हैं। चंडीगढ़ इनको पूर्णतया लागू करने वाला पहला UT भी बना है। कई सारे राज्य इसमें आगे बढ़ गए।

मान्यवर, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ चीजें जरूर बताना चाहूँगा। मैं देश के नागरिकों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि तीन साल में ये कानून हरेक राज्य के हरेक पुलिस स्टेशन में 100 परसेंट लागू हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन भी करना है और कुछ चीजों को अडॉप्ट करना है। यह हो जाने के बाद, देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया हुआ केस सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल के अंदर न्याय प्राप्त कर लेगा, ऐसी व्यवस्था हमने इन कानूनों में की है। मैं बेरोक-टोक कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 21वीं शताब्दी का यह सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ है। तकनीक की दृष्टि से हमारे कानून विश्व भर में आधुनिक हैं। मान्यवर, दोषसिद्धि की दर में हम दुनिया के देशों के समकक्ष तो पहुंचेंगे ही, कुछ साल में हम आगे भी निकल जाएंगे। मैं अभी असम गया था, वहां रिव्यू हुआ। असम में दोषसिद्धि की दर 5 प्रतिशत थी। वहां कुछ और भी बदलाव हुए हैं, सरकारें बदली हैं, शासन भी बदला है और नए कानून भी आए हैं। नए कानून आने के बाद जो FIR रजिस्टर्ड हुई हैं और जजमेंट भी कम समय में आए हैं, उनके अंदर असम में दोषसिद्धि की दर 68 परसेंट है, क्योंकि इसके अंदर फोरेंसिक साइंस को बड़ा महत्व दिया गया है। 7 साल से ज़्यादा सजा वाले हर अपराध में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है। जहां तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध होता है, फोरेंसिक साइंस का साक्ष्य उपलब्ध होता है, वहां अन्य साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है, तो दो सौ साक्ष्यों की फौज भी पुलिस नहीं लगाती है। अगर scene of crime से आपका fingerprint मिल गया, DNA matching हो गया, अगर आपके mobile का tower वहां locate करता है, तो और कुछ बाकी ही नहीं बचता, उस आधार पर ही सज़ा हो जाती है। इसके बाद नज़र से देखने वाले साक्ष्य की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसका location वहां का है, उसका DNA matching हो गया, और उसका fingerprint भी मिल गया, तो फिर क्या बचा? कई ऐसे दोष सिद्ध हो चुके हैं। पटना में ही एक triple murder case 46 दिन में solve हो गया और 100 दिन के अंदर उनको आजीवन कैद की सज़ा हो गई।

मान्यवर, इसमें कई जगह पर समय-मर्यादा, police prosecution और न्यायपालिका, तीनों की समय-मर्यादा को कानून के प्रोविज़न से बांधा गया है। अब तारीख पर तारीख मिलने से मुक्ति मिलेगी। दो से ज़्यादा date न बचाव पक्ष को मिलेंगी और न prosecution को मिलेंगी। 35 अलग-अलग sections में time limit जोड़ी गई हैं। आप electronic माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। पहली सुनवाई के 7 दिन के अंदर आरोप तय करने होंगे। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में, यानी जो अपराध करके पाकिस्तान में भागकर बस गए हैं, उन पर भी अब ट्रायल चल सकेगा। जब वे यहां दोषी सिद्ध होंगे, तब उनको वहां रहने में बड़ी तकलीफ़ होगी। आपराधिक मामलों के मुकदमे की समाप्ति के बाद न्यायालय को सिर्फ 41 से 45 दिन में जजमेंट देना होगा।

इसमें पहली बार के छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सज़ा का भी प्रावधान किया है। 5,000 रुपये से कम की चोरी के लिए community service का प्रावधान है। अब हम भारत के बाहर की संपत्ति भी कुर्क कर सकते हैं। हमने ICJS-2 के तहत complete computerization का प्रावधान किया है। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। हमने e-record, zero FIR, e-FIR, forensic जांच अनिवार्य, ऐसे कई सारे provisions किए हैं। Director of Prosecution को police से अलग

कर दिया गया है। हमने forensic को बढ़ावा देने का भी काम किया है। इसमें mob lynching जैसा नया अपराध भी जोड़ा गया है। पहली बार संगठित अपराध को व्याख्यायित किया गया है।

मान्यवर, हमने victim-centric कानून भी बनाया है। इसके अंदर हमने victim को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। वे information के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। zero FIR को संस्थागत किया गया है और 90 दिन में जांच की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगने का अधिकार हमने victim को दिया है। पुलिस की जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया है। सर्च और ज़ब्ती की रिकॉर्डिंग करना compulsory किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना देना अनिवार्य किया गया है। 3 वर्ष से कम कारावास के लिए arrest का provision नहीं है। 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के व्यक्ति के लिए पूर्व अनुमति के अलावा arrest का provision नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर जवाबदेही तय होती है। और पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्तियों का रजिस्टर भी पुलिस स्टेशन के बाहर लटकाना होगा। ऐसी 20 धाराएं हैं, जिनमें हमने पुलिस की जिम्मेदारी तय की है। अंग्रेज राजद्रोह का कानून लगाकर गए थे। राज के खिलाफ बोलने की मनाही थी। हमने राजद्रोह के कानून को देशद्रोह में बदला। आप प्रधान मंत्री जी के खिलाफ तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कायदे की मर्यादा है, मगर देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। देश के खिलाफ बोले, तो जेल होगी। आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं बनाई गई। पहली बार आतंकवाद की अधिकृत व्याख्या बनाई गई है। तकनीक को बढ़ावा दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य माने जाएंगे, डिजिटल तरीके से देश में कहीं से भी आप गवाही दे सकते हैं, जेल से कोर्ट में जाने की किसी को जरूरत नहीं है। किसी भी ऑफिसर को अपने ऑफिस से गवाही देने का अधिकार दिया है और summary trial को भी छोटे-मोटे अपराधों के लिए हमने कम्प्लसरी कर दिया है। अंडर ट्रायल का निश्चित अवधि के अंदर केस नहीं चलता है, तो शासन की जिम्मेदारी उसको बेल देने की होगी। First-time offender अगर एक-तिहाई सजा काट लेते हैं, तो उनकी बेल को अधिकार बना दिया गया है। गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना कानून के अंतर्गत ही सुनिश्चित की है। Chain snatching को पहली बार अपराध के अंदर व्याख्यायित किया गया है। मुझे आनंद है कि irrespective of party सभी राज्यों ने इस कानून को स्वीकारा है, इसलिए मैं सभी राज्य सरकारों का अभिवादन करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। 19 राज्यों के साथ मेरी review बैठक हुई है। BPR&D, NCRB hand-holding भी कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि और एक साल के अंदर हर थाना इन कानूनों के लिए पूरे technical upgradation के साथ तैयार हो जाएगा। यह देश की आपराधिक व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क डालता है। परंतु यह सब करके आपराधिक न्याय प्रणाली के जो पांच स्तंभ हैं, उनको हम technical दृष्टि से upgrade नहीं करते हैं, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। हमने eCourt, ई-जेल, e-Forensic, ई-अभियोजन, eSakshya, e-Summon, NIDAAN, i-MOT, ITSSO, NDFO, NDSO, इन सारे प्रमुख घटकों के साथ CCTNS, जो देश के 99.5 प्रतिशत पुलिस स्टेशन को अब तक online जोड़ चुका है, इसके साथ जोड़ने की हमने व्यवस्था की है। कई सारे पोर्टल और डेटा बनाए हैं। CCTNS, अपराध, अपराधिक लोगों की tracking इसका नेटवर्क सिस्टम है। ICJS हमारे पुलिस, न्यायालय, जेल, forensic और prosecution को जोड़ता है। 1930 साइबर अपराधों के लिए helpline है, उसको भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। 'Map Drugs' app, नशीली दवाइयों के कारोबार के गुनहगारों को जोड़ता है। NCORD, सारी नशीली दवाओं की सूचनाओं को इसके साथ जोड़ता है। MANAS

helpline को drug addicts की गोपनीय सूचना देने के लिए इसके साथ जोड़ा गया है। NAFIS के अंदर 1 करोड़ 12 लाख अपराधियों के fingerprint कराए हैं, जिससे तुरंत अपराधी की पहचान हो सकती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया 112 को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। Cri-MAC टैरेरिज्म से जुड़े हुए, साइबर क्राइम से जुड़े हुए सारे अपराधों को जोड़ता है। सीमा पार निगरानी प्रणाली को भी इसके साथ जोड़ा है। The Smart Cities Mission से Urban Policing को भी जोड़ा गया है।

मान्यवर, आने वाले दिनों में, अलग-अलग silos में जो data पड़े हैं, उन डेटा को हम एक-दूसरे के साथ बात करने वाला software बनाने का initiative भी ले चुके हैं।

मान्यवर, ये जो सारे cyber अपराध हैं, इनको रोकने के लिए हमने I4C बनाया है। मोदी जी ने I4C को बहुत पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय को पर्याप्त धन भी दिया है और कठोर सूचनाएं भी दी हैं। महोदय, इस helpline पर कोई भी call आने के कुछ सेकंड के बाद ही आपके साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति का bank account कुछ seconds में seize हो जाता है।

महोदय, इसके साथ ही हमने verticals भी बनाए हैं। National Cybercrime Threat Analytics Unit, National Cybercrime Reporting Portal, National Cybercrime Forensic Laboratory, National Cybercrime Training Centre, Joint Cybercrime Investigation Taskforce, Cybercrime Ecosystem Management Unit, National Cyber Crime Research and Innovation Centre. इन सात वर्टिकल्स में ICJS-I और ICJS-II काम कर रही हैं।

महोदय, ICJS-II में जो खाका बना है, उसको हर राज्य और आने वाली calls में होने वाली वृद्धि को देखकर इसकी क्षमतावर्द्धन का भी काम हो रहा है। महोदय, यह Phase-II, 'one data, one entry' के सिद्धांत पर, high-speed connectivity के साथ एक समर्पित और सुरक्षित cloud आधारित infrastructure के तहत बनाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इसके बाद ढेर सारा data - हमने अभी तक जो भी legacy data collect किया है, वह सदन को बताना चाहूंगा। हमने CCTNS में 17,171 police stations कर दिए हैं, आज हमारे पास 34 करोड़, 1 लाख police record भी data पर उपलब्ध हैं, eCourt में 22 हज़ार अदालतों को जोड़ लिया गया है, e-Prison में 2.2 करोड़ कैदियों का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, 1,361 जेलों को जोड़ दिया गया है, e-Prosecution में 1 करोड़, 93 लाख से अधिक prosecution cases की सामग्री उपलब्ध है, आज e-forensic में 28 लाख, 70 हज़ार से अधिक forensic data देश की 117 forensic labs का जमा हो चुका है, NAFIS के अंदर 1 करोड़, 12 लाख fingerprints का डेटा है, Integrated Monitoring of Terrorism (i-MOT) में UAPA के 22 हज़ार केसेज का डेटा हमारे द्वारा रजिस्टर कर दिया गया है, NIDAAN में 8 लाख, 11 हज़ार से ज्यादा narco-offenders का data उपलब्ध है, human trafficking offenders में 1 लाख, 28 हज़ार human traffickers का डेटा उपलब्ध है और MAC के 16 lakh alerts भी इसके साथ उपलब्ध हैं।

मान्यवर, अभी यह सारा data अलग-अलग silos में पड़ा है। हम artificial intelligence का उपयोग करके यह सारा डेटा एक-दूसरे के साथ बात करके, कई सारे analysis crime control और crime को restrict करने के लिए उपलब्ध कराएंगे। लगभग छह माह में हमारा यह सारा प्रयोग पूरा हो जाएगा। मान्यवर, जब यह प्रयोग पूरा हो जाएगा, तब मैं जो कह रहा हूं कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली है, मैं वह हवा में नहीं कह रहा हूं। महोदय, हमने अक्टूबर, 2019 में कानून बनाने की शुरुआत की थी, 2023 तक कानून बन चुका था और 2024 में लागू हुआ था। हमने 2019 की शुरुआत से ही इन सारे स्तंभों में data

generation की शुरुआत की थी, 2022 में artificial intelligence का उपयोग करके software बनाने की शुरुआत की थी और इसके लिए मुझे लगता है कि वह अधिक से अधिक लेट होकर भी दिसंबर तक बन जाएगा। महोदय, जब यह सारा बन जाएगा, तब अपराधियों को बचने की जगह नहीं मिलेगी और मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, जब हम forensic science की बात करते हैं, तो हमने forensic science के क्षेत्र में चतुष्कोणीय स्ट्रेटेजी अपनाई है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

इन्फ्रास्ट्रक्चर में मजबूती, विशेषज्ञों की मैन पावर का निर्माण, दुनिया भर की अद्यतन फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करना और आर एंड डी को बढ़ावा देना। हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो दक्ष युवाओं की फौज बना रहा है। 72 अलग-अलग से क्षेत्रों में पीएचडी तक के कोर्स बन चुके हैं। आज लगभग 5,137 विद्यार्थी हैं। 2 साल के बाद इसमें 35,000 विद्यार्थी होंगे, क्योंकि 14 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कॉलेज खुल जाएंगे। हम आर एंड डी के लिए लगभग 3,000 रिसर्च पब्लिकेशन घोषित कर चुके हैं और अभी 100 से ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमने 350 से ज्यादा वर्कशॉप्स और सेमिनार्स एक ही साल में आयोजित करने की प्लानिंग की है। ड्रग परीक्षण के लिए हमने परिचयन नाम की एक स्वदेशी किट भी बनाई है। सीएफएसएल को और मजबूत कर रहे हैं। हम राज्य के एफएसएल को भी बहुत मदद देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम हर राज्य में निर्भया फंड से डीएनए विश्लेषण की एक लैबोरेटरी भी खड़ी करेंगे। आई4सी के अंदर राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब भी NFSU की मदद कर रहा है और NAFIS को भी NFSU काफी पुख्ता करने का काम कर रहा है। रेंसिक साइंस का यह जो वर्टिकल खड़ा हुआ है, उस वर्टिकल के माध्यम से हम दोष सिद्धि के प्रमाण को बहुत अच्छे तरीके से सुधारने में कामयाब होंगे। इसका मुझे भरोसा है।

मान्यवर, आपदा प्रबंधन भी गृह मंत्रालय के जिम्मे है। कई बार कुछ लोग इसको आत्मश्लाघा कहते हैं, परंतु वास्तविकता बताना मेरा धर्म है। मैं 2014 के बाद का आपदा प्रबंधन और 2014 के पहले के आपदा प्रबंधन को अलग दृष्टि से यहां पर रखना चाहता हूं। 2014 के पहले आपदा प्रबंधन राहत केंद्रित था और रिएक्शनरी दृष्टिकोण के साथ बनाया गया था। आपदा आ गई, तो बाद में आपदा प्रबंधन का काम होता था। जो टूट गया, उसका मलबा हटाओ, जो इन्जर्ड है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ और जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करो और सर्वे करके जितनी हो सके, उतनी भरपाई करो। अब हम बचाव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे आए हैं और इस देश में गत वर्ष में दो ऐसी आपदाएं आई हैं, जिनमें ज़ीरो मानव जीवन का नुकसान हुआ है। मान्यवर, हम ओडिशा के साइक्लोन को और गुजरात के भूकम्प को भूल नहीं सकते हैं। उनमें हजारों लोग तहस-नहस हो गए थे। अब विज्ञान आगे बढ़ चुका है। हमने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम को एडॉप्ट किया है। प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस को अपनी नीति का आधार बनाया है और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। अर्ली वॉर्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित एक बचाव राहत का काम शुरू किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को पुख्ता किया गया है। पहले से तैनाती - बाढ़ आने से पहले ही एनडीआरएफ राज्य में पहुंचती है, साइक्लोन आने से पहले ही एनडीआरएफ वहां उपलब्ध होती है। आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण किया गया है। समुदाय आधारित आपदा

Content Page

प्रबंधन का सिस्टम खड़ा किया है और हमने डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को अपनी नीति का आधार बनाया है। इन 6 स्तम्भ पर आपदा प्रबंधन आगे बढ़ा है।

मान्यवर, धन तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं 2004 से 2014 और 2014 से 2024 का कम्पेरिज़न करना चाहूंगा। 2004 से 2014 में एसडीआरएफ की निधि 37,727 करोड़ थी। विपक्ष के सदस्यों ने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो इसमें ही सारा जवाब आ जाएगा। एसडीआरएफ की निधि 37,727 करोड़ और निर्मला जी, आपके समय में एसडीआरएफ की 1,39,087.80 करोड़ रुपये हो गई है। NDRF की निधि 27,619 करोड़ थी, वह 83,729.26 करोड़ हो गई। मान्यवर, यह बताता है कि किस प्रकार के स्केल से देश को आपदा से बचाने के लिए काम हुआ है। NDRF के तहत 56,110 करोड़ रुपया बढ़ा और SDRF के तहत 1,01,336 करोड़ ज्यादा है। लगभग 1.57 करोड़ पिछले 10 साल में ज्यादा गया है। सालाना 15,000 करोड़ और आप सवाल उठाते हैं! आप आंकड़े तो देखिए। National Disaster Mitigation Fund 13,693 करोड़। पहली बार हमने पूर्व तैयारी के लिए, disaster आए ही नहीं, इस प्रकार की तैयारी को बहुत दूरदर्शी तरीके से अपने agenda में लिया। मान्यवर, Early Warning System से warning पहले 5 दिन पहले जाती थी, अब 7 दिन पहले जाती है। Disaster में 7 दिन, मतलब बचाव के लिए बहुत बड़ा समय होता है। एक भी पशु नहीं मरना चाहिए, एक भी मानव नहीं मरना चाहिए। यहां तक कि अगर वृक्ष की pruning ठीक से कर दी गई, तो पेड़ भी नहीं गिरेगा। अब 7 दिन का समय मिलता है। अब तक 4,500 करोड़ से ज्यादा अलग-अलग alerts जारी की गई हैं। NDRF बल की सक्रिय उपलब्धता पहले से 183 परसेंट बढ़ाई गई। 28 शहरों में Regional Response Centre है। 250 करोड़ के revolving fund के तहत यह immediately उपलब्ध होता है। नागपुर के अंदर 2019 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक अलग एकेडमी की स्थापना हुई। विभिन्न आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 5 साल में 38 guidelines बनाई गईं। 112 इमरजेंसी नंबर में आपदा को भी समाहित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए CDRI की स्थापना की गई है। मैं गर्व से कहता हूं कि इसमें 42 देश और 7 बहुराष्ट्रीय संस्थाएं आज हमारे CDRI की मेम्बर्स बनी हैं। मान्यवर, दुनिया में कहीं पर भी आपदा आती है, तो हमारे प्रधान मंत्री जी तुरंत NDRF भेज देते हैं। अग्निशमन के लिए भी भारत सरकार ने राज्यों को हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। बाढ़ के खतरों में कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए। ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने तुर्की में भी मदद पहुंचाई, नेपाल में भी मदद पहुंचाई। Common Alerting Protocol का सफल एकीकरण किया गया है। NDMIS, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली को सफलता से लागू किया गया है। आपदा प्रबंधन में श्रेष्ठ काम के लिए अब तक कोई पुरस्कार नहीं था। अब जिसको पूरा देश और पूरी दुनिया नेता जी के नाम से जानती है, उन सुभाष बाबू के नाम से हमने आपदा प्रबंधन पुरस्कार स्थापित किया है। मान्यवर, 38 guidelines जारी कर दी गईं और नई guidelines बनने में हर दो माह में एक guideline issue होगी। 'Mausam' एक एकीकृत GIS आधारित App है, जो 7 दिन का सटीक अनुमान देता है। 'Meghdoot' App किसानों को महत्वपूर्ण मौसम संबंधी जानकारी देता है। 'FloodWatch' App बाढ़ की स्थिति और forecast को real time में जनता तक पहुंचाता है। 'Damini' App lightening strike के पहले alert का सिस्टम बना है। 'POCKET' App Bhuvan Map और satellite data को visual और voice navigation सुविधा के साथ उपलब्ध कराता है। 'SACHET' App real time geo-targeted alert प्रदान करता है। 'Van Agni' App वर्तमान वन आग की स्थिति की

जानकारी field staff को देता है। 'SAMUDRA' App महासागर की जानकारी मछुआरों को देता है। 'Bhooskhalan' App भूस्खलन के अध्ययन की nodal agency है, जो राष्ट्रीय भूस्खलन सूची को समृद्ध करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी इस आपदा प्रबंधन से हम काफी inputs देते हैं। 'India Quake' App भूकंप के मापदंडों का automated प्रसारण करता है।

मान्यवर, ये सारी 12 की 12 mobile applications 2014 के बाद ही बनी हैं। यह coincidence नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति आपदा प्रबंधन को वैज्ञानिक दृष्टि से, संवेदनशील मन से और परिणाम लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देखता है, तब 10 साल में इतना बड़ा काम हुआ है। ...(**व्यवधान**)... मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हमारा भारत, एक प्रकार से समग्र विश्व में top की countries में शामिल हो चुका है और हम इसको topmost बनाने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, इसमें राज्य सरकारों का भी बहुत बड़ा योग है। अंतरराज्यीय और केंद्र तथा राज्य की समस्याओं के निवारण लिए, अंतरराज्यीय परिषद् संविधान का एक उपक्रम है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह मंच राज्यों-राज्यों के बीच और राज्य-केंद्र के बीच की समस्याओं के निवारण के लिए काम करता है। 2004 से 2014 के बीच, Zonal Council की 11 बैठकें हुई थीं। हमारे यहां कोविड के दो साल बेकार गए, तो एक प्रकार से हमें 8 साल ही मिले, परन्तु 11 के सामने हमने 10 साल में, एक प्रकार से 8 साल में 27 बैठकें कीं और Standing Committee की 14 के सामने 33 बैठकें कीं। आपके समय में प्रति वर्ष औसत बैठकें 2.7 थीं, जबकि हमारे समय में, अगर 8 साल ही लें, तो ये 7 रही हैं। अब समस्या का निवारण भी देखिए। बैठकें तो होती रहती हैं, लेकिन बैठक में क्या हुआ? तो आपके समय में 448 मुद्दों का समाधान हुआ था, जबकि नरेन्द्र मोदी जी के समय में 1,279 मुद्दों का समाधान किया गया। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, राज्य-राज्य के बीच में जो समस्याएँ हैं, ये सालों तक लंबित रहती थीं, लेकिन यहां जो निपटान हो जाता है, उसको प्रगति के माध्यम से मोदी जी स्वयं मॉनिटर करते हैं और राज्यों के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो मनमोहन सिंह के दूसरे साल में शुरू हुए थे और मोदी जी के पांचवें साल में समाप्त हुए, क्योंकि उन 10 सालों में इनमें कुछ हुआ ही नहीं था। तो यह अन्तरराज्यीय परिषद् हमारे federal structure को मजबूत करने का एक बहुत प्रमुख साधन है। ये जो federal structure की दुहाई देते हैं, तो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि फिर सबको बुरा लग जाता है और कहते हैं कि कटु बात करते हैं। कहते हैं कि बोलिए, बोलिए और फिर खड़े हो जाते हैं।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

मान्यवर, उनको बैठकों में आने की भी फुर्सत नहीं है। खुद आने की बात तो छोड़िए, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं भेजते हैं। इनकी यह गम्भीरता है! खैर, इसे छोड़िए। मैं आज राजनीति करने नहीं आया हूँ। मान्यवर, हमारा एक दूसरा project Vibrant Villages Programme का है।

**श्री सभापतिः** मान्यवर, मैं भी अनुशासन-प्रेषित हो गया था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मुझे 90 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना है। आपका stamina तो चल रहा है, परन्तु मैं मेडिकल अनुशासन दिखा कर वापस आ गया हूँ।

**श्री अमित शाहः** मान्यवर, आपकी और मेरी आयु में भी बड़ा अन्तर है।

**श्री सभापतिः** काफी अन्तर है, बल्कि दो generations का अन्तर है।

**श्री अमित शाहः** मान्यवर, मैं एक Vibrant Villages Programme की भी बात करना चाहूँगा। हमारे border पर जो गांव हैं, वे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित हैं। कहीं plus 48 degree temperature है, तो कहीं minus 48 degree temperature है, कोई चोटियों पर है, तो कोई रेगिस्तान में है और कोई वनों में है। इन गांवों से सुविधाओं के अभाव के चलते पलायन हो रहा है। सर, जिस देश के border के गांव खाली हो जाते हैं, उस देश का border कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक नई approach के साथ हमारे गांवों को देखना शुरू किया। पहले लोग उनको 'देश का अंतिम गांव' कहते थे, अब उनको 'देश का पहला गांव' कहते हैं। यह सिर्फ एक conceptual बदलाव नहीं है, बल्कि मोदी जी वहाँ के विकास की दृष्टि से भी बदलाव लाने का कार्यक्रम लेकर आए हैं। उनको 'प्रथम गांव' कह तो दिया, मगर साहब, मैं दावे से कहता हूं कि 10 सालों में मिली सुविधाओं की दृष्टि से भी ये गांव, देश के प्रथम नंबर के गांव हैं। इसके लिए Vibrant Villages Programme लाया गया है। इसमें 90 प्रतिशत केंद्र का अंश है और 10 प्रतिशत राज्य का अंश है। इसी अनुपात में निधि जारी की जाती है। लद्दाख में यह 100 परसेंट है, क्योंकि वह एक UT है। हमने इसमें पहले चरण में 19 जिले और 46 ब्लॉक्स के चयनित 662 गांवों को 4,800 करोड़ रुपए का वित्तीय आबंटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल प्रदेश के 75, उत्तराखंड के 51, सिक्किम के 46 और लद्दाख के 35 गाँवों को चयनित किया गाया है। यह प्रथम चरण है, द्वितीय चरण में पूरी सीमा आएगी। इन 662 गांवों में यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। मान्यवर, मैं अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबिथू गांव में गया था, वहाँ मैंने लोगों के बीच एक जबरदस्त उत्साह देखा। जब मैंने वहाँ कहा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आज से आपका गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, पहला गांव है और आप सुविधाओं की दृष्टि से भी दो साल में पहले नंबर पर पहुँच जाएँगे, तो मैंने वहाँ लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा। हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं, लगभग 1466 परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है, सड़क घटक के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में 136 गांवों को जोड़ने के लिए 113 सड़कें और 8 एलएसबी परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं और इसके लिए 312 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के 125 गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, सिक्किम के तीन, उत्तराखंड के आठ गांव सड़क से जुड़ चुके हैं और उसके लिए कुल 312 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

मान्यवर, सिर्फ योजना बना कर नहीं, बल्कि मैंने जैसा कहा कि ये गाँव कठिनतम परिस्थिति में हैं। मेरे समय 17 केंद्रीय मंत्रियों ने अब तक आठ जिलों के 17 वाइब्रेंट गांवों में यात्रा की है और रात्रि निवास कर 48 घंटे बिताए और जमीन पर जाकर इन योजनाओं को कैसे लागू करना चाहिए, क्या हर्डल है, क्या बदलाव करना चाहिए और फिर इसका एक नया स्वरूप यहाँ आकर बनाया। 17 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंत्री, 92 वरिष्ठ ऑफिसर ने और 256 राज्य के ऑफिसर इन सभी गांवों में रहे। इसके कारण 4जी कनेक्टिविटी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी हुई है, कई आजीविका की योजनाएँ शुरू हुई हैं, जैसे मैं किबिथू में गया था, वहाँ पर लोगों ने कहा कि साहब, हमारे गांव में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईटीबीपी हमारा दूध, मछली और सब्जी ले। आईटीबीपी वाले वहां थे, मैंने उनसे पूछा कि आप इनका ये सामान क्यों नहीं लेते हैं? उसने बताया कि हमारा FOR होता है। हमने यहाँ आकर नीति में परिवर्तन करके उनको ये तीनों चीजें स्थानीय लोगों से खरीदने की छूट दी। इससे उनकी कोऑपरेटिव बन गई तथा सेना

और आईटीबीपी अब सब लोकल चीजें ले रहे हैं। इससे उनको भी फ्रेश खाने को मिलता है, सस्ता भी मिलता है और इससे स्थानीय किसानों को रोजी-रोटी भी मिलती है। इस तरह की छोटी-छोटी चीजों के बदलाव से गांवों में आजीविका भी बढ़ी है, बिजली भी पहुँची है, कनेक्टिविटी भी पहुँची है, रोड भी पहुँची है, मेडिकल सुविधाओं के लिए आईटीबीपी और सेना के सारे मेडिकल इंस्टॉलेशन्स को गांव वालों के लिए खोल दिया गया है और इस तरह के ढेर सारे परिवर्तन किए गए हैं, जिनके कारण कई गांवों में आबादी वापस आने लगी है। मैं आँकड़ों के आधार पर कह सकता हूँ कि अरुणाचल में रचनात्मक रूप से वहां की कुछ आबादी वापस आई है। मान्यवर, 127 गांवों में ऑफग्रिड माध्यम से विद्युतीकरण किया गया और 474 गांवों का सीधा विद्युतीकरण किया गया है। पहली बार कुछ गांवों में बिजली पहुंची है और इसके लिए ढेर सारा खर्च भी किया गया है।

मान्यवर, viewpoint, adventure tourism, ecotourism, eco-resorts, पर्यटन केंद्रों और घर में रख कर पर्यटकों को घुमाने ले जाने तक के ढेर सारे साइट्स उपलब्ध हो गए हैं, जिनसे हर घर में एक अच्छी सुविधा भी निर्मित हो गई है और पर्यटक आते हैं, तो उसको परिवार के साथ रह कर गाइड भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, वहां के व्यंजन मिलते हैं और वह अच्छे से उस क्षेत्र को देख भी पाता है। इस तरह से यह एक multidimensional सफल प्रयोग हुआ है, जिसे मैं आज की चर्चा के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं गृह विभाग के राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक बात कह देता हूँ, जिससे भाषा के नाम पर देश को बाँटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेन्द्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं के प्रचलन को बढ़ाने के लिए काम करेगा। चाहे तमिल हो, तेलुगू हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा के लिए वह काम करेगा और उन सबका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ऐप भी है।

मान्यवर, मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ कि दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में चाहे वह कोई नागरिक हो, मुख्य मंत्री हो, मंत्री हो या सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र-व्यवहार करने वाला हूँ, यह स्थिति आ चुकी है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं, उनको यह मजबूत जवाब है। भारत की एक-एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है।

मान्यवर, ये क्या कहते हैं कि हम दक्षिण भारत की भाषाओं के विरोधी हैं! कोई किसी राज्य की भाषा का विरोधी कैसे हो सकता है? हम भी तो वहीं से आते हैं! मैं भी गुजरात से आता हूँ, निर्मला जी तमिलनाडु से आती हैं, हम कैसे विरोध कर सकते हैं? क्या बात करते हो आप? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। मैं आज इस मंच से तमिलनाडु सरकार से कहना चाहता हूँ, हम दो साल से कह रहे हैं, आपमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, आप यह नहीं कर सकते हो, मगर जब हमारी एनडीए की सरकार आएगी, तो हम तमिलनाडु में मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में बनाएंगे। मान्यवर, भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती! भाई, तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम कर सकता है। आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो, आप देश की कैसी व्यवस्था चाहते हो?

भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए, देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात कीजिए। आप अपने घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा की आड़ लेते हैं! हम एक्सपोज़ करेंगे, गांव-गांव जाकर एक्सपोज़ करेंगे कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आप ऐसा करते हैं।

मान्यवर, नरेन्द्र मोदी सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग की एक नई शुरुआत की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को बलवत्तर करेगी। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, जो मैंने बार-बार कहा है कि हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है, हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। ...(**व्यवधान**)... हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती हैं और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, राजभाषा के लिए हमने तीन खंड राष्ट्रपति महोदया को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ-साथ भारत की सारी भाषाओं के विकास के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है, इसमें किसी को शंका नहीं है।

मान्यवर, हमने पद्म पुरस्कारों का भी लोकतंत्रीकरण किया है। मेरे पास पद्म पुरस्कारों की सूची तो है, मगर यह इतनी लंबी है कि यदि मैं बोलूंगा तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, जबकि निर्मला जी को वहां गिलोटिन भी रखना है। मान्यवर, पद्म पुरस्कारों में ऐसे लोगों को पुरस्कार मिले हैं, जो सामान्य लोगों के हीरो थे, जिन्होंने पूरा जीवन इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर छोटे-छोटे परिवर्तन लाने में खपा दिया। ऐसे लोगों को आज कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। वे पोर्टल पर खुद सारी जानकारी डालते हैं और यहां से, राष्ट्रपति भवन से फोन जाता है कि आपको पद्म पुरस्कार से राष्ट्रपति जी ने नवाजा है। पद्म पुरस्कार की ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया बहुत समय पहले बननी थी, मगर मैं नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई और यह प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

मान्यवर, गृह विभाग ने ढेर सारे कानून भी बनाए हैं। इन तीन नए कानूनों के साथ-साथ हमने 370, जम्मू-कश्मीर के विभाजन का कानून, सीएए, आपदा प्रबंधन सुधार के लिए कानून अभी सदन में लाना है, यूएपीए को अपग्रेड किया, ... एनआईए को बदला, इसके साथ-साथ हमने हथियार कानून में संशोधन किया। जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में सुधार किया। मान्यवर, संघ राज्य क्षेत्र के 9 नए कानून बनाए गए। सभी कानूनों का उद्देश्य यह है कि देश में संघ भावना की अभिवृद्धि हो और देश की कानून और व्यवस्था मजबूत हो रही है। हमने CAPF के कल्याण के लिए भी ढेर सारी चीजें की हैं। हमने आयुष्मान CAPF भारत योजना लागू की है। मान्यवर,मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि 41,21,443 CAPF के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के पूरे परिवार को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है।

पहले, अस्पताल का बिल जमा करने के लिए जितने नोटों की गड्डी होती थी, उससे ज्यादा वजन के कागज देने पड़ते थे। अस्पताल के बिल, ज़ेरॉक्स और अन्य कागज़ात की 11 कॉपियां जमा करनी पड़ती थीं। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। अस्पताल के बैंक अकाउंट में सीधे पैसा पहुंच रहा है। इसके तहत 17 लाख दावों का भुगतान हो चुका है और हमने 1,862 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान अस्पतालों को किया है।

हमने CAPF के अंदर ई-आवास पोर्टल बनाया है। सभी CAPF में कुछ आवास खाली थे, कुछ जगहों पर आवास नहीं थे। हमने उपलब्ध आवासों को ही ई-पोर्टल पर रखा और एक-दूसरे को देने की शुरुआत की। इस प्रक्रिया में एक लाख लोगों को आवास मिला, यानी एक लाख आवास

Content Page

खाली पड़े हुए थे। हमने Housing Satisfaction Ratio में भी कांग्रेस के समय से 13 परसेंट की वृद्धि की है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारा खर्च किया गया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के भंडारण में भी सुधार किया गया है और इसमें स्वदेशी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अनुग्रह राशि में भी वृद्धि की गई है। 'भारत के वीर' निधि शुरू की गई, जिसके तहत कोई जवान शहीद होता है तो लोगों द्वारा दिए गए दान से सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

हमने कोविड योद्धाओं को बहुत सारी सहायता दी है। जो सुरक्षाकर्मी कोविड के दौरान ड्यूटी पर थे और जिनकी मृत्यु हुई, उनको भी सहायता देने का काम किया गया है। अब तक 495 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में वीर शहीद जवानों को प्रदान किए गए हैं। 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना', हवाई कोरियर सेवा, Operation Casualty Certificate, कार्मिक प्रबंधन के लिए ई-फाइलिंग, श्री अन्न का बढ़ावा, योग प्रोटोकॉल और regular medical check-up जैसी कई पहलें भी शुरू की गई हैं।

मान्यवर, मैं मणिपुर पर ज़रूर बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि समय की कमी है। जब मैं राष्ट्रपति शासन के लिए अनुमति लेने आऊंगा, तब इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, सबको सुनूंगा और जवाब भी दूंगा। लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में अब शांति है। दोनों समुदायों के बीच बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और मुझे आशा है कि बातचीत के माध्यम से दोनों समुदायों के बीच की दूरी को पाटने में हम बहुत जल्द ही सफल होंगे।

मान्यवर, सीमा सुरक्षा के लिए भी हमने बहुत काम किए हैं। अभी मैं वितंडावाद में नहीं जाना चाहता, परंतु इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि एक land port का विषय ऐसा है, जो देश के ध्यान में बहुत कम आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, 15 में से 13 लैंड पोर्ट हमारे कार्यकाल में बने और इस क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है। अब तक Land Port Authority के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 70,959 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, सड़क के माध्यम से व्यापार बढ़ा है और 30 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही हुई है। अब तक 15 लैंड पोर्ट कार्यरत हैं, और कुल 26 लैंड पोर्ट की योजना है, तो और 10 land port अलग-अलग जगह बनाने की हमारी कार्यवाही है। इस साल तीन-चार लैंड पोर्ट और शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

पुलिस प्रशिक्षण को भी पूरी तरह एकीकृत किया गया है। सभी राज्यों के लिए हमने एक 'मॉडल अभ्यासक्रम' बनाया है - कांस्टेबल से लेकर पीआई, डीवाईएसपी और सीपीएफ और रेगुलर पुलिसिंग में जो आईपीएस अफसर हैं, उनके अभ्यासक्रम को भी पूरी तरह से बदल कर एक नया रूप दिया है। हमने एक अच्छा प्रशिक्षण का मॉडल अडोप्ट किया है। मैं इसमें डिटेल में

5.00 P.M.

बात नहीं करना चाहता हूं, परंतु मैं कुछ चीज़ें जरूर कहना चाहता हूं कि मेरे मंत्रालय को गौरव है, क्योंकि रामजन्म भूमि ट्रस्ट का निर्माण भी गृह मंत्रालय ने किया है। जैसे 370, 35ए, CAA और राम जन्म भूमि ट्रस्ट का निर्माण ऐसे काम हैं, जिनका करोड़ों लोगों की आबादी वाला देश सदियों से राह देख रहा था कि कोई आदमी आएगा और रामजन्म भूमि बनाएगा। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने यह किया है। सर, अपराध के आंकड़े दिए गए हैं। मुझे तो आश्चर्य होता था, जब सीनियर

मोस्ट व्यक्ति अपराध के आंकड़ों को इस तरह से रख रहे थे। सर, अपराध के कुल आंकड़ों को रखकर भ्रांति खड़ी होती है। अपराध में एक से पांच श्रेणी के अपराध हैं, जो व्यक्ति के शरीर, संपत्ति और सम्मान से जुड़े हुए हैं। वे गंभीर अपराध हैं। इसके आंकड़ों को बताने की जगह टोटल 60 लाख अपराध, 70 लाख अपराध बताए हैं। अब तो ई-रजिस्ट्रेशन है और हमने उसको फ्री कर दिया है। राज्य सरकारों ने भी किया है, तो बढ़ेगा ही, अच्छी बात है। इससे क्यों घबरा रहे हैं। व्यक्ति के शरीर, संपत्ति और सम्मान के साथ जब छेड़खानी होती है, तो वे गंभीर अपराध होते हैं। मैं सभी राज्य सरकारों के लिए भी कहना चाहता हूं कि इस दस साल में सभी राज्यों ने भी अच्छा किया और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति देश में बहुत अच्छी हुई है।

मान्यवर, एक जमाना था, जब आए दिन बम धमाके होते थे। मैं देश की पूरी जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दस साल से बम धमाकों की श्रेणियां बंद हो गई हैं। आए दिन बम धमाके करके चले जाते थे। कुछ नहीं होता था। तीन घंटे की एक न्यूज होती थी। मुंबई के होटल में घुस जाते थे, रेलवे स्टेशन पर घुस जाते थे, तो दो-दो दिन तक देश का श्वास ऊपर हो जाता था। कुछ नहीं होता था, लेकिन आज इस देश में बम धमाके करने की किसी की हिम्मत नहीं है। यह देश नरेन्द्र मोदी जी के साथ सुरक्षित है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि 31 मार्च, 2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कश्मीर में अब शांति है। नॉर्थ-ईस्ट में भी सारे उग्रवादी लगभग सरेंडर कर चुके हैं। नॉर्थ-ईस्ट में भी विकास का रास्ता प्रशस्त हो चुका है और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश की कानून व्यवस्था की परिस्थिति सभी राज्यों के सहयोग से, मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूत प्रबंधन के कारण सुरक्षित है। विपक्ष को चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता हम पर छोड़ दीजिए। हम बहुत अच्छे से चलाएंगे। आपको भी सुरक्षित रखेंगे और देश को भी सुरक्षित रखेंगे, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, further consideration of the motion moved by Shri Pankaj Chaudhary on the 9th December, 2024. ...*(Interruptions)*... I now call upon Members whose names have been received for participation. The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, there is a scheduled guillotine at 6 p.m. in the Lok Sabha. The discussion on the Working of the Ministry of Home Affairs has just concluded with the reply of the hon. Home Minister. So, we have some time. Last time, I had an informal discussion with our colleagues, but if the House agrees, we can take up the Banking Laws (Amendment) Bill. Otherwise, I will go with the House and you can advise us. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let Shri Jairam Ramesh respond.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the understanding was that we would continue and complete the discussion on Working of the Ministry of Home Affairs, and we would take up the Banking Laws (Amendment) Bill on Monday. Let us please stick to this schedule.

MR. CHAIRMAN: Mr. Jairam, your point is well taken. ...(*Interruptions*)... No, no. Nothing is going on record, Digvijaya Singh ji. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, the Special Mentions of Members who are present are taken on record.

---

## €SPECIAL MENTIONS

### Request for starting specialized courses in Lucknow Campus of Rashtriya Raksha University

**श्री तेजवीर सिंह** (उत्तर प्रदेश): महोदय, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिसिंग और रक्षा अध्ययन के क्षेत्र में विशेषीकृत शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करके भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप, साल 2022 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) का एक परिसर स्थापित किया गया।

RRU के मुख्य परिसर (गुजरात) में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, पुलिसिंग, व्यवहारिक विज्ञान, फोरेंसिक जांच आदि में 41 शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। लखनऊ परिसर में वर्तमान में केवल 10 पाठ्यक्रम ही उपलब्ध हैं। यहाँ अब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रणनीतिक भाषाएँ, आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद-रोधी अध्ययन, रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों की शुरुआत नहीं हुई है। यदि लखनऊ परिसर में इन पाठ्यक्रमों को शीघ्र शुरू किया जाए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में योगदान देने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। लखनऊ स्थित RRU में शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार करने से युवाओं और पेशेवरों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर को उन्नत करने हेतु आवश्यक कदम उठाए और वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की शुरुआत करे।

### Demand for revival of pilgrimage sites related to Lord Shri Ram in Punjab

**श्री सतनाम सिंह संधू** (नामनिर्देशित): महोदय, भगवान श्रीराम का जीवन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था; बल्कि उनका दिव्य स्पर्श पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में पसरा हुआ है। पंजाब की पावन भूमि भी श्रीराम और उनके परिवार की स्मृतियों को संजोए हुए है।

---

€ *Laid on the Table.*

Content Page

अमृतसर का रामतीर्थ मंदिर, पटियाला का घड़ाम और खरड़ का ऐतिहासिक अज्ज सरोवर – ये सभी पंजाब में प्रभु श्रीराम और उनके वंश की गौरवशाली गाथा के साक्षी हैं। देश भर में श्रीराम के दादा, राजा अज्ज का एकमात्र मंदिर खरड़ में स्थित है। वहां उनके नाम पर एक सरोवर भी है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ railway connectivity की भी एक बड़ी समस्या है। मेरी मांग है कि दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों को खरड़ स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था की जाए। श्रीराम से जुड़ी एक विरासत घड़ाम, पटियाला में भी है। माना जाता है कि घड़ाम में माता कौशल्या की बारात की सुविधा के लिए उनके पिताजी द्वारा बनवायी गई चार बावलियाँ आज भी मौजूद हैं। वहाँ एक मंदिर और गुरु गोबिन्द सिंह जी की यात्रा से जुड़ा गुरुद्वारा मिलाप साहिब भी स्थित है।

महोदय, यदि उनकी ननिहाल यहाँ है, तो श्रीराम के चरण यहां जरूर पड़े होंगे। अज्ज सरोवर (जिसकी जमीन भारत सरकार के अधीन है) और घड़ाम, दोनों में श्रद्धालुओं द्वारा सेवा तो की जा रही है, लेकिन इनके महत्व को देखते हुए भव्य निर्माण कार्य की तत्काल आवश्यकता है। मैं मांग करता हूँ कि इन स्थलों का कायाकल्प flagship PRASAD scheme के तहत किया जाए, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई ऊँचाई प्राप्त हो और पंजाब में टूरिज्म बढ़े।

### Need for providing treatment to all persons diagnosed with hepatitis in the country

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, as per the Global Hepatitis Report 2024 released by the WHO, India has the second highest prevalence of viral Hepatitis cases, accounting for 11 per cent of the global burden in 2022. As per the report, India accounted for 2.9 crore Hepatitis-B cases and 55 lakh Hepatitis-C cases. An estimated 1.2 lakh people died due to Hepatitis in the country. The cause of concern is that Hepatitis diagnosis and treatment remains very low in the country. In 2022, only 2.4 per cent of Hepatitis-B cases were diagnosed, while none received treatment in 2022. On the other hand, 28 per cent of Hepatitis-C cases were diagnosed and only 21 per cent received treatment.

Viral Hepatitis is an infection that causes liver inflammation and may lead to liver cirrhosis or liver cancer. Both Hepatitis-B and Hepatitis-C can be transmitted through blood transfusion, infected needles, and contact with infected blood or from mother to child during delivery. Hepatitis-B can be prevented through vaccine. Otherwise, one has to take medicine throughout one's life. Hepatitis-C can be cured through medication. Although, there is a National Viral Hepatitis Control Programme, but the reach of the programme is limited. Not all are receiving treatment under this programme. The Government's Viral Hepatitis Control Programme also offers the vaccine to high risk adults only. However, the condition is such that eight out of ten people who have been diagnosed with Hepatitis remain ineligible to receive the treatment. The Government should ensure treatment to all those who have been diagnosed with hepatitis.

## Demand for inclusion of Valmiki Community in the list of Scheduled Tribes (STs) in Tamil Nadu

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): The Centre has been adding the vulnerable communities in the List of STs or SCs in each State, depending on the characteristics, after examining the same. I would like to point out that there is a demand to include the Valmiki Community in the List of STs in Tamil Nadu. This demand has been pending for a long time. This Community is already included in the List of STs in the State of Karnataka. The State of Tamil Nadu is an adjacent State and it is fit and proper that this Community is included in the List of ST in Tamil Nadu. The people of the community had met a former Chief Minister and made the representation to include them in the category of Scheduled Tribes. The Tribal Research Centre, Ooty had been directed to examine it. It concluded that the Valmiki Community possesses five distinctive tribal characteristics, namely, primitive traits, distinct culture, shyness of contact, geographical isolation and social or economic backwardness and recommended that they be included in the list of Scheduled Tribes. Several measures were taken at the ground level, but final inclusion of this Community in the ST List could not be achieved. Hence, it is requested that the Centre may take action to include Valmiki Community in the List of STs in Tamil Nadu.

## Demand for reconstruction of railway over bridge and underpass in Mehsana, Gujarat

**श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक** (गुजरात): महोदय, मैं सरकार का ध्यान गुजरात के मेहसाणा जिले में बुनियादी ढांचे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मेहसाणा जिले में पुराने मेहसाणा और नए मेहसाणा को जोड़ने के लिए रेल ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण तत्काल प्रभाव से किया जाए। वर्तमान में, इस क्षेत्र में रेलवे फाटक के कारण यातायात बाधित होता है, जिससे व्यापारियों, नागरिकों और आपातकालीन सेवाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

इसके साथ ही, कड़ी शहर का रेलवे स्टेशन (जिला मेहसाणा) के अंडरपास का पुनः डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि वर्तमान संरचना अनुपयोगी साबित हो रही है और लोगों को यातायात जाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, जिससे नागरिकों को राहत मिले और क्षेत्र का विकास तेज़ी से हो सके।

Content Page

**Need to amend Wild Life Protection Act to prevent loss of human lives due to attacks by wild animals**

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, there is a need to amend the Wildlife Protection Act to ensure scientific management of forests and wildlife in India. The number of wild animals is increasing and even in cities, loss of lives is being reported on account of wild animal attacks. An elderly person lost his life in Panoor Municipality of Kannur district in a wild boar attack. He was attacked while he was visiting his farm. The killing by elephants is continuing in Aralam. A tribal couple was killed in a wild elephant attack while collecting cashew nuts at Aralam farm. Sir, there is an urgent need to tackle this issue. The prevalent forest and wildlife laws are for protecting the interests of the wild animals, but the protection is happening at the cost of the lives and livelihoods of the tribals and famers living in the high range areas of Kerala and other regions. In many an instance, the remedial measures suggested by the Act are very costly and impractical. There is a need to adopt international standards when dealing with such problems. There is a need to ensure local autonomy and freedom, so that the States could effectively tackle the issue. The Government should take urgent steps in this regard.

**Concern over increasing plastic pollution and waste management in the country**

**श्री संजय सेठ** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में तेजी से बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण और Urban Waste Management की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

भारत हर साल 4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से केवल 25% का ही recycling या treatment किया जाता है, जबकि 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक जल, वायु और भूमि को प्रदूषित कर रहा है। देश भर में 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक जलाया जाता है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। अकेले दिल्ली में प्रतिदिन 3,800 टन ठोस कचरा बिना उपचार के जमा हो रहा है, जिससे नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगस्त, 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीर पर्यावरणीय संकट करार दिया था।

केंद्र सरकार ने "स्वच्छ भारत मिशन" और Single-Use Plastic पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव होगा, जब एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए और उल्लंघन करने वाले निर्माताओं तथा विक्रेताओं पर कठोर दंड लगाया जाए। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नियमित निरीक्षण को अनिवार्य किया जाए, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो और अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को औपचारिक पुनर्चक्रण योजनाओं से जोड़ा जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए, ताकि एक प्रभावी और टिकाऊ कचरा प्रबंधन नीति लागू हो सके। जब तक

इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक भारत में शहरी कचरा प्रबंधन एक समस्या बना रहेगा।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस दिशा में कदम उठाए और एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भारत के निर्माण में तेजी लाए।

**Concern over problems being faced by chilli farmers in Andhra Pradesh**

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY (Andhra Pradesh): Chillis constitute nearly 40 per cent of India's total spice exports and Andhra Pradesh is the largest Chilli producer in India. Being largest in Asia, Guntur chilli market sets domestic and global chilli price trends. But this season, the price of chilli has fallen to Rs.7,000 per quintal when compared to last year's Rs.28,000 per quintal. Chilli farmers are demanding remunerative price for chillis. The Government of India (GOI), after demand by former Andhra Pradesh CM, implemented Market Intervention Scheme (MIS) by fixing price at Rs.11,781 per quintal, with a condition that it will buy only 25 per cent of total stock. Hence, I demand the Government to fix MSP for Chilli at Rs.20,000 per quintal. The Government of India should invoke Price Deficiency Payment Scheme and procure 100 per cent chillis from farmers. The Government of India should bear entire cost of procurement. The Union Cabinet should take stock of situation and, if need be, approve these and other proposals in favour of farmers. The Government of India should restore RBK system and introduce free crop insurance scheme in Andhra Pradesh and strengthen e-Crop.

The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Monday, the 24th March, 2025.

*The House then adjourned at five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 24th March, 2025.*

Content Page

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)